Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का २७वां दिवस [संख्या १७

सोमवार, दिनांक २१ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, समाजकल्याण, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, शक्ति एवं सामान्य प्रशासन विभाग]

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की अपेक्षा

४३१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने के लिये समिति की नियुक्ति कब हुई थी ? इस समिति के कौन कौन सदस्य थे ?

(२) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३) समिति द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार समिति के सुझावों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का विचार रखती है ?

शिक्षा उप-मंत्री: (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) इस निमित्त समिति की नियुक्ति दि० २०-४-६० को हुई थी, जिनके निम्न सदस्य थे:—

(१) श्री भीमसेन, प्रिन्सीपल गवर्नमेंट कॉलेज ? कन्वीनर

(२) श्री वी० जी० गरडे, प्रिन्सिपल, इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर सदस्य

(३) श्री आर० एम० कासलीवाल, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, जयपुर सदस्य

(४) श्री एम० एम० मिश्रा, प्रिन्सिपल, बिड़ला कॉलेज, पिलानी सदस्य

Page No.2

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(५) श्री एम० बी० माथुर, प्रोफेसर, विश्व विद्यालय सदस्य

(६) श्री सी० एल० सिंहल, डिप्टी रजिस्ट्रार सदस्य

(७) श्री वी० वी० जॉन, प्रिन्सिपल, महाराणा कॉलेज, उदयपुर सदस्य

(८) डॉ. एस. राठोड, प्रिंसिपल, कृषि कॉलेज, उदयपुर सदस्य

(९) श्री पी० एल० श्रीमाली, डवेलपमेंट ऑफिसर सचिव

(२) समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभीप्राप्त नहीं हुई है। इस समिति की प्रथम बैठक ता० २९-७-६० को राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुई थी और बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट आने पर सदन को उपलब्ध कर दी जावेगी।

(३) इस विषय पर समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर कहा जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ. चन्द्रकला : समिति का निर्माण करते समय, टर्म्स ऑफ रेफरेन्स देते समय क्या समिति को निश्चित अवधि दी गई, जिस समय तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

डॉ. चन्द्रकला: क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि समिति अप्रेल ६० में बनी, जुलाई ६० में बैठक हुई और उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिली, तो यह बहुत देरी हो गई और इसकी रिपोर्ट जल्दी प्राप्त करें ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां, इसको जल्दी प्रस्तुत करने के लिए ताकीद कर रहे हैं।

डॉ. चन्द्रकला: समिति ने अपनी पहली बैठक में ३ 'ब' में सिफारिश की है, यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में सुधार करने के लिये एक बोर्ड का गठन करें, इस तरह की चीज बनाये जो पूरी तौर पर जानकारी करें, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया, पूरी रिपोर्ट आयेगी उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

डॉ. चन्द्रकला: सरकार की क्या कल्पना है, रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती। मैंने निवेदन किया कि उस कमेटी को ताकीद करेंगे कि जल्दी अपनी रिपोर्ट दे।

डॉ. चन्द्रकला : क्या यह उम्मीद की जाय कि अगले सत्र के चालू होने से पहले परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हैं, उनमें सुधार करने की दृष्टि से उससे पहले उस रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे ख्याल से यह मुमकिन नहीं होगा क्योंकि अगला सत्र दो-तीन महीने में शुरू हो जायगा। और उस कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, उसे जल्दी मांग कर

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

यूनिवर्सिटी उसे देख कर उस पर अन्तिम निर्णय ले, यह मुमकिन नहीं हो सकता।

डॉ. चन्द्रकला : क्या सरकार ने अब लिखा है कि अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे दे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब लिखेंगे, मैंने निवेदन किया........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को क्या सुझाव दिये जाय, उसके बारे में समिति का गठन किया है। समिति जो निर्णय ले, जो सिफारिश करे, उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के पास भेज दे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : समिति की रिपोर्ट के ऊपर सरकारी स्तर पर विचार किया जाय, हमारे व्यूज क्या है; उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को लिखेंगे। सब को लिखा है अलग अलग यूनिवर्सिटी को। हमारी गवर्नमेंट का निर्णय उस स्तर पर होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): इस पर काफी विलम्ब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : जी हां, आपसे मैं भी सहमत हूँ।

श्री भीमसेन।

डॉ. चन्द्रकला : लेकिन सरकार सहमत नहीं है।

आदिम जन–जाति एवं अनुसूचित जातियों की आर्थिक उन्नति हेतु योजनायें

४३२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) आदिम जन–जाति एवं अनुसूचित जातियों को आर्थिक उन्नति हेतु विभाग की क्या क्या योजनायें हैं ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त जातियों को आर्थिक उन्नति हेतु उन्हें सेवा सहकारी समितियों में कम से कम एक हिस्सा खरीदने के लिये ऋण देने का विचार रखती है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) आदिम जन–जाति की आर्थिक उन्नति का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग में इस प्रकार है :—

१. पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता

२. सहकारिता के लिए सहायता

३. लघु सिंचाई कार्य

४. कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण

५. कृषि के लिए बैल, औजार व कुए खोदने एवं मरम्मत के लिए सहायता।

(ब) अनुसूचित जातिओं के लिए–

१. कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण

२. केवल अजमेर जिले में लघु उद्योगों के लिए सहायता

Page No.4

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

३. पुनर्वास ।

(ख) इस विभाग से ऋण देने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है, अत : विचार रखने का प्रश्न नहीं उटता ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, कोई योजना हो, इसलिए इस प्रश्न के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि सेवा सहकारी समिति के एक हिस्सा खरीदने के लिए ऋण दे सरकार, जिससे सेवा सहकारी समिति बने तो उसकी सदस्य संख्या बढ़ सकती है और आर्थिक व्यवस्था में लाभ मिल सकता है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनको कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना चाहिए इस सिलसिले के अन्दर, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके अन्दर ऐसा ऋण देने की कोई योजना नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते हैं ।

श्री भीमसेन : योजना नहीं, इसलिए ही निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी योजना बनाई जाय ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भीमसेन : ये लोग इतने गरीब होते हैं कि सेवा सहकारी समिति को खोलने के लिए पैसा नहीं होता । उनको सेवा सहकारी समिति का एक हिस्सा खरीदने के लिए सरकार ऋण दे दे तो सेवा सहकारी समिति की मार्फत ऋण लेने की व्यवस्था बन सकती है ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने एक निश्चित नीति के अनुसार हरिजन और आदिवासियों की उन्नति के लिए प्रोगाम बनाया है, उसके द्वारा उनकी कितनी उन्नति हुई है, इसकी कभी सरकार ने जांच की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह भिन्न प्रश्न है, इससे इसका ताल्लुक नहीं है । आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना रुपया खर्च हुआ है । ये सारी बातें भिन्न हैं ।

श्री पी. के. चोधरी (फुलेरा) : कुटीर उद्योगों के लिए किस प्रकार की सहायता देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कुटीर उद्योगों के लिए हम प्रशिक्षण देते हैं । उसके बाद उनको जब कि काम पर लगना चाहिए, तो २०० रुपये तक की सहायता देते हैं ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला....

श्री रामचन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह जानने का प्रयास किया है । मैं 'हां' या 'ना' में उत्तर चाहता हूँ । मैं नहीं चाहता....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, अलग अलग सारी की सारी रिपोर्ट है । ये चीजें वार्षिक रिपोर्ट के अन्दर दर्ज हैं, कितना कितना खर्च किया, क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या टार्गेट्स अचीव हुए । सारी की सारी रिपोर्ट आपके सामने रख सकता हूँ ।

Page No.5

श्री रामचन्द्र : क्या मैं समझूं कि 'हां' में जवाब है, सरकार ने ऐसी जांच कर ली है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय....

श्री रामचन्द्र : मेरे प्रश्न का उत्तर मैं हां में समझ लूं, सरकार ने ऐसी जांच कर ली है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूँ, इससे ताल्लुक नहीं रखता यह सवाल ।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अलग सवाल उठाना चाहिए ।

श्री रामचन्द्र : यह निवेदन है कि सरकार ने जांच करने का प्रयास किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं इसका जवाब देने....

श्री रामचन्द्र : मैं रिपोर्ट नहीं मांगता ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कहते हैं कि इससे आपके प्रश्न का सम्बन्ध नहीं है। आप जानकारी चाहें तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न तो इतना ही था कि....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न नहीं, निवेदन था जो स्वीकार नहीं करते ।

श्री भीमसेन : यह सरल प्रश्न है कि सरकार लोगों को तकावी देती है दस, दस, बीस, बीस रुपये की तो सरकार ऐसी योजना क्यों नहीं बनाती कि सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी ऋण दे दे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किस चीज़ की सहकारी समितियां ?

श्री भीमसेन : सेवा सहकारी समितियां ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सेवा सहकारी समितियों के लिये कोई प्रावधान नहीं है । सेंट्रल गवर्नमेंट से एड मिलती है, उसमें यह नहीं है ।

श्री भीमसेन : केन्द्रीय सरकार को योजना बना कर भेजिये, योजना स्वीकृत हो जायगी ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : क्या यह सही है कि बुनकर सोसाइटी के मेम्बरों को ऋण दें तो हिस्सा पूंजी खरीदने के लिये देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

श्री मोतीलाल : क्या उसी माफिक हिस्सा प्रोपर्टी के लिये दे देती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : प्रश्न संख्या ४३३ ।

पाली तहसील में चकबन्दी की रकम में कमी की अपेक्षा

४३३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) पाली तहसील में चकबन्दी किन किन गांवों में हुई है ? क्या यह सत्य है कि प्रत्येक काश्तकार से प्रति बीघा ८० न० पै० चकबन्दी के वसूल किये जाते हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिन लोगों की भूमि का एकीकरण ही नहीं हुआ है उनसे भी चकबन्दी की रकम वसूल की जाती है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि चकबन्दी की रकम नहरी जमीन और बारानी जमीन से एक तरह की वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह भी सही है कि पाली तहसील के ग्रामीणों ने चकबन्दी की रकम कम करने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जी हां, राज्य सरकार के आदेश सं० एफ. ६:३६६ राज । ख । ५७ दिनांक १३–२–५६ के तहत वसूल किये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। भूमि को तीन क्षेत्रों में बांट कर वसूल किया जाता है।

(घ) जी हां। सरकार ने आदेश सं० एफ ११ (२६) राज । ख ।५६ दिनांक १६–४–६० के तहत २) रू० प्रति एकड़ दर लागू कर दी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): इस पर आपने क्या कार्यवाही की है जो प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सवाल–जबाब दोनों समझ कर यह पूछा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न संख्या ४३४।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू कार्य करवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

४३४. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि जयपुर इन्स्पेक्टोरेट (वैस्ट एण्ड ईस्ट) के जयपुर शहर के बाहर में स्कूलों के कई चपरासियों को जयपुर शहर में अफसरान के बंगलों पर लगा रखा है और उनकी तनख्वाह उन्हीं स्कूलों के नाम पर ड्रॉ की जाती है ? यदि हां, तो किस किस चपरासी को और क्यों ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) इन चपरासियों की हाजरी कहां होती है ?

(ग) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन लेगी जो इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अपना घरू कार्य लेते हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) निरीक्षणालय, जयपुर (पूर्व व पश्चिम) के आधीनस्थ किसी भी स्कूल के किसी भी चपरासी को किसी भी अफसर के बंगले पर नहीं लगा रखा है। अतः अन्य कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) इनकी हाजरी जिन संस्थाओं में वे कार्य करते हैं वहां होती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४३५

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

सर्वोदय गोकुल कॉलोनी, जयपुर के नाम पर काश्त हेतु आवंटित भूमि पर रिहायशी मकानों का निर्माण

४३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सर्वोदय गोकुल कॉलोनी जयपुर शहर के नाम पर कुछ काश्त की भूमि सरकार द्वारा काश्त करने के लिये दी गई थी ? यदि हां, तो कब कितनी और किन किन को ?

(ख) क्या यही है कि उस भूमि में काश्त नहीं होती है तथा उसमें रिहायशी मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो किस हुक्म से काश्त की भूमि में रिहायशी मकान बनाये गये हैं, किन किन ने और क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सरकार द्वारा कोई जमीन नहीं दी गई। अलबत्ता गोकुल बस्ती बसाने के लिये अर्जी दी थी जो राज्य सरकार द्वारा नामंजूर कर दी गई।

(ख) श्री छीतरमल ने ४ बिस्वा रकबा में मकान बनाना शुरू किया। पटवारी द्वारा रिपोर्ट की जाने पर जेर दफा ६१ लैंड रेवेन्यू एक्ट में नोटिस देकर कार्यवाही की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह जयपुर शहर के अन्तर्गत है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह दुर्गापुरा की सरहद में आती है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मकान बन चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूफ लेवल तक आ गया है।

Page No.8

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पटवारी ने रिपोर्ट कब की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है, पर तहसील से जवाब लिया गया है, वख्त पर रिपोर्ट लेकर बन्द करवा दिया।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि वहां जयपुर नगरपालिका की सीमा नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : न हो। पर सरकार को अधिकार है कि काश्त की जमीन को आबादी में कन्वर्ट करे, न करे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि वह भूमि काश्त की भूमि है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि श्री छीतरमल ने मकान बनवाया, उसे बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जन सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित प्राध्यापकों की नियुक्ति में विलम्ब

४३७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५९ में सरकार ने जन सेवा आयोग को हिन्दी प्राध्यापकों के चयन हेतु सूचना भेजी थी तथा जन सेवा आयोग द्वारा उक्त सूचना प्राप्ति के एक वर्ष पश्चात् प्राध्यापकों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि जन सेवा आयोग ने चुने हुए ३७ प्राध्यापकों की सूची सरकार के पास प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो फिर इनकी नियुक्ति में विलम्ब किस कारण से किया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि अस्थायी तौर पर काम कर रहे प्राध्यापकों का नियुक्ति-काल ७ जनवरी, १९६१ ई० को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो उनके स्थान पर जन सेवा आयोग द्वारा चुने गये प्राध्यापकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

(४) क्या यह सही है कि जो प्राध्यापक अस्थायी तौर पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनमें से लगभग तीन–चौथाई जन सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार में रिजेक्ट कर दिये गये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि जन सेवा आयोग द्वारा सिलेक्ट किये गये इन व्यक्तियों की सूची राज्य सरकार के पास भेजने के ६ माह के अन्तर्गत, यदि इनकी नियुक्ति नहीं की गई, तो इनका सिलेक्शन रद्द हो जायगा ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति कब तक की जा रही है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हां, छात्रों की पढ़ाई में जब कि सत्र चालू है. हानि न हो इसको मद्देनजर रखते हुए नियुक्ति अभी नहीं की गई है।

(३) जी हां, इसका उत्तर दूसरे प्रश्न में दे दिया गया है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(४) जी हां, करीब करीब सही है ।

(५) जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'करीब करीब सही' का क्या मतलब है ? एक तो सही होता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने जो पर्सेंटेज दिया है, वह बराबर नहीं बैठता है इसलिये करीब करीब कहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके सिलेक्शन का पीरियड खत्म हो जायगा, इसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पी. एस. सी. को लिखा जा रहा है कि अवधि बढ़ा दे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मार्च में आपका सत्र समाप्त हो गया । एग्ज़ामिनेशन्स अप्रेल में हुए । ३।४ ऐसे हैं जिन्हें पी. एस.-सी. ने रिजेक्ट कर दिया है तो अप्रेल में पी. एस. सी. द्वारा सिलेक्टेड प्राध्यापकों को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मई तक सेशन चलेगा, जिनके पब्लिक एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनके तो खत्म हो जाते हैं पर होम एग्ज़ामिनेशन्स मई तक होते हैं, उनके मई तक काम रहता है और इस तरह बीच में इनको रखने से नुकसान होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नुकसान क्या होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया न कि पढाई में नुकसान होगा । एक सत्र में थोड़ा कोई पढ़ावे और बाद में थोड़ा कोई दूसरा पढ़ावे तो इससे छात्रों की पढ़ाई में नुकसान होता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जितने डिग्री कॉलेजेज़ हैं उनकी परीक्षाएं अप्रेल में खत्म हो जायंगी, फिर आप इनको छुट्टियों की तनख्वाह क्यों दिलाना चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सेशन मई में खत्म होगा, कई होम एग्जामिनेशन्स ऐसे हैं जो मई में खत्म होंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : थर्ड इयर के ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थर्ड इयर के तो अप्रेल में खत्म हो जायेंगे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: फिर भी रिजल्ट निकालना, कॉपियां जांचना, वगैरह काम रहता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन ३।४ लोगों को पी. एस. सी. ने रिजेक्ट किया है, उनसे तो जो नये सिलेक्ट किये गये हैं अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो समझ में नहीं आता कि स्टडी में नुकसान कैसे होगा, ये लोग तो और अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं । अप्रेल में जब कि एग्ज़ामिनेशन्स खत्म हो जायेंगे, फिर भी आप उनको रख कर गर्मियों की तनख्वाह दिलाना चाहते हैं, जो रिजेक्टेड हैं उनको दिलाना चाहते हैं और जो सिलेक्टेड हैं उनको नहीं दिलाना चाहते । मैं समझता हूँ, अप्रेल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में एग्ज़ामिनेशन्स होने के बाद नये सिलेक्टेड केन्डिडेट्स को अपोइन्ट कर सकते हैं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्टर सेशन में नयों को रखें तो कैसे पढ़ायें, कैसे नहीं पढ़ायें ? इसलिये जिन्होंने पढ़ाया है वे ही सैशन के एण्ड तक पढ़ायेंगे और नये सैशन में इनको रख लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. एस. सी. ने सिलेक्शन करके आपके पास कब भेजा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह जनवरी में आया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको बताऊं कि २६-११-६० को आ गया है डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एज्यूकेशन के पास पी. एस. सी. से ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, नवम्बर के एन्ड में आ गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नवम्बर में आ गया तो दिसम्बर में क्यों नहीं अपोइन्ट किया ? सेप्टेम्बर में पढ़ाई शुरू होती है । मार्च में क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं कि सेशन के बीच में अपोइन्ट नहीं कर सकते थे इससे लड़कों की पढ़ाई का नुकसान होता ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जनवरी में जोइन कर सकते थे पर केवल १॥ महीना पढ़ाई होती । आधा कोर्स वे करायें और आधा दूसरे करायें, यह बैठता नहीं था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. एस. सी. को रिक्विज़िशन दिया तो इतनी देर से क्यों दिया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन और रह गया है । क्या यह सही है कि आपने दो का अपॉइन्टमेंटस मिड-सेशन में किये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, रतिकान्त और प्रेम भटनागर का किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका अपॉइन्टमेंट कैसे किया जब कि सीनियोरिटी लिस्ट में इनका नाम सबसे नीचे है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी नहीं है कि किन परिस्थितियों में इनका अपॉइन्टमेंट किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसके ५ वें पार्ट में यह कवर-अप हो जाता है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप जो सवाल उठा रहे हैं, वह नहीं पूछा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तीसरे सवाल में पूछा है कि अपॉइन्टमेंट क्यों नहीं किया ? आपका जवाब होना चाहिये था कि दो का अपॉइन्टमेंट क्यों किया, ३७ में से ;

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामधन ।

तहसील दौसा में निर्मित होने वाली सड़कें

४३८. श्री रामधन (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील दौसा और सिकराय में सन् १९५७ से ६० तक कौन कौन से गांवों और कस्बों में राजकीय भवनों और सड़कों का निर्माण हुआ है ?

(ख) तहसील दौसा में किन किन सड़कों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ग) क्या तहसील दौसा के ग्राम खैरवाल की जनता की ओर से सड़क बनाने हेतु दरख्वास्त सरकार के समक्ष आई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) सूची प्रस्तुत है।

(ख) दौसा से तूंगा सड़क की योजना विचाराधीन है।

(ग) जी हां, अप्रोच रोड होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामधन : कब तक यह रोड विचाराधीन रहेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसी रोड के लिये फर्मा रहे हैं, तूंगा के लिये ? तूंगा रोड़ तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो विचाराधीन हैं उनके साथ इस पर भी विचार कर लिया जायगा।

प्रश्न संख्या ४३९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४०

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय।

अमीनों को सर्वेयर्स के समान ही ग्रेड दिलाना

४४१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) सेटलमेंट विभाग के अमीन (भू-मापक) का क्या ग्रेड है तथा यह ग्रेड सर्वेयर के ग्रेड से कितना कम है ?

(२) क्या सेटलमेंट विभाग के अमीन सर्वेयर की संज्ञा में नहीं आते ?

(३) क्या सरकार वन विभाग की भांति इन अमीनों (भू-मापकों) को भी सर्वेयर का ही ग्रेड देने का विचार कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सेटलमेंट विभाग के अमीन का ग्रेड रु० ४०-१-५० ई. बी. २-६० है व स्पेशल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वेतन १०) रु० माहवार है। वन विभाग के सर्वेयर का ग्रेड ६०-४-८०-५-१०० ई. बी. १३० है।

(२) जी हां, नहीं आते।

(३) अमीनों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर सरकार ने विचार किया; किन्तु मांग तथ्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकार कर दी गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या वन विभाग के सर्वेयर में और अमीनों में किसी प्रकार काम में अन्तर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। वन विभाग वालों की ड्युटी ज्यादा हार्ड है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं समझता हूँ कि उनको भी वही जमीन नापनी पड़ती है और उनको भी जमीन नापनी पड़ती है इसलिये इन दोनों के ग्रेड और वेतन में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि वन विभाग वालों की ड्युटी ज्यादा हार्ड है और उनको ज्यादा काम करना पड़ता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी(बांदीकुई): क्या जंगली जानवरों का उनको उस समय ज्यादा खतरा रहता है इसलिये यह अन्तर रखा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कुछ भी सोच सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार ने इस पर विचार करके ही निर्णय लिया है।

प्रश्न संख्या ४४२.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह,

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

बाड़मेर-सांचोर सड़क की मरम्मत तथा निर्देशक सूचना-पट्टों को सुधारना

४४३. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे;—

(१) क्या यह सही है कि बाडमेर से सांचोर जाने वाली सड़क पर निर्देशक सूचना पट्ट इतने खराब हो गये हैं कि उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सकता ? यदि हां, तो यह हालत कब से है और सरकार ने उनके सुधार के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क इतनी खराब है कि जिसमें स्वस्थ व्यक्ति भी उधर से यात्रा करने पर अस्वस्थ हुए बिना नहीं रह सकता ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) निर्देशक सूचना पट्ट ठीक कराये जा रहे हैं।

(२) यह ग्रेविल रोड है और यह भी वैसी है जैसी कि अन्य ग्रेविल रोड होती है। आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाती है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक ही सड़क है। श्री अनूपसिंहजी भी कल इसके लिये कह रहे थे। इसकी हालत खराब है। इसकी मरम्मत कराई जानी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आवश्यकता होती है तो मरम्मत कराई जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हायर सेकन्डरी स्कूल में संस्कृत के ऐच्छिक विषय का अभाव

४४४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उन हाई स्कूलों में जिन्हें हायर सेकन्डरी स्कूलों में बदला गया है, संस्कृत को ऐच्छिक विषय भी नहीं रखा गया है ?

(२) क्या हायर सेकन्डरी स्कूल, भीमगंज मण्डी (कोटा) झालावाड़ में उपरोक्त कारणों से कई विद्यार्थियों को उनकी मांग के बावजूद भी संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) : जी नहीं।

(२) हायर सेकन्डरी स्कूल, भीमगंज मंडी (कोटा) में संस्कृत विषय पहले से ही पढ़ाया जा रहा है और नवीं कक्षा में इस विषय के ४१ छात्र हैं। हायर सेकन्डरी स्कूल, झालावाड़ में इस विषय को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो कि कम से कम १० होनी चाहिये अब घटा कर ७ कर देने पर भी छात्र उपलब्ध न होने के कारण संस्कृत विषय नहीं पढ़ाया जाता।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या पिछले साल झालावाड़ में मांग की गई थी कि १४ लड़कों की संस्कृत में संख्या है, मगर वह विषय नहीं खोला गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां विषय खोला गया और फिर संख्या में लड़के नहीं पहुँचे जितने पहुंचने चाहिये थे।

श्री रामचन्द्र : वहां पर मांग भी है कि संस्कृत पढ़ाई जावे मगर विषय नहीं रखा गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां पर मांग पर ही खोला गया। उस साल नहीं खोला गया था। दूसरे साल खोला गया। वहां पर १० लड़के पढ़नेवाले नहीं थे तो हमने उस १० की संख्या को घटा कर ७ कर दी। मगर फिर भी कोई लड़के पढ़ने वाले नहीं आये। एक या दो लड़कों के लिये अध्यापक रखना संभव नहीं होता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि वहां पर पहले

Page No.14

(डॉ० चन्द्रकला)

संस्कृत शिक्षा के लिये प्रबन्ध न होने के कारण लड़कों को दूसरे विषय लेने पड़े और इस कारण से छात्रों की कमी रही।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन अपीलें निगरानियां तथा नजरसानियां

४४५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रेवेन्यू बोर्ड में आज तक कितनी अपीलें, कितनी निगरानियां व कितनी नजरसानियां विचाराधीन हैं तथा इनमें कितनी कितनी ४ साल के अर्से से पुरानी हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : रेवेन्यू बोर्ड में दिनांक ३१-१-६१ तक १०४४ अपीलें, ४६१ निगरानियां व ५० नजरसानियां विचाराधीन थी। इनमें से २ अपीलें व २ निगरानियां चार साल के अर्से से पुरानी हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह।

तृतीय योजना हेतु जिला सिरोही में लघु उद्योगों हेतु प्रस्ताव

४४६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Industries Minister be pleased to state:—

1. What is the financial provision for small scale industries in Sirohi District for the Third Plan ?

2. What are the proposals in this respect for this district ?

3. Has the industrial survey for samll scale industries been ordered for this district ?

4. If so, by what time this survey is likely to be completed ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

1. There is no districtwise allocation.

2. As stated above.

3. Yes, the field survey for this district has been completed. Final report is not received.

4. Question does not arise.

भाखरा की बिजली बीकानेर को सस्ती दर पर प्रदान करना

४४७. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मन्त्री, विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि भाखरा की बिजली बीकानेर में दी जाने लगी है, मगर अभी तक घरेलू आवश्यकताओं तथा कारखानेदारों के लिये उसके रेट्स वही पुराने चले आ रहे हैं ? क्या रेट्स सस्ते करने की तरफ सरकार ध्यान दे रही है ? यदि हां, तो कब तक ऐसा संभव हो

(श्री रावतमल पारीक)

सकेगा ? भाखरा वालों से किस रेट से सरकार बिजली ले रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां। जी हां। इस वित्तीय वर्ष में।

भाखरा वालों से सरकार ग्रिड रेट्स पर बिजली ले रही है।

डिमान्ड चार्ज :

५ रु० प्रति किलोवाट एम्पियर प्रतिमाह। एनर्जी चार्ज :

.४५ आना प्रति किलोवाट अवर प्रथम ५ लाख किलोवाट अवर के लिये ·४२५ आना प्रति किलोवाट आवर अगले १५ लाख किलोवाट अवर के लिये ·४०० आना प्रति किलोवाट २० लाख किलोवाट अवर से अधिक के लिये ८ आना या ५ नये पैसे हैं अधिक अधिकत्तम दर नहीं हो सकती।

श्री रावतमल पारीक : मेरा प्रश्न हिन्दी में था। आपने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष : डिमान्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज में क्या फर्क है ? आपने डिमान्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज की दो टर्म्स यूज़ की हैं। इनमें दोनों में क्या फर्क है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ये टैक्निकल मामले हैं।

श्री अध्यक्ष : You Should not say anything what you don't know yourself.

श्री रावतमल पारीक : मैं अर्ज करूं कि कंज्यूमर्स को किस रेट पर दी जाती है ? आप हिन्दी में जवाब नहीं दे पाये हैं इसलिये मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जहां तक समझ पाया हूँ मैं कह सकता हूँ। भाखरा से बिजली कन्ज्यूमर्स को किस रेट से दी जाती है....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को नेक्स्ट टर्न पर ले लेंगे। जब तक माननीय मन्त्री खुद इसको समझ लेंगे।

प्रश्न संख्या ४४८.

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

विदेशी सहायता से प्रान्त में खोले जाने वाले कारखाने

४४९. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विदेशी सहायता से राजस्थान राज्य में कौन कौन से कल–कारखाने तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोले जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अगर विदेशी सहायता से मतलब फॉरिन कालोबोरेशन से है तो जो भी निजी क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाते हैं, कॉलोबोरेशन की शर्तें भारत सरकार के पास भेजनी पड़ती है। अतः इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

प्रश्न संख्या ४५०.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर

कन्डेन्स्ड कोर्स में प्रशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं की नौकरी की व्यवस्था

४५१. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के लिये कन्डेन्स्ड कोर्स की कक्षाएं कहां २ प्रारम्भ की गई हैं ?

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत कहां तक शिक्षा दी जाती है और छात्राओं को शिक्षण-काल में क्या छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(ग) कन्डेन्सड कोर्स पास करने के बाद इन छात्राओं को क्या २ नौकरी दी जायगी ?

(घ) गत सत्र में किन २ संस्थाओं में से कितनी छात्राओं ने शिक्षण समाप्त किया और उन्हें क्या २ नौकरी दी गई ?

(ङ) पंचायत समिति सेवा नियमों के अन्तर्गत एक शिक्षक की निम्नतम योग्यता क्या रखी गई है ?

(च) क्या इन नियमों के अन्तर्गत ऐसी प्रौढ़ महिलाओं को जो कि कन्डेन्स्ड कोर्स पास करें, नौकरी मिलने की व्यवस्था है ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये अगले सप्ताह में दिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं का मामला है, इसलिये इसको तो पहले लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री बी. एन. जोशी ।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, बांदीकुई में दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण.

४५२. **श्री बिशम्भरनाथ जोशी**(बांदीकुई): Will the Education Minister be pleased to state:-

1. Is it a fact that the construction of the two additional rooms which had been sanctioned for the Government High School, Bandikui in the last financial year could not be undertaken during that year and that therefore a provision for the same has also been made for the current year ?

2. Has any progress been made regarding the construction of those rooms so far ?

3. If not, what are the reasons for delay and what action, if any, has so far been taken against the

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

contractor or the officers responsible for the same ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : 1. Yes, Sir.

2. The work has been let out recently. The Work is in progress.

3. Question does not arise.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : By what time it is likely to be completed ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Exact date cannot be given, but I think next year it will be completed.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी: If it is not completed during the present financial year, will a provision be made in the nextyear ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It will continue in the next year.

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): It goes without saying.

भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण हेतु अधिनियम की क्रियान्विति

४५३. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

राजस्थान में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले अधिनियम कब से प्रभाव में आयेंगे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

विजयनगर व गुलाबपुरा के बीच की मेहराबदार नालियों एवं सड़क का निर्माण

४५४. **राव श्री नारायणसिंह** (मसूदा): Will the Public Works Minister be pleased to state:-

1. Whether the Government is considering the construction of a pucca culvert and a short-cut link road between Bijai Nagar and Gulabpura ?

2. If so, by what time will the construction work start ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : 1. As the construction of approach roads has been transferred to the Panchayat Samitis the question of the construction of this road does not arise.

2. With the limited resources available with Public Works Department the question of construction of a puccas culvert cannot be taken up.

राव श्री नारायणसिंह: This particular long road is between these Two Panchayat Samitis. How will it be possible to be taken by one ?

Page No.18

श्री हरिश्चन्द्र : It may be. If it is an approach road connecting two Panchayat Samitis, even then funds will be transferred.

राव श्री नारायणसिंह : Both the towns are important towns and in view of the Chief Minister's assurance in the towns many a times, is the Government prepared to reconsider it during the Third Plan for the prosperity of both the towns ?

श्री हरिश्चन्द्र : I have no knowledge of any assurance given by the Chief Minister.

सिरोही के पूल में वाहनों की कमी

४५५. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Chief Minister be pleased to state :—

Does the Government realising the shortage of the vehicles in the pool at Sirohi to meet the demands of the Zila Parishad, Reodar shadow block and pre-extension block of Sheoganj Panchayat Samiti, contemplate to increase the number by atleast one more Jeep at the earliest to meet with the requirement of this district ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : The vehicles were allotted to each pool in the districts according to their requirements. One new vehicle is being given to Sirohi District Pool to replace an old one. As regards increase in the number of vehicles in Sirohi the matter is being considered.

श्री मोहब्बतसिंह : Is this matter being considered and the intention of the Government is to provide these bodies with the vehicles ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No. Consideration is given ofcourse to every demand. Sirohi is one district from where we have received this demand and that we are examining whether there is any necessity of such a vehicle.

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या हर जिले में तमाम ऑफिसेज़ की डिमान्ड को पूरा करने के लिये यह दिया जाता है या पर्टीकुलर ऑफिस को ही दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह उस डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता को देखते हुए तमाम पूल के लिये दिया जाता है और जिलाधीश की निगरानी में रहता है।

श्री मोहब्बतसिंह : The demand has been made by the Collector and supported by the Commissioner, Jodhpur.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that the demand is being considersd.

श्री रामचन्द्र : जिस जिलाधीश की निगरानी में रहती है क्या वह दूसरों की रिक्वेस्ट का भी ध्यान रखता है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पूल विहिकल्स के लिए रूल्स बने हुए हैं कि कौन २ से ऑफिसर्स उनको यूज़ करने के लिए एलीजिबल हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कलेक्टर अलॉट करते हैं ।

प्रश्न संख्या ४५६

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

किशनगढ़–रेनवाल हाई स्कूल

४५७. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

किशनगढ़–रेनवाल हाई स्कूल में विज्ञान कक्षा कब खोली गई तथा उक्त विषय के अध्यापक वहां कब पहुंचे ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : किशनगढ़–रेनवाल हाई स्कूल में वैकल्पिक विज्ञान की कक्षा जुलाई ५६ में खोली गई । वहां पर विज्ञान का अध्यापक १०–५–५७ से ही कार्य कर रहा है । जो कि सन् ५७ से ५६ तक केवल सामान्य विज्ञान (अनिवार्य) का विषय पढ़ाते थे, जुलाई सन् ५६ से वैकल्पिक विज्ञान का विषय पढ़ाने लगे ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : प्रारम्भ हो गया । लेकिन अब तक यह शिकायत है कि अध्यापक नहीं पहुंचा है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मौजूद है, पहुँचने का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह ।

उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, जवाजा, के लिये छात्रावास

४५८. श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Will the Education Minister be pleased to state:—

1. Whether a hostel is considered for Jawaja looking to the number of boys that have always to come from the adjoining villages to the new local Higher Secondary School ?

2. Whether the Government is also considering raising any of the old Middle Schools at Lotiana, Barakhera, Rajiawas, Kabra or Durgawas into a Multipurpose Higher Secondary School looking to the local efforts and needs of education in the area ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : 1. It is not considered for the present as this school has been upgraded into Higher Secondary School in July, 1960.

2. Proposals for upgrading of Middle Schools into Higher Secondary Schools or converting of High Schools into Higher Secondary Schools are under cousideration of the Government and starting of Higher Secondary Schools at Lotiana, Barakhera, Rajia-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई) •

was, Kabra or Durgawas will be considered along with other similar schools.

श्री नारायणसिंह : Does not the Government consider that the students come from 3-4 miles to that Higher Secondary School and their extra curricular activities are being greatly hampered.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is true. But in the existing circumstances, we cannot provide hostel for all the institutions.

श्री नारायणसिंह : With the expansion of Education in the rural areas, I think, Sir, the Government will consider it fit that wherever such schools are situated rostels' provision is also made so tnat their entire educational activities are looked after well and they can have their extra curricular activities.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : As the Hon'ble Member knows, we invite public co-operation for the buildings. It is difficult for the Government to bear expenditure for all the Higher Secondary Institutions. Whenever public comes with donations, we can give loans as well. But we are not in a position to provide hostels for each school.

श्री नारायणसिंह : Villages like Durgawas etc. are very small and in such villages especially when there is a Higher Secondary School and education is imparted in, say in 10 sq. miles, I think, it is very necessary that there are hostels.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : For this my suggestion is that the Hon'ble member who has visited one village Deoli which I also visited where the people of that area have constructed their hostel for two thousand rupees and having an accomodation for 30 students, I request all the members who are interested in education that they should bring forward such schemes and...

श्री नारायणसिंह : Will the Government consider some expansion if the villagers contribute some funds ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes.

पंचायत समिति चाकसू क्षेत्रान्तर्गत हुए अग्निकाण्ड

४५६. **श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट—सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर में सन् १६६० से आज तक अग्निकाण्ड कितने किस २ पंचायत के किन किन ग्रामों में हुए और कितना कितना नुकसान हुआ ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री नाथूलाल करोल)

(ख) पंचायत समिति ने इस नुकसान का कितना हिस्सा व्यक्तिगत दिया है और इस प्रकार कुल कितनी रकम अग्नि पीड़ितों को दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) पंचायत समिति चाकसू में आज तक जिन जिन पंचायतों के जिन जिन ग्रामों में नुकसान हुआ उनकी सूची मय नुकसान के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री नाथूलाल करोल : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि नुकसान का कितना हिस्सा दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो नियम निर्धारित किये हुए हैं वे राजस्थान के राजपत्र दिनांक २५ फरवरी, १९६० में प्रकाशित हुए हैं और उन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति अपना २ कोष स्थापित करके इस प्रकार के प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त सहायता देने के लिए प्रावधान करती है। जैसे गृह विहीन हो जाय, चारे की व्यवस्था करना, जिनके पास खाने-पीने की कोई स्थिति नहीं है उनके लिए भोजन का प्रबन्ध करना और जिन व्यक्तियों के पास कोई आश्रय नहीं रहा है उन व्यक्तियों को प्रत्येक को १।६ ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस सूची में किसी पंचायत का चतुर्थ हिस्सा और किसी पंचायत का दसवां हिस्सा और किसी पंचायत का बीसवां हिस्सा नुकसान का दिया जाता है, यह किस प्रकार से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स में ज्यादा से ज्यादा १।६ वां हिस्सा देने का प्रावधान है। पंचायत समिति डिस्क्रीशन यूज़ करती है कि कितना दिया जाय। मैं पहले भी सदन में अर्ज कर चुका हूँ कि इस प्रकार का नुकसान हो आग लगने से तो यह सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कम्पेन्सेशन दिया जाय। यह तो इमीजियेट रिलीफ है जो कि एमर्जेन्सी में देना चाहिये। सारे फण्ड्स पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दिये गये हैं। किसी के पास खाने—पीने के साधन नहीं हैं तो उसको इमीजियेट रिलीफ देने की व्यवस्था है। लेकिन जिनके पास साधन हैं, काम चला सकते हैं उनको नुकसान होने के बावजूद भी मुआवजा देने की बात नहीं है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। यह पंचायत समिति का काम है कि वह देखे कि किसके अधिक नुकसान हुआ है और कौन साधन रहित हो गया है। माननीय सदस्य पंचायत समिति के स्वयम् मेम्बर हैं, वे ज्यादा जानते हैं कि किन कारणों से डिस्क्रीशन यूज़ किया जाता है। कुछ को अधिक दिया हो, हो सकता है कि उसको अधिक की आवश्यकता थी और जिनके पास साधन हों और जिनको रिलीफ देने की आवश्यकता न हो इसलिए कम दिया गया हो।

श्री नाथूलाल करोल : पंचायत छारेल में एक व्यक्ति के ३००) रु० का नुकसान हुआ

(श्री नाथूलाल करोल)

तो उसको १००) रु० दिया गया और ग्राम कादेड़ा में जिसके ३,०००) का नुकसान हुआ उसको १५०) रु० दिया गया। इसलिए दिया कि ३००) रु० का जिसके नुकसान हुआ वह व्यक्ति जगन्नाथ है और माननीय मंत्रीजी का खास आदमी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने थोड़े ही दिया है।

श्री नाथूलाल करोल : कहने का मतलब यह है कि पक्षपात बरता जा रहा है। छादेल में चार हिस्सा और वहां ३० वां हिस्सा। यही जानकारी कराने के लिए मैंने यह क्वेश्चन पुट-अप किया था, वर्ना इसकी आवश्यकता नहीं थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

जिला उद्योग अधिकारियों के पद पर हुई नियुक्तियां

४६०. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि गंगानगर के जिला उद्योग अधिकारी की क्लीयर वेकेन्सी पर आर. पी. एस. सी. से हैन्डलूम इन्स्पेक्टर के पद पर रिजेक्ट हुए व्यक्ति को सब्सटेन्टिव नियुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि इस व्यक्ति का अपॉइन्टमेंट केवल यू. डी.-सी. पद पर है ? यदि हां, तो क्या इस नियुक्ति से डी. आई. ओ. की पोस्ट से नीचे गजटेड केडर की पोस्टों पर काम करने वाले अधिकारियों के अधिकारों को आघात नहीं पहुंचा और उसके फलस्वरूप विभाग के कर्मचारियों में असन्तोष नहीं फैला ?

(ख) क्या यह सही है कि जयपुर में डी. आई. ओ. तथा असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, इन्डस्ट्रीज़ की अस्थायी रूप से खाली जगहों पर क्रमशः एक यू. डी. सी. तथा एक बहुत जूनियर डी. आई. ओ. को नियुक्त किया गया है ? डी. आई. ओ. की जगह किस यू.-डी. सी. को नियुक्त किया गया है और वह क्या डी. आई. ओ. से नीचे के स्थान हैन्ड-लूम इन्सपेक्टर की जगह तक के लिए आर.-पी. एस. सी. से सिलेक्ट तक नहीं हुआ है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी हाल ही में बूंदी जिले की डी. आई. ओ. की क्लीयर वेकेन्सी पर एक बहुत जूनियर एक्सटेन्शन ऑफिसर को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व इस विभाग में अन्य गजटेड ऑफिसर्स को यह चान्स नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(घ) क्या उक्त नियुक्तियों के विरोध में विभागाध्यक्ष के पास सम्बन्धित अधिकारियों के कोई रिप्रेजेन्टेशन्स आए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या एक्शन लिया गया ? यदि नहीं, तो इतनी विलम्ब का क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) गंगानगर के जिला उद्योग

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

अधिकारी के रिक्त स्थान पर हैन्डलूम इन्स्पेक्टर गंगानगर की अस्थायी रूप से दिनांक २–२–५६ के आदेश द्वारा नियुक्ति की गई थी किन्तु नियुक्ति के समय तक वह राज्य सेवा आयोग द्वारा हैन्डलूम इन्स्पेक्टर के पद के लिए अनुपयुक्त नहीं माने गये थे। इस नियुक्ति के काफी समय बाद उपर्युक्त हैन्डलूम इन्स्पेक्टर को राज्य सेवा आयोग द्वारा हैन्डलूम इन्स्पेक्टर के पद के लिये अयोग्य माना गया। यह सच नहीं है कि उपरोक्त व्यक्ति की स्थाई नियुक्ति यू. डी. सी. पद पर है। चूंकि यह नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई थी ऐसी दशा में जिला उद्योग अधिकारी के नीचे के गजटेड पदों के अधिकारियों के अधिकारों को आघात पहुंचने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) संचालक उद्योग व रसद विभाग के टैक्निकल असिस्टेन्ट को जब प्रशिक्षण के लिए जापान भेजा गया तो उनके स्थान पर सहायक संचालक उद्योग व रसद विभाग जयपुर की अस्थाई नियुक्ति की गई और उनके रिक्त पद पर इसी जिले के उद्योग अधिकारी की अस्थाई नियुक्ति की गई जिसको अपने पद का कार्य भी साथ ही सम्पादन करने के आदेश हुए। किन्तु दोनों पदों का कार्यभार साथ साथ सम्पादन करने में कठिनाई अनुभव होने पर उनके तुरन्त ही नीचे वाले पद हैन्डलूम इन्स्पेक्टर की अस्थाई नियुक्ति बतौर जिला उद्योग अधिकारी की गई। ये सब नियुक्तियां टैक्निकल असिस्टेन्ट के जापान जाने के क्रम में रिक्त हुए स्थानों पर प्रशिक्षण के समय के लिए ही की गई थी और नियुक्ति के आदेश में यह स्पष्टतया अंकित कर दिया गया था कि इन अस्थायी नियुक्तियों से किसी अन्य अधिकारी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सही है कि सहायक संचालक, उद्योग विभाग, जयपुर के पद पर अस्थाई समय के लिए प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से एक जूनियर जिला उद्योग अधिकारी की नियुक्ति की गई किन्तु किसी भी यू. डी. सी. को जिला उद्योग अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया। यह ठीक है कि उपरोक्त हैन्डलूम इन्स्पेक्टर को उनकी नियुक्ति के कई महीनों बाद राज्य सेवा आयोग द्वारा हैन्डलूम इन्स्पेक्टर के पद के लिए अयोग्य माना गया।

(ग) श्री एस० के वर्मा जिला उद्योग अधिकार बूंदी की नियुक्ति सुपरिन्टेन्डेन्ट ड्राजेट तथा कारपेट प्रोडक्शन कम-डिमोन्स्ट्रेशन सेन्टर, जयपुर के पद पर होने पर वह पद रिक्त हो गया और उसका कार्यभार सम्हालने की आज्ञा जिला उद्योग अधिकारी कोटा को दी गई। क्योंकि जिला उद्योग अधिकारी कोटा सहायक संचालक उद्योग विभाग भरतपुर का भी कार्य कर रहे थे वे दो पदों का अतिरिक्त कार्य सुचारु रूप से संपादित नहीं कर पा रहे थे। ऐसी दशा में दि० १४–१०–५६ को श्री रणवीरसिंह की अस्थायी नियुक्ति जिला उद्योग अधिकारी बूंदी के स्थान पर की गई। यह व्यवस्था इसलिये की गई थी कि श्री रणवीरसिंह सब से नजदीक वाले प्रसार वाले क्षेत्र में प्रसार अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे। अब एक सीनियर अधिकारी श्री सी० एम० मिश्रा को जिला उद्योग अधिकारी बून्दी के पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्त कर दिया गया है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(घ) जी हां। सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि सीनियोरिटी लिस्ट की अनुपस्थिति में समस्त अस्थाई व कार्यवाहक नियुक्तियां एडहॉक बेसिस पर की गई हैं जो शीघ्र ही सर्विस रूल्स के अनुसार रेगुलेटेड की जायेंगी। इनका प्रभाव किसी भी प्रकार वास्तविक अधिकारी पर नहीं पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के ऑफिस वालों के लिये कोई इन्टीग्रेटेड सीनियोरिटी लिस्ट बना दी गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सर्विस रूल्स बना दिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। यह अलग से सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या गंगानगर में हैन्डलूम इन्सपेक्टर को डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफिसर के पद पर नियुक्त किया गया ? क्या इस प्रकार का अन्य आदमी नहीं था जो सीनियोरिटी के हिसाब से उस पद पर आ सकता था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अपने जवाब में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसका एडहॉक अपोइन्टमेन्ट किया गया, पास में होने की वजह से। उससे किसी दूसरे के अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हुआ, इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता है। वह तो केवल एडहॉक अपोइन्टमेन्ट था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओफिशियेटिंग अपोइन्टमेन्ट जो किया जाता है उसमें नेक्स्ट सीनियर आदमी को चान्स दिया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि उनका अपोइन्टमेंट केवल एडहॉक था।

श्री अध्यक्ष : ये परिस्थितियां कब तक चलेंगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अब रेगुलराइज़ कर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में सब सर्विस रूल्स बन चुके हैं क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या प्रोमोशन रूल्स भी बन चुके हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सर्विस रूल्स के साथ प्रोमोशन रूल्स भी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये प्रोमोशन रूल्स कब बन गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कुछ दिनों पहले निकाले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जो इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ थीं उनको रेक्टिफाई कर दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें इर्रेगुलेरिटीज़ का सवाल ही नहीं, केवल काम चलाने के लिये टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट किया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर के पद पर वही व्यक्ति काम कर रहा है जो हैन्डलूम इन्सपेक्टर के पद के लिये रिजेक्ट कर दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सेवाड़ी से सायरा तक व एरिनपुरा रोड से बाली तक सड़क का निर्माण

४३५. **श्री मोनीबाबा** (बाली) [श्री बेनाराम गहलोत (खारची) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सेवाड़ी से सायरा (मेवाड़) व एरिनपुरा रोड से सेवाड़ी होती हुई बाली तक सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कब तक सर्वे कराया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : जिस सड़क के बारे में पूछा गया है क्या उस सड़क को बनाना सरकार आवश्यक नहीं मानती ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें आवश्यकता का सवाल नहीं है।

पाली जिले के समाज कल्याण केन्द्र

४४०. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में कितने समाज कल्याण केन्द्र कहां कहां स्थापित हैं और उनमें कितना कितना स्टाफ किस किस ओहदे का कार्य कर रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन केन्द्रों के लिये कितनी कितनी धन-राशि चालू वर्ष में किस किस कार्य के लिये स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी धन-राशि किस किस कार्य पर व्यय की गई और कितनी धन-राशि शेष रही ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इन केन्द्रों द्वारा क्या क्या प्रशिक्षण के कार्य किये गये और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बा सवाल है, जो जानकारी चाही गई है वह इतने अल्प समय में प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये आयन्दा के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

महिला विद्यापीठ तथा गर्ल्स कालेज में गृह विज्ञान विषय का अध्ययन

४४२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में महिला विद्यापीठ तथा गर्ल्स कॉलेज कहां कहां पर हैं और दोनों शिक्षा संस्थाओं में क्या अन्तर है।

(ख) उपरोक्त शिक्षा संस्थाओं में क्या क्या विषय पढ़ाये जाते हैं ? क्या गृह विज्ञान का विषय भी इन संस्थाओं की छात्राओं को पढ़ाया जाता है ?

शिक्षा उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) राजस्थान में निम्न लिखित गैर सरकारी व सरकारी गर्ल्स संस्थायें हैं।

सरकारी

महारानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर।

गर्ल्स कॉलेज, कोटा।

महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर।

राजमहल गर्ल्स कॉलेज, जोधपुर।

गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर।

गर्ल्स कॉलेज, श्री गंगानगर।

गैर सरकारी :

सोफिया कॉलेज, अजमेर।

सावित्री कॉलेज, अजमेर।

राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर।

वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, टोंक।

सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के कॉलेजों में राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है और इसमें कोई अन्तर नहीं है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या इन सभी महिला शिक्षण संस्थाओं में गृह विज्ञान की शिक्षा चालू है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार आवश्यक नहीं मानती है कि जहां जहां भी गर्ल्स के लिये शिक्षण संस्थायें हैं उनमें गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हर विषय हर कॉलेज में खोला जाय यह आवश्यक नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जहां पर गृह विज्ञान का विषय नहीं हैं और वहां की लडकियां यदि पढ़ना चाहें तो उनके लिये क्या प्रबन्ध है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यदि ज्यादा संख्या सीखने वाली बालिकाओं की होती है तो खोलने की सुविधा दी जा सकती है।

Page No.27

डॉ० चन्द्रकला : जिन कॉलेजों में गृह विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था नहीं है तो क्या वहां छात्राओं ने गृह विज्ञान सीखने के बारे में रुचि जाहिर नहीं की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे सामने ऐसी कोई मांग नहीं आई।

डॉ० चन्द्रकला : बढ़ाने के लिये जब मांग आये तभी उस पर विचार किया जाता है या सरकार खुद विषय की उपयोगिता को सोचकर उसके पढ़ाने की व्यवस्था करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां। नीड्स ऐसेस कर लेते हैं कि कितने स्टुडेन्ट्स किस किस विषय के हैं और कौन कौन से विषय लेना चाहते हैं। यह डिपार्टमेन्ट को मालूम होता है। इसके अलावा जहां ज्यादा ताकीदी हो वहां की छात्र–छात्रायें भी बता सकते हैं। विषय की उपयोगिता देखकर खोला जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार गृह विज्ञान की उपयोगिता कहां तक मानती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बहुत उपयोगी समझती है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री बेनाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या ४५० का उत्तर दिलाया जाय।

भांभियों से बिना मुआवज़ा दिये काम लिया जाना

४५०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [श्री बेनाराम गहलोत (खारची) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि पटवारियों को वसूली में ग्रामों में भांभियों से काम लेना पड़ता है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उन भांभियों से बेगार में यानी बिना मुआवजा काम लेना कानून के खिलाफ़ है जब कि चौधरियों को भी मुआवजा दिया जाता है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि जालोर जिले में पटवारी लोग ग्राम भांभियों से वसूली में काम लेते हैं और जागीर रिज़्यूम होने के बाद किसी को मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) रक़म वसूली की जिम्मेदारी लम्बरदारों पर है और वे ही वसूली करते हैं। अतः पटवारियों द्वारा ग्राम भांभियों से काम लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह आज्ञा प्रचलित कर दी गई है कि भांभियों से आसामियों को बुलाने का काम न लिया जावे। लम्बरदार अपना स्वयं इन्तजाम करेंगे और लम्बरदार भांभियों से यह काम लेंगे तो उन्हें उचित मेहनताना देना होगा।

(ग) वसूली में पटवारियों द्वारा भांभियों से काम लेने का प्रश्न ही नहीं उठता जब कि वसूली लम्बरदार करते हैं, पटवारियान नहीं।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : तो क्या यह समझा जाय कि भांभियों से काम नहीं लिया जाता है ?

Page No.28

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा कि निवेदन किया इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं। लम्बरदारों को काश्तकार अपनी पैदावार का कुछ अनाज देता है, मगर उनके लिये यह तरीका नियत कर दिया गया है कि अगर उनसे काम लिया जाता है तो उनको पैसा देना चाहिये। लम्बरदारों को जो परसेन्टेज मिलता है उसमें से पेमेंन्ट करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में एक जाति विशेष के आदमी जो भांभी और मेघवाल होते हैं जिनको पटवारी ग्राम भांभी कहते हैं उनको भोग लाटे वगैरह होते हैं उसमें से दिया जाता है। लेकिन अब उनसे मुफ्त में काम लिया जाता है, जैसे जरीब उठाना, गांव से किसी को बुलाना, तो क्यों न उनको चपरासी जितनी तनख्वाह दे दी जाय?

श्री दामोदरलाल व्यास : जरीब उठाने के लिये सेपरेट ग्रान्ट दी जाती है। इसके अलावा जो आसामियान को बुलाने आदि का काम लिया जाता है पटवारी को उसमें से कुछ हिस्सा दे देते हैं, ताहम भी यह आदेश दे दिये गये हैं कि जब तक किसी को पैसा नहीं मिलता उनसे काम नहीं लिया जा सकता। जहां तक जरीब उठाने के सवाल है उसके लिये पटवारी को लेबर एन्गेज करना चाहिये। अगर माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे कि कहीं पटवारियों ने बगैर पेमैन्ट किये हुए बेगार ली तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री सूरजमल (फलौदी-सु.) : ये ऑर्डर्स कब जारी किये हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस बात के ऑर्डर्स?

श्री सूरजमल : बेगार नहीं लेने के।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये तो हमेशा से जारी हैं। वे अनाज देते हैं, मगर कैश देने के ऑर्डर्स जारी किये हैं। जब मेरे नोटिस में आया कि एवज में वे अनाज देते हैं तो यह ऑर्डर्स जारी किये हैं कि या तो उनसे काम ही नहीं लिया जाये और अगर कोई काम लेता है तो उनको कैश में पेमेन्ट करे।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी को जानकारी दूंगा कि आपके राजस्थान में जो पटवारी हलके के काश्तकार हैं उनको बुलाने के लिए भांभी के सिवाय और कोई नहीं बुलाकर लाता और इनसे लम्बरदार बेगार में काम लेते हैं और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर चुका हूँ। पटवारियों के काम लेने की मुझे जानकारी नहीं है। इस सवाल के अनुसार जोधपुर डिविज़न में लम्बरदार जरूर बुलाने का काम लेते हैं। उनका कहना है कि भांभियों को, आसामियों को बुलाने का अनाज देते हैं। पर मैंने अब ऑर्डर्स दे दिये हैं कि अगर भांभियों से काम लेना चाहते हैं तो उनको कैश में पेमेन्ट किया जाये। वैसे बुलाने आदि की जिम्मेदारी लम्बरदारों की है कि आसामियों से वसूल करें। सारे राजस्थान में ऐसा होता है। उनकी जानकारी ठीक नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उनको जो अनाज दिया जाता है वह किसानों से वसूल किया जाता है ?....

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिए ही तो मैंने ऑर्डर्स दिये हैं कि उनको जो पर्सेन्टेज मिलता है उसमें से दिया जाये।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : उनको ५ पर्सेन्ट मिलता है तो उसमें से कितना परसेन्टेज दिया जाये, यह आपने तय किया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो वे आपस में कान्ट्रेक्ट कर लें कितना देना चाहिए कितना नहीं, इसमें सरकार क्या करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने जो ये आदेश दिये हैं ये किस कानून के तहत दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस कानून के तहत कोई किसी से बेगार नहीं ले सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन बेगार लेने के लिए पेमेन्ट देना पड़ेगा, यह किस कानून में लिखा है कि बेगार लेने के लिए पेमेन्ट देना पड़ेगा। लम्बरदारों को जो भी परसेन्टेज दिया जाता है वह तो लैण्ड रेवेन्यू के तहत उनका अपोइन्टमेन्ट है लेकिन डोम वगैरह जो बेगार करते हैं आसामियों को बुलाने की वह बेगार है और उसके लिए पेमेन्ट दिया जाये तो ये ऑर्डर्स आपने किस कानून के तहत जारी किये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब कहा बेगार के लिए पेमेन्ट किया जाये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी अभी कहा है कि मुफ्त में काम नहीं ले सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a matter between them. मैं साफ कह रहा हूं कि बगैर पैसे दिए हुए काम नहीं लिया जा सकता। अगर काम लेते हैं तो 'they must pay' इसमें बुरी बात क्या है ? जिस कानून के जरिये बेगार नहीं ले सकते और बेगार लेना कानूनन अपराध है उसके तहत ही ये आदेश जारी किये गये हैं. You must pay if you want to take work out of them.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि लम्बरदारों को बुलाने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए उनको अलग से कुछ दिया जाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार इस काम के लिए खर्चा देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि लम्बरदारों को इसके लिए ऑलरेडी पे किया जा रहा है और इसीलिए ये आदेश दिये हैं कि वे अपनी परसेन्टेज में से उनको पे करें क्योंकि यह बुलाने का काम उनका है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या सरकार उनका झगड़ा बनाये रखना चाहती है ? अगर सरकार यह चाहती है कि उनके आपस के बीच में झगड़े न हों तो क्यों नहीं आप उनके बीच में परसेन्टेज फिक्स कर देते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। लम्बरदारों को अपना खुद इन्तजाम करना चाहिए कि वे किस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तरह से वसूली करते हैं। अब यह उनकी मर्जी है कि वे किस तरह से वसूली करते हैं। अगर वह भांभियों से, मेघवाल आदि से वसूली करने के काम में कोई काम लेना चाहते हैं तो उनको अपने परसेन्टेज में से कैश में पे करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह आदेश किस कानून के तहत दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी जवाब नहीं दिया है। आपने अभी कहा है कि अगर बेगार लेते हैं तो उनको पे करें, तो फिर बेगार किस कानून के तहत ली जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने यह नहीं कहा है कि परसेन्टेज दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने कहा है कि जो उनको मिलता है उसमें से प्रपोर्शन दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का कहना है कि भांभियों से नहीं बुलाया जा सकता। अगर पटवारी या नम्बरदार इत्यादि चाहते हैं कि बुलाने के लिए किसी आदमी की सर्विसेज़ की आवश्यकता है तो वे स्वयं पे करें। इसलिए सरकार की तरफ से परसेन्टेज दिलाने की बात मन्त्री महोदय ने नहीं कही है।

श्री किशनाराम : लम्बरदार जो लगान वसूल करते हैं तो वे तो एक तरह से सरकारी आदमी हुए और ये जिनसे काम करवाते है तो उनको तो गवर्नमेन्ट को ही पे करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी लम्बरदारी सिस्टम को एबॉलिश करने का काम एक्टिवली किया जा रहा है और शायद जल्दी ही हो जायेगा।

श्री किशनाराम : वे बेचारे भांभी, मेघवाल वगैरह हैं जो लम्बरदारों की बेगार करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। माननीय मन्त्री महोदय कैसे कह देंगे कि इनसे काम नहीं लिया जाये और अगर लिया जाये तो पे किया जाये। यह तो बेचारे गरीब काम करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इस प्रकार का स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाये कि जितने भी भांभी और मेघवाल, सांसी इत्यादि हैं उनसे किसी प्रकार की बेगार नहीं ली जाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि इस प्रकार के ऑर्डर्स जारी कर दिये गये हैं कि उनसे बगैर पेमेन्ट किये कोई काम नहीं लिया जाये।

श्री तनसिंह : मगर वह तो लिया जाता है, जबरदस्ती लिया जाता है। असल में तो यह है कि उनसे काम लिया जाता है फिर आप उसमें कुछ न कुछ तो कीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई आज के जमाने में फोर्स्ड लेबर नहीं ले सकता। अगर लेता है तो कानूनी अपराध करता है। इस प्रकार की शिकायत कीजिए। अगर कोई बेगार लेता है तो कानून के मुताबिक उसको सजा होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जितने भी भांभी वगैरह होते हैं वे गरीब आदमी होते हैं और उनसे बेगार में काम लिया जाता है। अगर वे नहीं करते हैं तो उनको नाजायज परेशान किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप फोर्स्ड लेबर की बात करते हैं, उनको जबरदस्ती बुलाने के लिए भेजा जाता है। अगर वह शिकायत करने जाते हैं तो उनको जूते लगाये जाते हैं। माननीय सदस्य आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और सरकार यह आज्ञा जारी कर देती है कि भांभियों से कोई काम नहीं लिया जायेगा. It is a matter between Lambardars, Beldars and Malis. वह किसी से भी काम ले चाहे ब्राह्मण से ले या किसी और से ले। आपका क्या सम्बन्ध है इस बात से? जिसको भी पैसा देंगे उसी से काम लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैंने साफ साफ कहा है आज के जमाने में कोई किसी से काम नहीं ले सकता बिना पे किए हुए। अगर कोई लेता है तो उसको पे करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मोतीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। क्या सरकार के ध्यान में है कि इन भांभियों से काम लेने के बाद पटवारी हर एक खातेदार से, ८ आना फी खाते के हिसाब से पैसा लेता है और भांभियों को पैसा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.८ म० प०

ध्यान आकर्षित करने सम्बन्धी नोटिस

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक Call Attention Notice दिया था। नाथद्वारा के टेम्पल बोर्ड की मीटिंग हो रही थी वहां पर काफी ज्यादती....

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में फैक्टस् मंगवाये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर ज्यादती की गई है और लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है। मेरे पास दो तार आये हैं। एक तो कल आया और एक अभी आया है। वहां पर लोगों को पुलिस कस्टडी में इतना मारा जा रहा है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर की जगह वर्क करते हैं और दिन भर में फैक्टस् कलेक्ट कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : फैक्टस् मंगवाये जायं।

श्री भीमसेन।

(१२.०६ म० प०)

मांग संख्या ६–सिंचन, नौचालन इत्यादि (पूर्वक्रम से)

[इस मांग पर आज निम्नलिखित सदस्यों निम्नलिखित के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री भीमसेन :

(७) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन तथा तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)।

(८) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की शिडयूल्ड रेट्स की तालिका अप–टू–डेट रखने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)।

(१०) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को प्राविधिक एवं आर्थिक सुविधा दिये जाने के लिये ध्यान आकर्षित करने हेतु)।

श्री दयाकृष्ण विजय :

(४१) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल बांध के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में वाद–विवाद करने हेतु)।

(४२) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील अटरू में अंधेरी नदी की नहरों जिसको बने काफी अर्सा हो चुका है, मरम्मत नहीं होने से फसल को नुकसान होने पर वाद–विवाद करने हेतु)।

श्री रावतमल पारीक :

(४३) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन नौचालन तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय। (कोलायत तहसील के बांधों की मरम्मत की ओर ध्यान दिलाये जाने हेतु)।

(४४) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १) रु० की कटौती की जाय (कोलायत तहसील के टूटे हुए बांधों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु)]।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग संख्या ६ पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। मैंने इन प्रस्तावों के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहा है कि हमारी सरकार सिंचाई विभाग की मार्फत जो भी कार्य करवाती है उसमें सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाये। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह कह सकती है कि सरकार की यह नीति है कि हम सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, केवल कहने और करने में बहुत फर्क होता है। तो हम यह चाहते हैं कि वास्तव में आज जो व्यक्तिगत ठेकेदारों से काम करवाया जाता है उसमें बहुत सी खामियां

(श्री भीमसेन)

रह जाती हैं और फिर अच्छा मैटिरियल भी काम में नहीं लाया जाता। बहुत सी बुराइयां होती हैं। इससे हमारे राष्ट्र के धन का अपव्यय भी होता है और बहुत बार हमारे बांध टूट जाते हैं और बहुत बार हमारे काम खराब हो जाते हैं। तो इस तरह के व्यक्तिगत ठेकेदारों से सरकार काम नहीं करवाये और सरकार यह नीति बना ले कि जितने भी काम हैं चाहे वे सिंचाई विभाग के हों या और किसी विभाग के हों, सहकारी समितियों द्वारा ही सारे काम करवाये जायें। अध्यक्ष महोदय, इससे कई लाभ होंगे। एक तरफ तो सहकारी समितियों को भी लाभ होगा और हमारे मजदूरों की जेबों में भी पैसा जायेगा और उसके साथ ही साथ जितने भी काम होंगे वे ठीक ढंग से होंगे और जो माल लगाया जावेगा वह भी स्टेन्डर्ड का होगा और आपस में जो करप्शन चलता है उसमें भी कमी आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि श्रमिक वर्ग सहकारी समिति को शिडयूल्ड रेट्स पर काम दे दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक नीति बना ली है, लेकिन राज्य सरकार के जो ऑफिसर हैं, वे उसका पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। अब यह राजस्थान सरकार की नीति है कि शिड्यूल्ड रेट्स हैं वे हर साल रिवाइज़ होनी चाहिए, उनको वे हर साल रिवाइज़ नहीं करते हैं। जहां सरकार की नीति है कि श्रमिक वर्ग की सहकारी समितियों को शिडयूल्ड रेट्स पर काम दिया जाय और शिडयूल्ड रेट्स को रिवाइज़ नहीं किया जाता है, तो इससे होता क्या है कि व्यक्तिगत ठेकेदारों को मौका मिल जाता है, और व्यक्तिगत ठेकेदार शिडयूल्ड रेट्स से परसेन्टेज एबव देकर सरकार से काम ले लेते हैं, और इसके कारण सहकारी समितियों को दिक्कत रहती है। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्कर्स के जो शिडयूल्ड रेट्स है उनका रिवीज़न एन्युअली हो। हर साल अप टू डेट शिडयूल्ड रेट्स देंगे तो सहकारी समितियों को शिडयूल्ड रेट्स पर काम मिल सकेगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि इन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता, फाइनेन्शियल असिस्टेन्स दी जाय। फाइनेन्शियल असिस्टेन्स इस मायने में कहना चाहता हूँ कि उनको लोन देने की व्यवस्था की जाय। उसके साथ साथ उनको टेक्निकल गाइडेन्स देने की सुविधा होनी चाहिए डिपार्टमेंट की ओर से, जिससे कि सहकारी समितियां ठीक तौर से काम कर सकें, और ठेकेदारों का मुकाबिला कर सकें। यदि सरकार सही मायने में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो सरकार को निश्चित रूप से इस ओर कदम उठाना पड़ेगा। केवल नीति बनाने से काम नहीं चलेगा। उसको कार्य रूप में परिणत करके देखना चाहिए, जिससे मजदूरों को विश्वास हो सके और राष्ट्रीय धन का व्यक्तिगत ठेकेदारों द्वारा दुरुपयोग होता है वह बच जाय। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीति है वह सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की है उस नीति को सरकार अमल में लायेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७ के अन्तर्गत मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला मेरा कटौती प्रस्ताव है चम्बल बान्ध के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा के अन्दर चम्बल बांध का निर्माण हुआ है और उससे काफी ज़मीन का सिंचन होगा। यह सही है कि वह एक बहुत ही लाभप्रद चीज़ बनी है और उसके ऊपर हमारा करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। लेकिन इस खर्चे के तहत जहां एक ओर लाभ का पक्ष है वहां दूसरी ओर उन बहुत सारी बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बांध के निर्माण में जो कुछ भी स्टोर रखे गये थे, उन स्टोर्स में काफी चोरियां हुई हैं, काफी अनियमितताएं हुई हैं, और काफी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। मैं उन सारी घटनाओं का, बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता। कुछ मोटी मोटी घटनाएं और किस किस प्रकार से, किस किस तरह से स्टोर्स की चोरियां हुई हैं उनके बारे में बतलाऊंगा। सबसे मोटी चीज़ जो है वह सीमेन्ट की बोरियां और लोहे का कोटा है। जितनी भी सीमेंट की बोरियां व लोहे का कोटा आता है उसका सही हिसाब नहीं है कि कितना कहां २ खर्च होता है। आम शिकायत यह है कि वहां के स्टोर्स के कर्मचारी मिलकर सीमेंट और लोहे के सारे सामान को बाहर ले जाकर बेचते हैं। अभी की घटना से मालूम पड़ा है कि वहां पर काफी चोरियां हुई हैं; सीमेंट की बोरियां और लोहे का कोटा पकड़ा गया है बम्बई में जाकर। सारी बातों से ऐसा लगता है कि हमारे यहां सामान की काफी इस इस प्रकार से चोरियां होती रही हैं। अभी १६. १२. ६१ का जिक्र है कि १६. १२. ६१ को स्टोर से चोरी किया गया डायनेमाइट, जिसका वजन ४०० पौंड के लगभग था, ताला तोड़ कर स्टोर से चोरी गया हुआ मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, थानेदार भीमगंज ने इस केस को अपने हाथ में लिया, लेकिन उसने अच्छी तरह से इस केस को डील नहीं किया। जब इसकी शिकायत की गई कि वे इस केस को दबाना चाहते हैं, तो सी. आई. छोटेलाल वर्मा ने अपने हाथ में लिया और विचित्र सिंह नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जांच की गई तो स्टोर से आगे खाली वगैरह हैं। उन खाली वगैरहों में जमीन के अन्दर गड्ढों में गड़ी हुई ४ पेटियां मिलीं। इसके अलावा २ पेटियां पीछे पड़ी हुई मिलीं जिनको बरामद किया गया। इस प्रकार स्टोर्स से १, २ फर्लांग की दूरी पर जंगल में दबाई हुई पेटियां बरामद की गईं।

टी. एन. टी. के एक्सप्लोजिव्स हैं उनको भी लोगबाग ले जाते हैं, चोरी करके मछली मारने के लिए। जितने भी चम्बल के अधिकारी और कर्मचारी हैं वे मछली मारने के लिए टी. एन. टी. एक्सप्लोजिव्स को इस्तेमाल में लेते हैं। इस तरह से सारा वहां से स्टोर से जितना माल गया हुआ है उसको बरामद कराने का और उसकी जांच कराने के लिए मैं समझता हूँ कि एक कमेटी बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। जितनी भी आज तक सीमेंट की बोरियों का पता लगता है वह बाहर जा जाकर बिकी हैं, बाहर बहुत सस्ती कीमतों पर बिकी हैं। जितना भी माल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ठेकेदारों को दिया जाता है वह खर्च नहीं होता है। कुछ ठेकेदारों द्वारा ब्लैक किया जाता है। इस तरह की सारी घटनाएं इसमें होती हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि लोहे के कोटे की जांच कराने के लिए एक कमेटी बिठाने की आवश्यकता है।

चम्बल के मामले में इस तरह से मैं एक इन्जीनियर साहब का जिक्र करूंगा, जिनके खिलाफ बहुत बड़ा केस चल रहा है एन्टी करप्शन में। उस केस की जांच काफी तेजी से चल रही है। उनका नाम आचार्य साहब है। उनके बारे में केस को दबाया जा रहा है और उन पर इस प्रकार से चम्बल बांध के सारे सामान को इधर उधर करने के गम्भीरतम आरोप हैं। ठेकेदार उनसे मिले हुए हैं इस प्रकार से सामान इधर उधर करने के लिए। इस प्रकार के गम्भीर आरोप उन पर लगे हुए हैं।

मैं यह कहना चाहूँगा कि सामान जितना भी जाता है, चाहे वह सीमेंट हो, चाहे लोहे का सामान हो, चाहे एक्सप्लोज़िव्स हों, डायनेमाइट हो, जो कि काम में आती है पत्थर तोड़ने के, इन सब के लिए इस प्रकार की स्थिति से पता नहीं लगता है कि कितना कहां खर्च कर दिया है, इसकी जांच की जानी चाहिये जो कि इस वक्त इधर उधर पकड़ने में आता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, और करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद जनता इस प्रकार की शंका करती है। जब इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं, सीमेंट की चोरियों की और लोहे की, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। यह सही पाया जाता है, जब वे इस तरह से प्रमाणित हो जाती हैं कि बहुत सारा सामान गया हुआ है, तो उनकी जांच कराने के लिए एक कमेटी बिठाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यदि इस कमेटी को बिठायेंगे और आज तक जितने भी एन्टी-करप्शन को केस दिये हैं उन सारे एन्टीकरप्शन के केसेज़ की अच्छी तरह से जांच होती है तो निश्चित रूप से काफी रुपयों का गोलमाल तथा काफी सामान इधर उधर करना पाया जायगा।

मैं यह कहना चाहूँगा कि चम्बल के स्टोर्स से जितनी चोरियां हुई हैं, ताला तोड़कर हुई हैं या दूसरे प्रकार से हुई हैं, उन सब की जांच कराई जानी चाहिए। यह एक परम आवश्यक चीज़ है। इस प्रकार से कितनी ही खबरें बाहर प्रकाशित होती हैं। अभी बम्बई में जो सामान पकड़ा गया है, यहां के लोग बेचते हुए पकड़े गये; वे जिस फर्म को बेच रहे थे उस फर्म ने कहा कि आखिर इतना सस्ता माल क्यों दे रहे हैं? इस प्रकार की शंका होती है तो शंका होने के बाद वह पुलिस को फोन करता है और यहां से एन्टी-करप्शन के लोग जाते हैं, तो सारा केस पकड़ा जाता है और सारा माल बरामद किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन केसेज़ को बहुत जल्दी पकड़ना चाहिए। इनके आधार पर दूसरे केसेज़ का भी पता लगेगा, उनका सर्वांग रूप से पता लगेगा। चम्बल बांध के घोटालों में छोटे और बड़े सभी का नाम लिया जाता है। इन्जीनियर्स का नाम लिया जाता है। गोदामी लोग हैं उन सारों की भी जांच होनी चाहिए और उनके रजिस्टरों का चेकिंग होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी तक इनकी कोई जांच भी ठीक तौर से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नहीं हुई है। इसके लिए जांच करने वाली कोई कमेटी भी नहीं बिठाई गई है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जहां हम इतने बड़े काम करते हैं तो निश्चित रूप से घोटाले अवश्य होते हैं। उनकी जांच अगर कठोरता से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यह काम चलता रहेगा।

इसी प्रकार से मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि अटरू तहसील में एक अन्धेरी नदी है, उस अन्धेरी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। उस बांध से छोटी २ नहरें निकली हुई हैं। उस बांध को काफी वर्ष हो चुके हैं, और उसमें जितनी भी सिल्ट आती है वह वहां पर जमा होती जाती है, और सिल्ट जमा होने की वजह से सारा पानी इस प्रकार से रुक जाता है, और कई जगह नहरें जो हैं वे पुरानी मिट्टी की वजह से जगह २ से टूट गई हैं, और टूट जाने की वजह से जिन खेतों में पानी पहुंचना चाहिए, उन खेतों में पानी नहीं पहुंचता है, इस कारण कई खेत पानी के अभाव में रह जाते हैं। मैं उदाहरण आपको बताऊंगा दड़ा और नीमला गांवों के लोगों को इस प्रकार की शिकायत रही है। वहां नहर से पानी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, और सिंचाई नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि कई जगह से बांध टूटे हुए हैं और उनको ठीक नहीं करवाते हैं। कई बार वहां की पंचायत समिति ने प्रश्न उठाया है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूँ इसके लिये स्पेशल ग्रान्ट होनी चाहिये ताकि बहुत बड़ी बाधाओं से निकल जावे। नहरें टूट गई हैं, किसानों को नुकसान होता है। इन बातों को रोकने के लिये अटरू तहसील में जो नहरें हैं उनकी मरम्मत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिये मैंने ये दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

श्री रावतमल पारीक (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७, पर एक कटौती प्रस्ताव रखा है और दूसरा मांग संख्या ३८ पर रखा है....

श्री अध्यक्ष : अभी मांग संख्या ६ हो चल रही है।

श्री रावतमल पारीक : पहले मैं उसी पर बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, तहसील कोलायत बीकानेर डिविज़न में स्थित है। पुराने बीकानेर स्टेट के समय में कोलायत तहसील में महाराजा साहब ने ५ बांध बनाये थे, जिनके नाम हैं :

(१) पेलाय (गंगासरोवर) (२) मन्डवेली (३) मन्डाल (४) कन्या बांध व (५) भाटिया बांध।

उन बांधों में पानी इकट्ठा होकर वहां की जमीन में, लोगों को सिंचाई के लिये देकर धान उपजाया जाता था। लेकिन राजस्थान बनने के बाद हमारा दुर्भाग्य है कि इन बांधों की नहरें मिट्टी से भर गई हैं और कहीं कहीं टूट गई हैं। इनकी मरम्मत नहीं होने के कारण और उनमें से मिट्टी नहीं निकालने के कारण, पानी बहकर नहीं जाने के कारण बाहर फैल जाता है, जिससे खेती

(श्री रावतमल पारीक)

की जमीन में खेती नहीं हो सकती। इसलिये मैं आपका ध्यान इस कटौती प्रस्ताव द्वारा आकर्षित करना चाहता हूँ कि जल्दी ही इन नहरों में से मिट्टी साफ कराई जावे और जो नहरें टूट गई हैं उनकी मरम्मत कराई जावे ताकि जो जमीन काश्त लायक है उस जमीन को काश्त के लिये इन नहरों के जरिये पानी पहुँचता रहे। यही मुझे निवेदन करना है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, he had forfeited his right yesterday...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस पर बोलना चाहता हूँ।....

श्री अध्यक्ष : किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मांग संख्या ९ पर।

श्री अध्यक्ष : We have time. Let the Hon' ble member speak.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १७ और मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८ के अन्तर्गत जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग प्रस्तुत की गई है इसके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य सिंचाई की दृष्टि से निर्धारित किये गये थे उन सब लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सरकार बहुत असफल रही है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमने ५०३.६ लाख की धन-राशि रखी थी, जो भाखरा और चम्बल की राशि के अलावा थी, उसमें से सरकार केवल ३८७.४७ लाख ही प्रथम योजना में खर्च कर पाई है, लगभग ११६.१३ लाख रुपये खर्च नहीं कर सकी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रथम योजना में लघु सिंचाई योजना की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार से १७५ लाख रुपये राज्य सरकार को मिले थे जिसमें से १०६.६२ रुपये खर्च हुए और ६८.३८ रुपये खर्च नहीं कर सकी। इतना ही नहीं प्लानिंग कमीशन की ओर से स्पेशल ग्रान्ट मिली थी, इसलिये कि राजस्थान मरु भूमि है, राजस्थान में सिंचाई का अभाव है। मरु भूमि और सिंचाई का अभाव होने से यहां की पैदावार बढ़ नहीं सकती इसलिये प्लानिंग कमीशन ने विशेष तौर से २५० लाख रुपये राज्य सरकार को दिये, उनमें से राज्य सरकार केवल १४६.२६ लाख रुपये ही खर्च कर पाई और १७४.४ लाख रुपये कम खर्च कर पाई। इतना ही नहीं, लेकिन इस सब को इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी ४.८१ लाख एकड़ होनी चाहिये थी किन्तु एक्चुअल इर्रिगेशन २.५९ लाख एकड़ जमीन में ही हो पाई अर्थात् २.२२ लाख एकड़ कम रही। इसलिये आधे से भी कम जमीन में सिंचाई की जा सकी क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर ट्रिब्यू-

Page No.38

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टरी नहरें नहीं बनाई गई, और सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सारे साधनों का उपयोग नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो आश्चर्य की बात यह है कि हम एक ओर नारा लगाते हैं कि हमारे पास धन नहीं है और इस बात की शिकायत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, केन्द्रीय सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने, जहां तक सिंचाई का सवाल है मेजर इर्रिगेशन वर्क्स के लिये, मीडियम इर्रिगेशन वर्क्स के लिये और माइनर इर्रिगेशन वर्क्स के लिये काफी राशि दी है। इतना ही नहीं प्लानिंग कमीशन ने विशेष रूप से कोई ढाई करोड़ रुपये इस मरु प्रदेश में सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये और सिंचाई के साधन उपलब्ध करके विकास करने के लिये दिये थे। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सिंचाई के आंकड़े देखे जायं तो पता लगेगा कि जितने रुपये राज्य सरकार को दिये गये उनका पूरा पूरा उपयोग नहीं हुआ। इतना ही नहीं कि रुपये खर्च नहीं हुए, लेकिन जितनी इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी पैदा होनी चाहिये थी उसकी आधी भी पैदा नहीं हुई और जितना युटिलाइजेशन करना चाहिये था उसका आधा युटिलाइजेशन भी नहीं कर सके, जो आंकड़े मैंने सदन के सामने रखे हैं उनसे यह मालूम होगा। मैं नहीं समझता कि, मंत्रीजी स्पष्टीकरण करेंगे कि, सारी असफलता किस प्रकार से हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमको अधिक सन्तोष इस बात का हो सकता है कि जितने रुपये प्लान में सिंचाई योजना या अन्य योजनाओं के लिये मिलते हैं सारे के सारे खर्च कर दें, उनका युटिलाइजेशन हो जाय, केवल इतना सन्तोष मानते हैं।

राजस्थान में कई प्रकार की योजनाएं बनती हैं; भाखरा नहर योजना है, राजस्थान नहर योजना है, चम्बल बांध है, मेजा बांध है और अन्यान्य इस प्रकार की सिंचाई योजनाओं का सवाल है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कोटा की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने चम्बल के बारे में कुछ तथ्य रखे थे। चम्बल बांध, कोटा बेरेज बना है, अभी देश के प्रधान मंत्री, पं० जवाहरलालजी ने उसका उद्घाटन किया और सभी ने कामना की और बधाई दी कि राजस्थान का बड़ा उज्जवल भविष्य हो। ऐसी कामना कौन नहीं करेगा? मैं भी राजस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नहीं अनेक बांध बनें, योजनाएं हाथ में लें। राजस्थान का मरु भूमि का इलाका है, उस बढ़ते हुए मरु भूमि के इलाके की समस्या सामने आई बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का इलाका साधनों के अभाव में बेकार पड़ा है, वहां की सारी भूमि का उपयोग किया जाय। सवाल यह होता है, आज हम योजनाएं बनाते हैं, इस दृष्टि से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि केवल बड़ी योजनाओं के लिये बड़ी धन–राशि चाहिए, बहुत रुपये खर्च होते हैं। लेकिन साथ ही यह ध्यान रखना चाहिये कि बड़ी योजनाओं से आपको लाभ हो रहा है या नहीं? भाखरा के लिये हमने भी राशि का प्रावधान किया है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अब अध्यक्ष महोदय, बड़ा अफसोस इस प्रकार हुआ कि भाखरा के निर्माण में राज्य सरकार का शेयर है, राजस्थान सरकार भी इसमें पैसा खर्च करती है। भाखरा का जहां तक सवाल है, सदन में कई बार प्रश्न उठाया गया कि बिजली का राजस्थान द्वारा जिस मात्रा में उपयोग करना चाहिये उस मात्रा में उपयोग नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह होता है कि पंजाब उस बिजली का उपयोग कर रहा है। राजस्थान को जितना हिस्सा मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। राजस्थान को मिलने वाले पानी का उपयोग भी पंजाब अधिक कर रहा है। यह बात दूसरी है कि पंजाब भी भारत का एक राज्य है, हिन्दुस्थान का राज्य है, हम क्यों झगड़ा करें? लेकिन हम पर्सेन्टेज़ में अकाउन्ट देते हैं, इसके निर्माण में शेयर देते हैं तो राजस्थान की जनता को उसके पानी और बिजली का उपयोग करने का अधिकार है। राजस्थान सरकार पैसा देती है। हमारा भी एक परसेन्टेज खर्च होता है तो हम चाहते हैं, राजस्थान सरकार भी चाहेगी, और सदन स्वीकार करेगा कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, झगड़े का सवाल खड़ा नहीं होता। भाखरा से मिलने वाली बिजली, भाखरा से मिलने वाला पानी का पूरा पूरा उपयोग राजस्थान सरकार को करना चाहिए। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस हुआ यह देख कर कि इसमें यह लिखा हुआ है कि भाखरा के द्वारा जो पानी आने वाला था, और उसके कारण जो इर्रिगेशन होने वाली थी राजस्थान में, उसमें वह पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूँ, भाखरा में जो इन्सीडेंट हो गया, उसके कारण हमारे राजस्थान की सिंचाई योजनाओं पर असर पड़ेगा। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि भाखरा में जो घटना हुई, भाखरा डेम में जो लीकेज हुआ है, उसमें कितना नुकसान हुआ? क्या कारण थे, कौनसी कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी क्या रिपोर्ट दी ? मैं समझता हूँ, क्या उसके बारे में राजस्थान सरकार को कोई दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं थी। अभी तीन दिन पहले, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था, उप-मन्त्री कृषि विभाग इस समय सदन में बैठे हुए नहीं हैं, उन्होंने जवाब दिया था कि भाखरा में इन्सीडेन्ट हुआ, उसकी राजस्थान सरकार के पास रिपोर्ट नहीं आई। राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ, क्या कमेटी थी, उसमें कितने मेम्बर थे, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, यह राज्य सरकार को मालूम नहीं है। सरकार द्वारा मालूम करने की कार्यवाही की गई, लेकिन राज्य सरकार मालूम नहीं कर पा रही है। आखिर मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट या जो योजना किसी भी सरकार के तहत होती है, जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट हो, उसको शेअर हो, जिसमें उसका पैसा लगा हो, और गरीब जनता से टैक्स का पैसा लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हो, मैं समझता हूँ उस योजना में कोई एक्सीडेन्ट हो जाय, भाखरा डेम में कोई लीकेज हो जाय, जिसका हिन्दुस्तान में तहलका मच जाय और राजस्थान सरकार उस सम्बन्ध में कोई जानकारी न दे सके ! उप-मन्त्रीजी खड़े हुए, और जवाब दे दिया एक हल्के तौर पर कि सरकार को मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं कि कौनसी इन्क्वायरी कमेटी है, आपको मालूम नहीं कि कौन कौन उसके सदस्य हैं, आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह मालूम नहीं किया कि उसने क्या रिपोर्ट दी। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, जिस समय इन्सीडेन्ट हुआ, उस समय ही राजस्थान सरकार को किसी अधिकारी को भेजना चाहिए था, जिसके द्वारा जांच करानी चाहिए थी। पंजाब सरकार को लिख कर यह मालूम करना चाहिए था कि किस प्रकार की इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई, उसने क्या जांच की और क्या रिपोर्ट दी है, कौन अधिकारी उसके सम्बन्ध में दोषी ठहराये गये और राजस्थान सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर सकती है? लेकिन हमारी सरकार जवाब देती है, मालूम नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, आपको मालूम नहीं, आपको जानकारी नहीं, तो आप आते क्यों है, आप करते क्या हैं? आपका काम यही नहीं कि सहकारी समितियों का उद्घाटन कर दिया, किसी रेस्टोरेन्ट या होटल का उद्घाटन कर दिया। मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी योजनाओं में लाखों, करोड़ों रुपया लगता है, उनके अन्दर घोटाला होता रहता है और आपको मालूम नहीं होता। कौनसी इन्क्वायरी कमेटी है, उसने क्या रिपोर्ट दी है? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की बात राजस्थान सरकार के लिए और सम्बन्धित विभाग के लिए नहीं हो सकती कि जिसके उप-मंत्री सदन के अन्दर जवाब दें कि भाखरा डेम में जो ब्रीच हुआ, जो लीकेज हुआ, उसके बारे में जानकारी नहीं, यह जानकारी नहीं कि कितने रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान सरकार केवल गरीबों का धन लूटने के लिए है, बहुत से बड़े बड़े डेमों की योजना बना कर दुनियां के सामने इलेक्शन का प्रचार करने के लिए है। भाखरा डेम जो बन रहा है, वहां क्या हो रहा है, वह हम मालूम क्यों नहीं करते? मैं समझता हूं कि यह गम्भीर मामला है, मैं कोई आरोप लगाने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं।

अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अगर कोई दूसरा देश होता तो मंत्री जी यहां नहीं टिकते। इतनी बड़ी योजना है, उसमें लीकेज हो जाय, उसको कोई सवाल नहीं, केवल जनता पर टैक्स लगाने का सवाल होता है। यह नारा लगाते हैं कि इन योजनाओं पर व्यय करने के लिए पैसा चाहिए। अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो विरोधी दल को कहा जाता है कि योजना के लिए लगाये गये टैक्सों का विरोध करते हो। हम इसलिए विरोध करते है कि राज्य सरकार इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती। तो मैं कह रहा था, राजस्थान के अन्दर राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट बना, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, राजस्थान नहर की योजना बनी, वह कितनी बड़ी थी, यह इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि इसके उद्घाटन के अवसर पर पचास हजार रुपया राजस्थान सरकार ने एडवर्टाइज़मैंट पर खर्च कर दिया। यह योजना इतनी बड़ी बनाई कि उसका हल्ला मच गया चारों तरफ राजस्थान के अन्दर अभी जो हिन्दुस्तान की सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच संधि हुई उसका असर इस पर भी हुआ है। इसके लिए आंकड़े पेश किये गये कि कुछ नहीं हुआ। मैं इसके सम्बन्ध में तथ्यों को रिपीट नहीं करना चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जितनी योजनायें होती हैं, उसमें राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं करते और अपनी जिम्मेदारी पूरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं करते । हो सकता है सिंचाई मंत्री के सामने इस प्रकार की कठिनाई आती हो, अड़चन आती हो कि सेन्टर में बात करने जाते हैं, तो उनकी बात कोई पूछता नहीं, जब कि वे पैसा खर्च करने वाले हैं । पहले केन्द्रीय सरकार ने कहा था राजस्थान सरकार को कि इस योजना को शुरू कर दो, हम पैसा देंगे । राजस्थान सरकार को आशा हुई कि सेन्टर से पैसा मिल जायेगा और सारे के सारे प्रोजेक्टस का खर्चा केन्द्रीय सरकार के ऊपर होगा, राजस्थान सरकार के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट्स इस प्रकार के हुए कि राजस्थान केनाल पर जितना पैसा खर्च होने वाला है, वह, राजस्थान सरकार का जो प्लान एक्सपेन्डीचर है, उसमें से होने वाला है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ भी एलोकेशन नहीं किया । मैं समझता हूं कि बड़ी योजना राजस्थान में शुरू हुई, यह राजस्थान सरकार ने शुरू की केन्द्रीय सरकार के संकेत पर, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह शुरू हुई थी । उसके बाद, जिसके बारे में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अंगूठा दिखा दे, तो राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी कुछ नहीं कर सके, यह नहीं कह सके कि यह योजना आपके परामर्श से शुरू हुई थी, इसलिए राजस्थान नहर पर खर्च होने वाला रुपया है वह केन्द्रीय सरकार को देना चाहिए । वह रुपया मिलता नहीं, जो योजना प्रारम्भ की, उसका लक्ष्य पूरा होता नहीं, नहर बनती नहीं और जो पानी आने वाला था वह आता नहीं, फिर भी हमें कह दिया कि राजस्थान में भाखरा से पेरेनियल वाटर आयेगा । यह हालत हो रही है कि जितना पानी आना चाहिए वह नहीं आ रहा है, अब आश्वासन दिया जा रहा है कि पोंग डेम बनेगा, उससे सतलज का पानी आयेगा तब जाकर बहुत ज्यादा पानी मिलेगा । हम देखेंगे । कौन नहीं चाहता कि राजस्थान को पानी मिले । जो राजस्थान का नागरिक है, राजस्थान का शुभ-चिन्तक है, वह कभी नहीं चाहेगा कि राजस्थान को भरपूर पानी मिले । लेकिन अध्यक्ष महोदय, अफसोस तब होता है, जब राजस्थान सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है, वे पूरे नहीं होते, सरकार जो योजनायें बनाती है, वे पूरी नहीं होतीं और उनमें भयंकर घोटाले होते हैं ।

अब मैं चम्बल कोटा बेरेज के बारे में कहना चाहता हूं । कोटा बेरेज की स्कीम थी, उसका उद्घाटन हुआ, उसके बारे में उन तथ्यों में मैं नहीं जाना चाहता, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जो और बातें वहां हुई, हमारे डिपार्टमेंट की हुई । जहां तक चम्बल का स्वयं का सवाल है, कोटा बेरेज के बारे में एक-दो बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । वैसे अध्यक्ष महोदय, कोटा बेरेज के सम्बन्ध में, जो हमारी एक बड़ी योजना है, जिसका उद्घाटन, जैसा मैंने निवेदन किया, अभी हमारे देश के प्रधान मंत्री ने किया, उस उद्घाटन में इस सदन के सदस्य भी गये थे और उन्होंने वहां अपनी आंखों से देखा होगा, वहां रोशनी की जगमगाहट से, जो लाइट वहां लगी हुई थी, उसकी जगमगाहट में उस सुन्दर दृश्य को देखा, लेकिन उस कोटा बेरेज में, चम्बल के बांध में, जो अधिक से अधिक, बहुत सारे भयंकर घोटाले हुए हैं, उनकी ओर शायद ही कभी ध्यान किसी का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गया होगा। मैंने ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान उन तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और वे बतायें कि राज्य सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? कोटा बेरेज के सम्बन्ध में, जो माननीय सदस्य कोटा से आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि सीमेन्ट की बोरियां पकड़ी गई, कोटा को सीमेन्ट मिलती है, लोहा मिलता है, इन्स्ट्रूमेंट मिलते हैं, वे बम्बई के बाजार में पकड़े गये और कीमती से कीमती सामान बम्बई की पुलिस ने पकड़ा बम्बई में। उसकी राजस्थान सरकार को इत्तला दी, चम्बल के अधिकारियों को इत्तला दी, कंट्रोल बोर्ड को इत्तला दी कि आपके यहां का चम्बल का सामान बम्बई के बाजार में बिक रहा है अध्यक्ष महोदय, कोटा की पुलिस में कई मामले दर्ज हुए, बम्बई में उन मामलों की इन्क्वायरी की गई, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा इन्क्वायरी की गई और जो ऑडिट किया गया, उसमें भी कई तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट को देखा नहीं, एन्टी करप्शन की इन्क्वायरी को देखा नहीं, बम्बई पुलिस ने सूचना दी और इन्क्वायरी की, उसका पता नहीं, क्या कार्यवाही की, इसका पता नहीं, लेकिन जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, जिन अधिकारियों को मुअत्तिल करना चाहिए उनको आज प्रमोशन मिल रहा है, उनको प्रमोशन दे देकर अच्छे पदों पर भेजा जा रहा है।

मैं तो यह कहूंगा कि किसी भी डेम के बारे में जो कुछ भी हमारी सरकार योजना बनाये, उसके सम्बन्ध में मैं यह संकेत राज्य सरकार को करना चाहूंगा कि जो कुछ बातें होती हैं, उनके बारे में हम ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें सदन के समक्ष उदाहरण की दृष्टि से रखना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के सामने। चम्बल के केन्द्रीय स्टोर में ६ हजार पौंड जिलेटिन आया, इम्पोर्ट किया गया, क्योंकि वह यहां नहीं मिलता है। ६ हजार पौंड ऑफ जिलेटिन चम्बल प्रोजेक्ट केन्द्र में आई। जिलेटिन के लिए इन्डियन एक्स्लोजिव एक्ट के तहत लाइसेन्स लेना पड़ता है, उसको रखने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो चम्बल प्रोजेक्ट के लिए इन्डियन एक्स्लोजिव एक्ट के तहत जिलेटिन को यूज करने का लाइसेन्स मौजूद है, वह लाइसेन्स किसी को बेचने का नहीं है, किसी को देने का नहीं है, सेल करने का नहीं है, यूज करने का है, और उसे चम्बल कोटा बेरेज में यूज करने के लिए मंगवाया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिलेटिन जिस काम के लिए मंगवाया था, जिसके लिए लाइसेन्स ले रखा था, वह जिलेटिन आपने ४ हजार पौंड एक बार और २ हजार पौंड एक बार दिया है जयपुर उद्योग फेक्टरी को जयपुर की डालमियां सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया ६००० पौंड जिलेटिन। जिस जिलेटिन को इम्पोर्ट किया था, लाइसेंस ले रखा था, इन्डियन एक्स्लोजिव एक्ट के मातहत लाइसेंस मौजूद है, तो कैसे उसको सेल किया? इन्डियन एक्स्लोजिव एक्ट के तहत उनका प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। जिन अधिकारियों ने जिलेटन बेचा उनका प्रोसिक्यूशन करना चाहिये। पर प्रोसिक्यूशन नहीं किया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जब शिकायत की तो आपने कार्यवाही की कि जयपुर सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि कुछ कार्यवाही करो, यह तो कानून के खिलाफ है, वापिस लेने-देने की बात हुई। पर इस प्रकार की लीपापोती करना, यह तो शोभा की बात नहीं। आपका जयपुर उद्योग पनपे फले फूले पर सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं का माल उसको मिले, यह तो उचित नहीं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि फोरिन एक्स्चेन्ज नहीं मिलता, इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं मिलता, फिर हमारी सरकार इम्पोर्ट लाइसेंस लेती है माल इम्पोर्ट कराती है और इस प्रकार अपनी योजनाओं के लिए मंगाये गये माल को दूसरी कम्पनियों को दे देती है, यह समझ में नहीं आता।

फैरोडो ब्रैक लाइनिंग पार्ट की कोटा बेराज को सख्त जरूरत पड़ी और ऐसी सख्त जरूरत पड़ी कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, सवाल पैदा हुआ कि यह पार्ट कहां से मंगायें ? यह हिन्दुस्तान में नहीं मिला, इसको मंगाने के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस सरकार ने लिया और फिर पानी के जहाज के जरिये नहीं और किसी के जरिये नहीं, हवाई जहाज से फैराडो ब्रैक लाइनिंग पार्ट मंगाया गया और इस तरह हवाई जहाज से मंगाया जाकर यहां आकर पहुंचा, जिसके लिए हमने इतना खर्चा किया, जिसकी हमको सख्त जरूरत थी, इसलिए इम्पोर्ट लाइसेंस हासिल किया क्योंकि वह यहां पर मिल नहीं सकता था, वह पार्ट यहां हवाई जहाज से मंगाया गया और जब यह पार्ट यहां आकर पहुँचा तो जयपुर उद्योग की मशीन का काम रुक गया तो वे लोग मंत्री महोदय के पास गये, मैं सिंचाई मंत्री की बात नहीं कहता, उनकी इतनी पहुँच नहीं, पर वे लोग सम्बन्धित मन्त्रियों के पास पहुँचे और कहा कि यह पार्ट चाहिये, मन्त्री महोदय ने पूछा कि यह पार्ट कहां मिल सकता है तो उन्होंने बताया कि यह पार्ट चम्बल में पड़ा हुआ है, हवाई जहाज से आया है, हमारा सीमेंट का प्रोडक्शन रुका हुआ पड़ा है। इस प्रकार जिस फैराडो ब्रैक लाइनिंग पार्ट की हमें सख्त जरूरत थी, जिसके लिये इम्पोर्ट लाइसेंस हासिल किया, हवाई जहाज से मंगाया, वह जयपुर उद्योग को दे दिया गया। क्यों दिया ? किस अधिकारी से दिया ? नहीं दिया हो तो इन्कार कीजिये, मैं ऑडिट रिपोर्ट और इन्सपेक्शन से साबित करूंगा कि वह पार्ट जयपुर उद्योग को दिया। क्या आपने कोटा बैराज इसलिए चालू किया है कि जो इम्पोर्ट की कठिनाइयां जयपुर उद्योग के सामने आयें उनको इससे दूर किया जाय ?

कोटा बैराज में एक रिटेनिंग वाल बनाई थी। रिटेनिंग वाल साधारणत: मिट्टी की बनती है ताकि पानी नहीं निकले, पर वहां चद्दर की रिटेनिंग वाल बनाई गई। इसके बाद उन चद्दरों का कोई पता नहीं, वह कोई मिट्टी तो थी नहीं जो बह गई, कड़ी सूरज की गर्मी से गल गई हो तो बात दूसरी है। १ लाख का पेमेंट किया, आडिट ने ओब्जेक्शन किया, जिस प्रकार का मेटीरियल यूज किया जाना चाहिये था, उस प्रकार का मेटीरियल यूज नहीं किया गया, इस पर पेमेंट रोक दिया कि पेमेंट नहीं किया जा सकता। यह सब मैं कागजों से बता रहा हूँ. मन्त्री महोदय जवाब दे तो सोच विचार कर दें, इस पर खलबली मच गई। कोटा में इलेक्शन आये

Page No.44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो कोटा से आने वाले मन्त्री महोदय ने टेलीफोन किया कि पेमेंट तो होना चाहिये। ऑडिट के ऑब्जेक्शन्स थे, माल गायब, पर कोटा म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस को जीतना है, इसलिए पेमेंट हो जाना चाहिये क्योंकि वह इलक्शन्स में खर्च कर सकता है, उससे पैसे इलेक्शन के लिए मिल सकते हैं, इसलिये पेमेंट कर दिया गया। आप जांच करें। अध्यक्ष महोदय, ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हो सकते हैं....

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु०) : पेमेंट किसको किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन के बाहर के आदमी का नाम नहीं बताना चाहता। नाम बता दूंगा तो भी क्या कर लेंगे ? नाम बाहर के आदमी का कैसे बता दूं। जांच करें तो ऑडिट की रिपोर्ट दे दूंगा, एक एक आदमी का नाम बता दूंगा। इन्क्वायरी करते नहीं, फालतू बात करते हैं।

श्री धन्नालाल हरित : यहां फालतू बातें हो रही हैं क्या माननीय अध्यक्ष ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी फालतू बात है, औरों की नहीं कह रहा हूँ।

कोटा बेरेज का एक केस और रखना चाहूँगा। वह है कॉपर प्लेट्स का मोडर्न इलेक्ट्रिक टूल्स कम्पनी है उससे कॉपर प्लेट्स खरीदीं। उसने पहले भी बहुत सा माल खरीदा। जो माल उसने सप्लाई किया वह साइज़ में शॉर्ट था और वेट में भी शॉर्ट था साथ ही उसका मेटीरियल भी डिफेक्टिव था। उनके लिये ऑब्जेक्शन किया गया कि डिफेक्टिव मेटीरियल है, काम नहीं आ सकता इसलिये इसका पेमेंट बन्द कर दिया जाय। पर बाद में वह मसला शुरू होता है, फिफ्टी फिफ्टी का फोर्मूला होता है, कागज बढ़े, मामला आगे चला, मिसल आगे दौड़ी, जिस आदमी के बारे में यह रिपोर्ट एग्जीक्युटिव इन्जीनियर ने की थी कि यह माल वेट में शॉर्ट है, साइज़ में शॉर्ट है और मेटीरियल डिफेक्टिव है। वे सारी कॉपर प्लेट्स कोटा डेम में लगा दीं और फिर कहेंगे, जैसे कि कल एक माननीय सदस्य ने एक बंध के बारे में कहा कि ५४ में वह बाँध बना और ५५ में टूट गया, ५६ में मरम्मत की और ६० में टूट गया और किसी माननीय सदस्य ने पूछा कि यह तीसरी बार कब टूटने वाला है तो एक तरफ २२ लाख रुपया खर्च होता है और वह फिर टूट जाता है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता और दूसरी तरफ यह डिफेक्टिव कॉपर प्लेट्स लगाते हैं जहां एक एक इंच और एक एक सूत को नाप कर प्लेट्स लगाते हैं वहां इस प्रकार के वेट में शॉर्ट, नाप में शॉर्ट और क्वालिटी में डिफेक्टिव प्लेट्स लगा दी जाती हैं। आप देखें यह है कि नहीं ? पेमेंट कर दिया गया। मन्त्री महोदय कहेंगे कि उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया जिसने कि इस तरह का माल सप्लाई किया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसने इस तरह का माल सप्लाई किया उसको तो ब्लैक लिस्ट कर दिया, पर जिन्होंने इस तरह के डिफेक्टिव कॉपर प्लेट्स को एक्सेप्ट किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? जिन्होंने पहले कहा कि ये साइज़ में शॉर्ट हैं, वेट में शॉर्ट हैं और डिफेक्टिव मेटिरियल है, तो इस तरह के डेम बनाते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं तो एक एक सूत का ख्याल रखा जाता है, जिन्होंने यह माल ले लिया और लगा दिया उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई कि नहीं ? कार्यवाही उनके खिलाफ कुछ नहीं की गई, उल्टे उनको प्रोमोशन्स दिये गये हैं । कोटा के अनेकों ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता, उनको प्रोमोशन्स दिये गये हैं । तो राजस्थान में जो अधिकारी कोई माल की चोरी करे, ब्लैक करे, पैसा खा जाय, गलत काम करे उसको प्रोमोशन मिलता है, इनाम के रूप में प्रोमोशन मिलते हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Please name them.

श्री धन्नालाल हरित : यही तो मैं कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि नाम-धाम तो हैं नहीं....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय जवाब दे देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने नाम बता दिया तो आप क्या करेंगे ?

श्री धन्नालाल हरित : क्यूरियोसिटी तो नाम मालूम करने की रहती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी क्यूरियोसिटी के लिये तो कह नहीं सकता । कुछ करें, जांच करें तो मैं कह सकता हूँ; मेरे पास नाम लिखे हुये हैं, आप चाहें तो बाद में नाम पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अब थोड़े में ही समाप्त करता हूँ । एक बात अन्त में मैं कहूँगा कि बड़े बड़े डेम्स पर डेपुटेशन पर बुलाते हैं और डेपुटेशन पर बुलाने के कारण उनको डेपुटेशन एलाउन्स अलग से देना पड़ता है और वह इतना भारी होता है कि हम साधारण लोगों को नहीं देते ।

राजस्थान नहर की योजना चम्बल की योजना से बड़ी है और उस पर हम ज्यादा खर्च करने वाले हैं । लेकिन मैं नहीं समझ सका कि राजस्थान नहर पर चीफ एकाउन्ट्स ऑफिसर रखा है उसको ६५०) रुपये वेतन दिया जाता है और जहां चम्बल पर कम खर्च होना चाहिये वहां पर चीफ एकाउन्ट्स ऑफिसर को १८००) रुपये माहवार देते हैं । इससे साफ है कि उसको इसलिये देते हैं कि वे कोई हमारे अधिकारियों के कृपा-पात्र हैं । हम देखते हैं कि राजस्थान नहर की योजना के मुकाबले में कोटा चम्बल योजना का बजट कम है और राजस्थान नहर के चीफ एकाउन्ट्स ऑफिसर को ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिये थी, मगर यहां हम देखते हैं कि उसको कम तनख्वाह मिलती है और चम्बल पर जो काम करता है उसको १८००) रु० मिलते हैं क्योंकि आपने उसको कॉन्ट्रेक्ट पर बुलाया है । जब आपने उनको कॉन्ट्रेक्ट पर बुलाया है तो फिर उनको दूसरे एलाउन्सेज देने की क्या आवश्यकता है ? आपने उनको प्रोजेक्ट अलाउन्स भी दिया है । तब तक वे उसके अधिकारी नहीं हो सकते जब तक आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनसे जो टर्म एन्ड कन्डीशन्स की थी उसमें यह दर्ज हो। लेकिन आपको किसी व्यक्ति को फेवर करना था सो आपने ऐसा किया है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने ऐसे आदमियों को कोटा के डेवलपमेंट वर्क में लिये हैं जो एकाउन्ट्स के आदमी हैं या जो यू. डी. सी. हैं। अगर वह यू. डी. सी. राज्य सरकार में एपोइन्ट होता तो उसको ८०) रुपये वेतन मिलता और अगर वह एकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर में नौकरी लेता तो उसको १५०) मिल जावेंगे और वही आदमी अगर प्रोजेक्ट में चला जाता है तो उसको २५०) मिलते हैं। आपके यहां इस प्रकार क्यों होता है ? लीव कॉन्ट्रीब्यूशन एन्ड एलाउन्स मिला कर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। अगर वह राजस्थान में यू. डी. सी. एपोइन्ट होता तो उसको ८०) रु० से ज्यादा नहीं मिलते और ए. जी. के ऑफिस में नौकर होकर आता है तो उसको १५०) रु० मिलते हैं। दूसरी ओर इतना ही नहीं, मैं यह कह सकता हूं कि चम्बल प्रोजेक्ट में यू. डी. सी. जो काम करते हैं उनको वेतन ४७५) रु० मिलता है। इसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है क्योंकि हमको सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपना शेअर देना पड़ता है।

श्री धन्नालाल हरित : इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य नाम नहीं बता रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इतना कह सकता हूं कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। जो यू. डी. सी. वहां पर है उनके जो एकाउन्ट्स ऑफिसर हैं और जो उनके बॉस हैं उनको लगभग २६०)रु. के वेतन मिलता है। एक यू. डी. सी. को ४७५) रुपये मिलते हैं और उसके बॉस को २६०) रु० मिलते हैं। इस प्रकार आपने बीसियों आदमियों को लगा रखा है। इस प्रकार हिसाब लगाया जावे तो कम से कम लीव कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरे एलाउन्स का खर्चा ४० हजार के लगभग होता है। बाकी लोगों को भी तो प्रोजेक्ट में लगा रखा है, फिर इन्हीं के साथ इस प्रकार की रियायत क्यों?

मैं यह निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग की ओर से पांच वर्षों में धन का सही उपयोग नहीं किया गया है और जिन जिन स्थानों पर सिंचाई की योजना उपलब्ध हुई वहां पर आधे एरिया में भी सिचाई नहीं की जा सकी है। मैंने इस संबन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और यह बताया है कि सिंचाई में धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करावें और जो दोषी हों उनको दंड दिया जावे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं........

श्री अध्यक्ष : अब आपके कटौती के प्रस्ताव पेश नहीं हो सकते। आप दूसरे पर बोल सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव इस संबन्ध में प्रस्तुत किये हैं।

डा० बहादुरसिंह (धौलपूर) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने इनको बोलने की आज्ञा दे दी है तो इस प्रकार वे अपने कटौती के प्रस्तावों पर नहीं बोल सकते।

श्री अध्यक्ष : आप अपने कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं करते हुए भी बोल सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि जहां पर स्केयर्सिटी एरिया हो वहां पर बांध बनाये जावें और पब्लिक को राहत देने के लिये सरकार तालाबों और नदियों को बांध कर बांध बनाती है, नहरें निकालती है। लेकिन खेद इस बात का है कि इतना धन जो सरकार खर्च करती है उसके बावजूद भी उस धन-राशि का सदुपयोग नहीं होकर दुरूपयोग ही होता है। मेरे क्षेत्र में एक बांध बना है और ४० लाख का एस्टीमेट है। उसमें २२ लाख रुपये लग गये हैं, मगर वह बांध अभी तक नहीं बना है। बांध तो बना ही नहीं उससे पहले ही नहरें तैयार हो गई। वहां पर पानी का कहीं पता ही नहीं। बांध अभी तक नहीं बना है। मैंने इस संबन्ध में प्रश्न भी सरकार से पूछा। उसके उत्तर में कहा गया कि लाख डेढ़ लाख का नुकसान हुआ। मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे यहां कहा जाता है कि नदी तो आई नहीं और पहले ही सूंसाड़े होने लगे। अब बांध बनने को आया तो काश्तकारों ने जिस जमीन में खेती बो दी थी उनकी फसलें जब बड़ी बड़ी हो गई और पकने का समय आया तो उनके खेतों में खड्डे खोद कर उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया। जब उनको यह कहा गया कि भाई खेती को कट जाने दो, हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पड़त जमीन है वहां पर खड्डा खोद दिया जावे मगर उस बात को किसी ने नहीं माना और काश्तकारों की खड़ी खेती बर्बाद की गई। मैं यह कहूंगा कि पानी देने में इतना करप्शन होता है कि कोई व्यक्ति जो उनसे हाथ मिला लेता है उसकी खेती खराब नहीं की जाती है और दूसरों की खड़ी फसल को, खेत काट कर नष्ट कर दिये जाते हैं। उनको चाहिये था कि पहले वे इसके लिये नोटिस देते काश्तकारों को कि वे खेती न करें, हम नहर छोड़ेंगे। तो वे लोग खेती नहीं करते। इसके अलावा उन लोगों को उस जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया। उन्होंने वहां पर खड्डे खोद कर हजारों मन नाज का नुकसान किया। इस तरह से किसान तो दोनों तरफ से मारे गये। पुराने तालाब जो भी थे वे भी सब ले लिये थे। उनकी भी न तो कोई नहरों की और न मोरियों की मरम्मत कराई जाती है। इसलिये जहां पर पानी देना चाहिये नहीं दिया जाता है और रास्ते में ही पानी कहीं बह जाता है। यह तो आपकी नहरों और मोरियों की हालत है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये इन्क्वायरी करावें और पता लगावें कि सिंचाई विभाग किन किन के कर्मचारियों की गलती से किसानों की खड़ी फसल नष्ट हुई है।

इसके बाद दूसरा मेरा कट मोशन माइनर इर्रिगेशन के लिये था। जहां पर मेरा इलाका है वहां चम्बल की नहर नहीं आ रही है। बनास को बांधने का प्रोपोज़ल है। मेरा क्षेत्र दो हिस्सों में है। एक देवली है जहां पहाड़ी इलाका है और वहां पर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बहुत ज्यादा आबादी है। वहां पर पहाड़ी इलाका होने से न तो चम्बल और न बनास की नहर आवेगी। जिस समय केबिनेट टौंक में आई थी उस समय मैंने लिख कर प्रार्थनापत्र दिया कि यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की बहुत आबादी है। यहां पर जागीरदारों के समय में भी माइनर बांध बनाने की तजवीज़ थी। मैंने पंचायत समिति को भी रिप्रेजेन्टेशन भेजा। लेकिन अभी तक मुतवातिर रिमाइंडर्स के भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। राजकोट में है, मगर यहां मीणों और भीलों की आबादी है। १०, १२ गांव हैं, इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया जाता है।

(१.०० म. प.)

वहां पर आज दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता और जब चुनावों का टाइम आता है तो आश्वासन दे दिये जाते हैं कि तुम्हारा तालाब बना देंगे; कांग्रेस को वोट देना और किसी को मत देना। मैं कहता हूँ कि झूठे आश्वासन क्यों देते हो? आप अपना काम करके दिखाओ। उनके साथ क्यों बेजा अन्याय करते हैं और फिर यह प्रोपेगेन्डा करते हो कि वोट नहीं दिया, इसलिए तालाब नहीं बना। आपको तो समानता बरतनी चाहिये। रोटी, पानी और दवाई के लिए तो आपको आपके विरोधी का भी ध्यान देना चाहिये। सब को एक सा शुमार करना चाहिये। यह मेरा निवेदन है कि पानी देने में, दवाई देने में, रोटी देने में ऑपोज़िशन और कांग्रेस का ध्यान न दें। राजकोट में जो प्रोजैक्ट है वहां पर भीलों और मीणों की आबादी अधिक है, वहां आप बांध बनाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आप ऑपोज़िशन को पानी दे दो, हम आपको पानी दे देंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह: यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्री महोदय।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, कल से सिंचाई के कटौती प्रस्तावों पर बहस हो रही है। जिन जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के बारे में जो कुछ कहा है यहां पर उसको मैंने ध्यान-पूर्वक सुना है। मुख्यत: जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, उनमें यह बात बताई गई है कि लघु सिंचाई योजनाओं में जिस प्रकार प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हुई। दूसरी प्रकार की शिकायतें माननीय सदस्यों के द्वारा उपस्थित हुई वे यह हुई कि बहुत सी जगहों पर मुआवजे के केसेज़ हैं, वे अभी तक पेन्डिंग हैं और तीसरी प्रकार की जो शिकायतें हैं वे इस प्रकार की हैं कि बहुत सी नहरों में मरम्मत नहीं हुई हैं।

आज बहुत से माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी मैं उनके सवालों का उत्तर जरूर दूंगा। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में जो कार्य-क्रम शुरू हुआ वह सन् १९५३ में प्रारम्भ हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया कि १७५ लाख रुपया रखा

Page No.49

(श्री भीखाभाई)

गया था उसके अगेन्स्ट लगभग ६० प्रतिशत रुपया खर्च किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २७६ लाख रुपया रखा गया था उसके अगेन्स्ट २०२ लाख रुपया करीब खर्च हुआ और यह लगभग, जब प्रतिशत वर्क आउट किया जाता है तो ७५ प्रतिशत इस हिसाब से आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो नहरें हैं, सिंचाई की योजनायें हैं, बांध आदि हैं, वे खून की नदियां हैं। अगर जमीन को शरीर माना जाय अगर धरती को शरीर माना जाय तो मैं यह निवेदन करूं कि ये नहरें और सिंचाई की योजनायें हैं वे उस शरीर की नसें हैं और जब तक नसों में अच्छी तरह से रक्त संचार नहीं होगा तो वह शरीर काम नहीं करेगा।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : शुद्ध है या अशुद्ध ?

श्री भीखाभाई : उसको शुद्ध करना होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : आयुर्वेद के आप मन्त्री हैं, कोई दे दें दवा।

श्री भीखाभाई : जिस प्रकार से ठीक ढंग से शरीर का ऑपरेशन करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार से नहरों को और सिंचाई की योजनाओं को बनाना पड़ता है। जिस प्रकार से चतुर डॉक्टर शरीर की सारी नसों को देखता है, ब्लड प्रेशर को देखता है, सारी चीजों को ठीक करता है और तब जाकर शरीर के ऑपरेशन आदि का काम प्रारम्भ करता है, ठीक इसी तरह से भारतवर्ष में ये योजनायें साइन्टिफिक डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं और कई प्रकार का अन्वेषण करना पड़ता है और बिना अन्वेषण कराये यह नहीं होता। बार बार शिकायतें सदन में पेश होती हैं, जब कोई बांध टूट जाता है; जैसे इकलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हींचर का बांध टूट गया; क्यों टूट गया ? सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन को इसकी जांच करने के लिए भेजा है। कई बातें ऐसी होती हैं कि जिनका ऊंचे से ऊंचे लेवल पर अन्वेषण होता है, जांच होती है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि लघु सिंचाई योजनायें....

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : तीन मर्तबा टूटा है, श्रीमान्।

श्री भीखाभाई : I am not going to yield the floor. माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया, उसके लिए सरकार बहुत जागरूक है। सावधानीपूर्वक बढ़ रहे हैं।

मैं यह निवेदन करूं कि लघु सिंचाई योजनाओं पर हम एक ही एजेन्सी के मार्फत खर्च नहीं करना चाहते। २०२ लाख रुपयों का खर्चा किया गया तो हमने यह कोशिश की कि दूसरी एजेन्सियों के मार्फत भी खर्चा किया जाना चाहिये और उस दिशा में मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करूं कि १३ लाख रुपया कलेक्टर को दिया जिनसे लघु सिंचाई योजनाओं में गति आवे। ४६ लाख रुपया पंचायत समितियों को दिया। वे काम कर रही हैं और

(श्री भीखाभाई)

हमने यह भी सोचा कि डिपार्टमेन्टल काम भी शुरू करें और हमने काम प्रारम्भ कर दिये। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सब माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लघु सिंचाई योजनायें व्यक्तिगत रूप से मेरे ध्यान में हैं। तीसरी योजना के पहले १।। करोड़ रुपयों की ५८ योजनायें स्वीकार कर रखी हैं। जहां तक लघु सिंचाई योजनाओं के अन्वेषण का सवाल है, काम के बनाने का सवाल है एक साल में टेम्पो बनाया है। जब से, इन्वेस्टिगेशन एण्ड सर्वे डिपार्टमेंट कायम हुआ सन् १६५८ से लगातार उसमें प्रगति हुई है। जहां तक इन्जीनियरों के काम का सवाल है वे तत्परता से काम कर रहे हैं, वे पूरी तरह से जागरूक हैं और दूर दराज में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करते हैं। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आम तौर पर यह समझा जाता है कि आज भी पुराने तरीकों से तालाब बनाये जाते हैं, लेकिन आज यह चीज़ नहीं है। जहां प्लानिंग कमीशन, सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी मंशा के अनुसार सारे कामों का निरीक्षण करना होता है, छोटी २ योजनाओं को तैयार करना पड़ता है। हाइड्रोलोजिकल डैटा तैयार करना पड़ता है, लगातार वाच करना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान देने की बातें होती हैं। मैं निवेदन करूं कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य बार बार कहा करते हैं कि रायपुर–दीपावास का बांध चार साल से नहीं बना। मैं मानता हूँ कि वह बांध नहीं बना। उसका कारण यह है कि उस बांध के नीचे एक बांध और है जो छपरा बांध कहलाता है, वह उसको इन्टरसेप्ट करता है। तो मैं यह बता रहा हूँ कि एक बांध के कैचमेन्ट को दूसरा बांध इन्टरसेप्ट करता है तो फिर वह योजना कैसे ली जावे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके क्षेत्र की ही बात कहना चाहता हूँ। पीरजा का नाका। उसकी योजना है, लेकिन सॉल्ट लेक, सांभर-लेक उसका केचमेंट है उसमें जाकर गिरता है। हम यह कह दें कि हम उसको लेना चाहते हैं, बावजूद इस कहने के और प्रतिनिधियों के चाहने पर भी, जब तक उसकी साइन्टिफिक तरीके से जांच नहीं करा ली जाती कोई काम प्रारम्भ नहीं कराया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, कई साल के बाद अब जाकर उसकी योजना स्वीकृत हुई। मेजा में भी दूसरी योजना है। रायपुर वाले आते हैं कि यह योजना बननी चाहिये, लेकिन दूसरी तरफ वाले उसको नहीं चाहते। सेमालिया गांव भीलवाड़ा में है। वे कहते हैं कि यह बांध नहीं बनना चाहिये।

तो एक तरफ तो यह कहा जाता है कि यह बांध नहीं बनना चाहिये और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बांध बनाया जाना चाहिये। यहां जनता का सवाल आता है और जो योजना हम प्रस्तुत करते हैं जिसको बनाने में छः महीने लग जाते हैं, वह स्वीकृत योजना होती है। उस पर जनता की राय आ जाय, मीडियम स्कीम है। इसको मान्य किया जाय, लेकिन नहीं चाहते हुए भी इसका ख्याल रखना पड़ता है। जो टार्गेट्स हमने मुकर्रर कर रखे हैं उनके अनुसार चलने में मुश्किल पड़ती है। इर्रिगेशन में अगर किसी प्रकार शॉर्टफाल हुआ है तो उसमें हमारा कुसूर नहीं है। जहां हम छोटी केनाल

(श्री भीखाभाई)

निकालना चाहते हैं वहां यदि टेक्निकल ग्राउन्ड पर वह ठीक है तो उसके बाद वहां के जो जन प्रतिनिधि होते हैं उनकी राय का सवाल भी रहता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जहां तेजी से बढ़ने का प्रयत्न करते हैं वहां इस तरह से कई अड़चनें आ जाती हैं। इसलिये हम उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाते।

हम राजस्थान के अन्दर माइनर इर्रिगेशन के लिये टेम्पो क्रिएट करते हैं। ४२ लाख रुपया इसके लिये इस साल में रखा गया है। इसमें रुपया और बढ़े और यह निश्चित बात है कि माइनर इर्रिगेशन हैड के अन्दर बढ़ेगा, लेकिन जो टार्गेट्स हमें पहले अचीव करने हैं वे पहले करें। जब हमने इसके लिये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है तो हम यह सोच रहे हैं कि हमारा यह काम आगे बढ़े और तेजी के साथ आगे बढ़े। ४२ लाख रुपया इस वर्ष के अन्त तक हम इन योजनाओं पर खर्च करेंगे। ४० लाख की तो योजना बना ली गई है, वह भी कम पड़ेगा। मैं मानता हूँ लगभग डेढ़ करोड़ की योजना को हमने मन्जूर किया है जिस कारण लघु सिंचाई योजना के अन्दर मांग बढ़ जायगी।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई योजना जय समन्द झील के लिये नहीं बनी। उनकी यह धारणा गलत है। करीब करीब ५० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई करने वाली योजना हम जय समन्द बांध से करने जा रहे हैं। इसको हमने हाथ में लिया है। २४ हजार एकड़ भूमि के सिंचाई के लिये हमने नहर बनाई है। ऐसी योजनाओं में समय लगता है। यह काम ऐसा नहीं कि जिसमें बहुत जल्दी की जा सके। पब्लिक मनी है इसको खर्च करने में सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जिस गति से हम खर्च करते हैं वही गति ठीक है। यह ठीक है कि इसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने जैसा कल कहा कि उनके लिये कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है; मैं उनसे निवेदन करूं कि उनके यहां के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है जिसमें ३५ हजार एकड़ सिंचाई के लिये योजना बन गई है। पचास हजार एकड़ सिंचाई की जो स्कीम है उसके बारे में निवेदन कर दूं यह स्कीम्स बना दी हैं और अगर इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम इसको पूर्ण कर पाते हैं तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम हो जायगा।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था डांग इलाके में कोई योजना नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में लगभग पांच योजनायें विचाराधीन हैं, इनका सर्वे वगैरह हो चुका है।

डॉ० बहादुरसिंह : विचाराधीन कब तक रहेगा इस पर भी प्रकाश डाल दें।

श्री भीखाभाई : बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ नहरें जो पहले से बनी हुई हैं उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। यह बात ठीक नहीं है। नहरों की मरम्मत नहीं होती है, यह बात नहीं। हर साल उसके लिये पैसा रखा जाता है और वह खर्च होता है। भरतपुर के लिये

(श्री भीखाभाई)

तो इस बारे में खास तौर से ध्यान रखा गया है ।

डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है वह खास तौर से गुड़गावां बांध के लिये रखी है । उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि गुड़गावां केनाल पहले समय में मीडियम स्कीम थी । उसको बदल कर एक करोड़ रुपये की योजना इसके लिये बना दी गई है और यह फैसला किया गया है कि यहां पेरेनियल वाटर सप्लाई हो । इस योजना को हाथ में लेने की बात चल रही है । पहले जो एग्रीमेंट हुआ था वह इनन्डेशन के बारे में था । अब पेरेनियल सप्लाई के बारे में करने जा रहे हैं । हाल ही में मैं जब उदयपुर गया था वहां पंजाब के सिंचाई मंत्री से, जो एक सम्मेलन के सिलसिले में वहां आये हुए थे बातचीत की थी; उन्होंने कहा कि एक मीटिंग दिल्ली में बुला रहे हैं । दिल्ली राज्य भी इन्ट्रेस्टेड है । आपको भी इन्टरेस्ट है, पंजाब की भी रुचि है । इसलिये राउन्ड टेबल में बैठ करके इस बारे में फैसला कर लें ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अभी तक तो पेपर पर ही है क्या ?

श्री भीखाभाई : पेपर के बाद ही तो काम में आती है । इकलेरा से आने वाले एक माननीय सदस्य ने बतलाया, उनके यहां मध्यमवर्गीय योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं हुआ है । लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुछ काम नहीं हुआ, लिफ्ट इर्रिगेशन के लिये कोई काम नहीं हुआ है । उनकी जानकारी के लिये मैं बताऊं कि जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया है उनका सम्बन्ध दो मध्यमवर्गीय योजनाओं से है । एक योजना तो भीमसागर योजना है और दूसरी हींचर । जहां तक इस बांध का सवाल है हमने इस मामले में सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन के पास रेफर कर रखा है और उनकी सलाह से यह काम किया जायगा । भीमसागर के बारे में वहां के लोगों की सलाह ली और हम यह समझ रहे हैं कि भीमसागर योजना को तब तक हम चालू नहीं कर सकते जब तक कि उसके नीचे आने वाले गांवों को दूसरी जगह न हटा दिया जाय । दूसरे गांवों का निर्माण करने के बाद उसको प्रारम्भ किया जाना चाहिये ।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनके यहां कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिला । इसी प्रकार की स्थिति का जिक्र पार्वती बान्ध के लिये भी किया गया । जहां तक मुआवजे का सवाल है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ केसेज ऐसे हैं जिनमें जब तक रेवेन्यू रेकार्ड से कलेक्टर अवार्ड नहीं देता उस मुआवजे के पेमेंट में कठिनाई होती है । वहां पर भी एक छोटी कमेटी बनी हुई है पार्वती डेम पर, जो हर महीने मिलती है और इस पर विचार करती है । जो गांव अपने मुआवजे का क्लेम करते हैं वे उसके लिये मुस्तहक हैं या नहीं, इस पर विचार करते हैं । वे डेम के फ्रिन्ज पर आ जाते हैं, उनको मुआवजा देना चाहिये या नहीं, यह मामला विचाराधीन है । इस बारे में फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कलेक्टर अपना अवार्ड नहीं दे देता, पेमेन्ट भी तब तक नहीं हो सकता । यही स्थिति नवाना डेम के बारे में है । इस डेम के बारे में व्यक्ति-

(श्री भीखाभाई)

गत रूप से मेरी जानकारी है और हम इन कोशिश में हैं कि हर तरह से किसानों को फायदा पहुंचाया जाय और मुआवजे के बारे में जो भी केसेज़ आये हैं वे अच्छे ढंग से निपटाये गये हैं । । कलेक्टर गये हैं और उन्होंने खुद ने वहां निपटाये हैं । एक डेड़ सौ बीघा जमीन का पेमेन्ट नहीं हुआ । सिंचाई विभाग को इस बारे में जब कहते हैं तो वह कहता है, यह रेवेन्यू से ताल्लुक रखता है । वे कहते हैं उधर से मिलेगा, लेकिन हम शीघ्र ही इसको निपटाने वाले हैं ।

नोखा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोलायतजी के अन्दर जो पांच बांध हैं जिससे सिंचाई के लिये काम लिया जाता था वे ठीक ढंग से नहीं हैं, टूटी हुई हालत में हैं, उनकी मरम्मत नहीं की जाती । इस मामले में व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है ।

लघु सिंचाई योजनाओं में वाटर युटेलाइज़ेशन का एक सवाल आया था । यह सही बात है कि सिंचाई जिस तरह से बढ़ानी चाहिए उस प्रकार से नहीं बढ़ सकी है । लेकिन उसका कारण कोई सरकार हो, यह मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि जब तक आदमियों की मनोवृत्ति को नहीं बदला जाता है, उनकी आदतों को नहीं बदला जाता है तब तक किसी आदमी के लिए यह कहना कि सरकार बाइ फोर्स उसको कराये, यह गलत है । जैसे मैं कहूँ कि मोरेल डैम के अन्दर सिंचाई की योजनाओं की महत्ता को समझते हुए भी जनता वहां पर फायदा नहीं उठा सकी है । यह कोशिश की जा रही है कि उसको बढ़ाया जाये । मैं यहां आपको थोड़े से आंकड़े सिंचाई के बताता हूँ । सन् १९५१–५२ में १००० एकड़ हुई, १९५२–५३ में ३०४३, १९५३–५४ में ४०४४, १९५४–५५ में ४३३७ एकड़, १९५५–५६ में ८५८४ एकड़ और १९५६–५७ में २२०० एकड़–यहां घट गई । फिर ३०००, ५००० और ६००० हुई । तो इस प्रकार यह कोशिश की जा रही है कि लोग इर्रिगेशन माइन्डेड बनें । उसके लिए हमने कोशिश की कि जगह जगह पर कमेटी बने और सरकार की तरफ से जहां भी प्रोजेक्ट्स हैं, योजनायें हैं, उनके लिए एक कमेटी जिला स्तर पर बनाई जाती है और पंचायत समिति स्तर पर बनाई जाती है कि किसानों द्वारा वाटर का यूटिलाइज़ेशन प्रोपर्ली किया जाये; लेकिन वहां पर जैसा रेस्पॉन्स लोगों द्वारा मिलना चाहिए वह नहीं मिला है । उसकी एक किताब बनाई गई है, जो कि किसानों के लिए निकाली गई है और वह प्रकाशित होकर वितरित की गई है । उसकी लगभग १०,००० कॉपीज़ बांटी गई हैं ताकि लोगों में भावना पैदा हो और लोग इर्रिगेशन माइन्डेड बनें । मैं माइनर इर्रिगेशन के बारे में कह रहा था कि बहुत प्रयत्न किये जा रहे हैं । मैंने आपसे निवेदन किया है कि इसके लिए एक इन्वेस्टीगेशन और सर्वे ब्रान्च अलग स्थापित की है । उसके बाद में लघु सिंचाई के बारे में कुछ रिलेक्सेशन किये थे । यहां पर रिटर्न की अक्सर बात की जाती है । हमारे यहां पर रिटर्न ४॥ पर्सेन्ट का था उसको ग्रेजुअली ड्रॉप करते करते अब यह सोच रहे हैं कि आगे आने वाली योजनाओं में भी लाया जाये और वह १ पर्सेन्ट के करीब होता है । विशेष कर सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं । माल-

(श्री भीखाभाई)

पुरा और बन्डारा स्कीम आदि मन्जूर की गई हैं और ये इसीलिए मन्जूर की गई हैं कि रिटर्न नहीं है और वहां चूंकि आदिवासी रहते हैं इसलिए आदिवासियों में रिटर्न कम बैठता है।

अजमेर में भी कुछ स्कीमें इसी तरह से मन्जूर की हैं कि पानी के कष्ट को मिटाया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण यहां रखे गये उनके लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन सब जगह पर जब कभी इर्रिगेशन के बारे में बहस होती है इस सदन में तो बहस इस बात की होती है कि हमारे रिटर्न कम हैं। मैं कहूँगा कि रिटर्न के आंकड़ों को देखा जाये तो हम मानवता से गिर जायेंगे। यह मानवतावाला महकमा है। आप कहेंगे कि आज यह अजीब बात कही जा रही है। यह कैसे? यह कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है और उसको भी मानवता में ले लिया। कुछ ऐसे पोइन्ट्स हैं कि जब माननीय सदस्य अपना भाषण देते हैं या बहस करते हैं तो उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। हो सकता है मेरी मान्यता गलत हो, लेकिन मुझे निवेदन करने का अधिकार है और निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि एक योजना हम पानी की बनाते हैं, उसके बाद में बहुत सी चीजें उस पानी से होती हैं। जैसे मेजा डैम है उसके अन्दर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां लो इर्रिगेशन से फायदा हुआ है वहां सैकड़ों कुंए ऐसे हैं कि जिनका पानी का लेवल ऊंचा हो गया और जो सिंचाई उनके द्वारा पहले होती थी उससे कई हजार एकड़ ज्यादा भूमि की सिंचाई अब होने लगी है। यह सैम्पल सर्वे की गई है। मेरे पास पूरे फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह एक्सपीयरेन्स्ड बात है और माननीय सदस्य जो कटौती के प्रस्ताव लाते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे स्वतः इसकी जांच करें कि क्या फैक्ट्स हैं। एक तालाब बनता है तो जो कुंए उसके आसपास होते हैं उनमें सब सॉइल, वाटर कितना रेज़ होता है और उससे एडीशनल कितनी इर्रिगेशन होती है? इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करूंगा कि एक तालाब बनाया। उसके अन्दर अगर पानी स्टोर हुआ, उसके बाद में वहां पर मछलियां पैदा हो जाती हैं और उन मछलियों का ठेका एग्रीकल्चर विभाग द्वारा दिया जाता है। इसका क्रेडिट हमको नहीं मिलता है जब कि उसका क्रेडिट इर्रिगेशन विभाग को मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य यहां बात करते हैं वे हमें इस बात का क्रेडिट नहीं देते कि कितने लाख रुपये का फायदा इन तालाबों के बनाने से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को होता है....

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन आपके उप-मंत्री कृषि और उप मंत्री सिंचाई हैं उनको सम्भाल लो।

श्री भीखाभाई : उसके बाद में बहुत सी ऐसी उपज होती है; जैसे फूल हैं, उनका भी क्रेडिट हमको नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जल से ही सब कुछ है। यह बिजली ही जल का परिणाम है। आज भाखरा की योजना लीजिए, चम्बल

(श्री भीखाभाई)

की योजना लीजिए, राणा प्रतापसागर की योजना लीजिए, किसी भी योजना को लीजिए। वहां जो पानी स्टोर होता है उससे बिजली हमें कितनी प्राप्त होती है? यह लाइट जो आप देखते हैं, वह चमचमाती है और प्रोस्पेरिटी को और लीड करती है। हमारा सेन्टर फैक्टर पानी है। उसकी दो ब्रान्च हैं एक तो इरिगेशन में जाती है और दूसरी पॉवर सेक्टर में जाती है और पॉवर सेक्टर में जाकर उद्योग धन्धों को बढ़ा कर प्रॉस्पेरिटी लाती है। अन्न की उपज होती है उससे प्रॉस्पेरिटी आती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पनघट का जादू बता रहे हैं।

श्री भीखाभाई: तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन फैक्टर्स को अगर कन्सीडर किया जाये तो माननीय सदस्य, जो यहां विराजे हुए हैं, उनका दृष्टिकोण उदार हो जायेगा। जिस प्रकार से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं वह न कहें। जब कभी भी हम बहस करते हैं तो इन दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा जाये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप उदारता की भीख मांगते हैं और मैं सख्ती की भीख मांगता हूँ।

श्री भीखाभाई: अध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें और बहुत से आरोप, गम्भीर आरोप लगाये। इन गम्भीर आरोपों के बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने यह बताया कि डाइनामाइट की चोरी हुई और उन्होंने यह भी कहा कि यहां स्टील की चोरी हुई और सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जहां तक स्टील की चोरी का सवाल है, स्टील के मामले में केवल जिस आदमी ने स्टील की चोरी की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।

(१.२६ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और उस पर मुकदमा चल रहा है। एक आचार्य के केस को रेफर करके कहा कि उस केस को दबा दिया। इस प्रकार की बातें कहीं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On a point of information, Sir, यह स्टील की चोरी हुई, वह स्टील कितनी थी जिसके चालान करने की बात कही है कोर्ट में?

श्री भीखाभाई: About 3 tons.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Costing about how much?

श्री भीखाभाई: That is a question of mathematical calculation. Exactly I cannot say.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): आप यह बतायें कि जो चोरी हुई इसकी सूचना पहले पहल किसने दी?

श्री उपाध्यक्ष: Please proceed on.

श्री भीखाभाई : अभी भी यह सवाल-जवाब का प्रश्न है। आपने जो कहा उसका जवाब मैं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री दयाकृष्ण विजय और डॉ० बहादुरसिंह के खड़े होने पर), Order ! Order !!

श्री भीखाभाई : और यह कहा गया है कि यहां पर एक केस है उस केस को दबाया जा रहा है। एन्टी करप्शन के केस के बारे में कहा गया। तो, माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये से मैं माननीय सदस्यों को संतुष्ट करना चाहता हूं। ऐसा कोई केस दबाया नहीं गया। एन्टी करप्शन को केस दे दिया गया। जो कॉन्ट्रेक्टर है उसको ब्लैक लिस्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया है। केस जो है उसका बाजाता इन्वेस्टीगेशन करना होगा।

दूसरी बात उन्होंने कही कि जिलेटिन मंगाकर ऑर्डर से जयपुर उद्योग को दे दिया। यह प्रश्न नहीं है कि इतनी क्वान्टिटी मंगाई गई या नहीं। जो क्वान्टिटी वहां पर मंगाई गई थी वह बहुत थी। वह क्वान्टिटी ऑर्डर से आई थी। हमने क्वान्टिटी जितनी मांगी थी वह आई। उसको काम में लेकर जो बची थी उसको जयपुर उद्योग को दे दी। किसी आदमी को लोन दे दिया। डायनेमाइट के बारे में और जिलेटीन के बारे में जो कुछ किया गया है वह चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के एप्रूवल से किया गया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो दो आदमी के बीच में कर डाली है। उसका कन्ट्रोल बोर्ड से एप्रूवल होता है। एक आदमी के पास भी लाइसेन्स है और दूसरे के पास भी उस चीज का लाइसेन्स है तो क्या वजह है कि चोरी की बात की जाय।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about......

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any question interrupting the debate. If there are any questions, they may be put after the debate concludes.

श्री भीखाभाई : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक और बात कही। उन्होंने कहा स्टील की चद्दरों के बारे में। उसकी जहां तक जानकारी है उन्हें, उसकी मुझे जानकारी नहीं मिली है। अगर माननीय सदस्य के पास इसकी जानकारी हो तो वे दें, मैं जांच करवाने को तैयार हूं। उसी तरह से कॉपर के संबंध में कहा गया है। तो मैं इसके बारे में निवेदन करूं कि इस पर जो कुछ बात कही है यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। वह और कुछ हो, वह इतना बढ़ा-चढ़ा कर भाषण देते हैं, वह रंगीले रंग का भाषण देते हैं। कई बार उनका भाषण मुझे भी पसन्द आता है, लेकिन वे उसको अतिरंजित कर देते हैं, तो फिर केवल अतिरंजन को ही देखना होता है। मैं यह कहूं कि वे अच्छे स्पीकर हैं, ओरेटर अच्छे हैं, उनकी मैं दाद देता हूं। जहां अतिरंजना का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में खराबी आ जाती है कि यह भाषण अतिरंजित क्यों हो जाता है ?

२.५ इन्चेज़ के नमूने हमारे पास आने चाहिए थे। उसका हमने आर्डर प्लेस किया था। लेकिन २.३ के हमारे पास आये। इसके लिए हमने उस कंपनी को ब्लेकलिस्ट किया है। जिन आदमियों ने ऐसा किया था उनको सजा दी है।

(श्री भीखाभाई)

जो चार्जेज लगाये हैं उनका जवाब निवेदन कर चुका हूं और दफ्तर के मुताल्लिक माननीय सदस्यों ने जो बात कही, और हमारे सामान की चोरी के बारे में कहा, मुझे ऐसी कोई उसकी जानकारी नहीं है। उनके पास कोई सुबूत हो, कोई बात हो तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं उनके बारे में एन्क्वायरी करूंगा और इसके बारे में जो कुछ कार्यवाही हो सकती है वह करने को तैयार रहूंगा। उनको अधिकार है। प्रत्येक सदस्य का, चाहे वे विरोधी दल का हो, चाहे इधर बैठे, चाहे उधर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां तक राजस्थान के विकास का सवाल है, जहां तक राजस्थान के निर्माण का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष, कर्त्तव्य है। हम एक तरीके से बढ़ते हुए चले जायं। जहां कोई काम किया जाता है वहां ओमीशन भी होता है, कमीशन भी होता है। "To err is human". कोई गलती होती है, कई बार गलती होती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि गलती नहीं होती है। गलती हो जाती है तो उसके बारे में फैसला करना होता है। जहां तक राजस्थान के निर्माण का सवाल है इधर और उधर बैठने वाले सभी माननयी सदस्यों का कर्त्तव्य है। कहीं पर अतिरंजना की बात आती है, झूठे और निराधार आरोप लगाने की बात आती है, उधर के सदस्य हम पर हमला करने की टोन में बोलते हैं, तो हमला करने की जरूरत क्या है ? हम सुनने को तैयार हैं।........

श्री दयाकृष्ण विजय : आप यह नहीं कह सकते हैं कि झूठे हैं। उन आरोपों को प्रूव करा सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री भीखाभाई : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, छबड़ा से और जयपुर से जो माननीय सदस्य हैं उनके संतोष के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी कोई बात हो हमारे ध्यान में लाई जाय। ध्यान में लाने के बाद कोई देरी नहीं होगी। यही मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं।

उन्होंने यहां पर बहस के दौरान में एक बात बताई। जहां पर पौंग डेम बना रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा, तो मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि पौंग डेम के बारे में कन्ट्रोल बोर्ड बना हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, उसकी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे माननीय चौधरी साहब भी तशरीफ ले गये थे।

जहां तक भाखरा डेम के होइस्ट चैम्बर के बारे में बात थी, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मामला हमारी जानकारी में था और रहना चाहिए और रहा है। जानकारी नहीं रखी गई हो यह प्रश्न नहीं है। यह एक टैक्निकल मामला था। उस समय क्या हुआ कि उसके बारे में एक कमेटी स्थापित की गई थी। वह कमेटी पंजाब सरकार की थी। हमारे प्रतिनिधि कन्ट्रोल बोर्ड में हैं। उन प्रतिनिधि के पास जानकारी बराबर आती रहती है। मैं निवेदन करूंगा कि कमेटी की रिपोर्ट आई है।...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको क्या जानकारी थी ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will not feel disturbed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : So you have concluded, Mr. Bhikha Bhai ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी मिनिस्टर ने जो सदन में जवाब दिया कि उनको जानकारी नहीं है और इस समय माननीय मन्त्रीजी कह रहे हैं कि उनको सब जानकारी थी, यह बात इनकन्सिस्टेन्ट है....

श्री भीखाभाई : उप मंत्रीजी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आई है उसके बारे में जानकारी नहीं है। जो वाका हुआ है, जो अकरेन्स हुई है, उसकी जानकारी है। एन्क्वायरी कमेटीकी रिपोर्ट में क्या फेक्ट्स हैं उसके बारे में कहा होगा कि इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अकरेन्स का तो अखबार में आ गया है, उसकी सबको जानकारी है ही....

श्री उपाध्यक्ष : No. If a question is put while the Hon'ble member is sitting, it should not be entertaiund.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट सरकार को मिली या नहीं, उसके बारे में कन्टेन्शन था।

श्री भीखाभाई : सवाल यह है कि जहां तक जानकारी का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्य को दर्ख्वास्त करना चाहता हूँ कि उसकी जानकारी है, उसकी जानकारी रखी है और रखनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का सवाल है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, पिछले वर्षों के अन्दर जहां तक सिंचाई का सवाल है, सिंचाई योजनाओं का सवाल है, उसका आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण चम्बल से बिजली आ रही है, भाखरा से बिजली आ रही है। इसलिए माननीय सदस्यों को किसी प्रकार का अफसोस नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार के मंत्री लोग या मंत्रि मंडल सोया हुआ है इस प्रकार की दिमाग में कोई रूपरेखा हो तो उसको मिटा देना चाहिए। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि उनके जो कटौती के प्रस्ताव हैं, उनको वापिस लेकर इस मांग को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of clarification, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने आदेश दिया कुछ समय पूर्व, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : The question should be very short...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : and very sweet, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I don't expect any sweetness.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल - उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि भाखरा डेम में जो ब्रीच हुआ है उसकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनको पूरी जानकारी थी तो अखबारों में जो समाचार पढ़ा कि ब्रीच हुआ उतनी ही जानकारी थी या इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी थी ? उसमें कितना नुकसान हुआ, और उसके लिए कौन जिम्मेदार था ; वह जानकारी दे दें, यदि उनके पास हो, समाचार के अतिरिक्त, एक बात ।

दूसरी, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि उन्होंने जो कहा था जिलेटीन और उसके बारे में, मैं उनको जानकारी दे दूं कि वह ६००० पौंड था । उसके लिए उन्होंने चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की बात कही है कि कन्ट्रोल बोर्ड के एप्रूवल से दिया था तो वापिस क्यों लिया ? जयपुर उद्योग ने वापिस वह जमा कराया है । अगर चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की स्वीकृति होती तो वापिस जमा नहीं होता । इसके बारे में उनका क्या कहना है, इनका स्पष्टीकरण कर दें ।

एक बात मैंने प्रोजेक्ट्स में डेपूटेशन के बारे में कही थी ;उसका....

श्री उपाध्यक्ष : The answer should also be in a mathematical expression.

श्री भीखाभाई : अभी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका भ्रम और दूर कर देता हूँ । चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को सीमेंट की बहुत जरूरत है जो कि जयपुर उद्योग सप्लाई करता है । वह सरकार का काम है और सरकारी काम के लिए यदि कोई चीज़ हमें देनी पड़े, जैसा कि हम आम तौर पर करते हैं, ठेकेदारों को भी बहुत सा मैटीरियल सप्लाई करते हैं, यह इस कन्डीशन से रखा है कि यह चीज़ मुहैया करा दें और हमारा काम तेजी पकड़े । इस दृष्टि से जब कभी जयपुर उद्योग को जरूरत रही है और हमको सीमेंट की जरूरत रही, और उन्होंने मांग की; उनका काम नहीं रुके इसलिए चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को एप्रोच किया कि वह यह उनको लोन पर दे दें । जिलेटीन दिया, वह लोन की चीज़ है उसको वापिस लेना ही चाहिए । इसमें कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

भाखरा के बारे में उन्हें फैसला करना होता है । हम उस बात को ध्यान में रखते हैं, लेकिन उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, उसके बारे में there is no negligence on the part of any body. This is the substance of the report which has been received by the Government.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपकी आज्ञा हो तो यह क्लेरिफिकेशन कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : No clarification, please.

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

Page No.60

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो कटौती प्रस्ताव मैंने पेश किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : मुझे मेरे कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सूबेदारसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री गोकुलचन्द (लछमनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री गोकुलचन्द्र ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गोकुलचन्द्र : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री किशनलाल शर्मा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

'हां' करते समय मंत्रीजी की 'हां' नहीं सुनाई पड़ती है।

श्री किशनलाल शर्मा : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सम्पतराज जैन ने प्रस्तुत

(श्री उपाध्यक्ष)

किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सम्पतराज जैन : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह हैं कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

There is a difference between 'हां' and 'ना'

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I beg leave to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my cut motions.

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु०) : मुझे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री धन्नालाल हरित ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री धन्नालाल हरित : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव राव राजा श्री सरदारसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री धन्नालाल हरित : उन्होंने कटौती प्रस्ताव मूव नहीं किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रावतमल पारीक ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय !

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने को आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १७—सिंचन, नौचालन, तट—बन्धन तथा जल—निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक) पर व्याज, वाहक व्यय, १८ अन्य राजस्व व्यय, जिनके लिये साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है, १८ सिंचन (संयुक्त) स्थापना, औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, १२, ६६, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गई ।

(१. ४७ म० प०)

मांग संख्या ३८—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल—निकास निर्माण-कार्य (वाणिज्यक) ८०—का बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक), ८० का—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,६८,५४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

[इस मांग पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

डॉ० बहादुरसिंह :

(१) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (पार्वती का दूसरा नवीन बांध निर्माण करने सम्बन्धी योजना) ।

(५) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (रात का खार का बांध निर्माण पर बहस करने के लिये) ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

(२) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में अव्यवस्था पर विचार करने हेतु) ।

(३) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालय, तथा तट बंधन आदि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

में १००) की कटौती की जाय (घग्घर नदी की बाढ़ को रोकने में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु)।

श्री रामनारायण वर्मा :

(४) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–बहु प्रयोजन नदी योजना में १००) रु० की कटौती जाय (चम्बल क्षेत्र की सिंचन संबंधी अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)।

श्री नाथूलाल करोल :

(७) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (तहसील चाकसू में श्यामपुरा बन्ध बनाने पर बहस करने के लिए)।

श्री तनसिंह :

(8) That the demand No. XXXVIII, major head 80-Construction of irrigation, navigation, embankment and drainage works and capital outlay on multipurpose river schemes be reduced by Rs. 100/-(to discuss the enormous savings in previous years which shows inability of the department to spend the budgeted amount).

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

(१०) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान नहर परियोजना की धीमी प्रगति पर विचार करने हेतु)।

(११) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८० का–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में १००) रु० की कमी की जावे (चम्बल बांध योजना में हुए अपव्यय व अनियमितताओं पर विचार करने हेतु)।

श्री पी० के० चौधरी :

12. Demand No. XXXVIII, major head 68-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment etc. be reduced by Re.1/-(to discuss the Government's failure to provide adequate irrigation facilites in Jaipur District).

डॉ० चन्द्रकला :

(१३) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (क्षुद्र सिंचन निर्माण कार्य पर बहस करने के लिये)।

(१४) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (बाढ़ कन्ट्रोल वर्क्स पर बहस करने के लिये)।

श्री गोकुलचन्द जाटव :

(१६) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (गोविन्दपुरा

(श्री गोकुलचन्द)

बांध बंधवाये जाने के विषय पर बहस करने के लिए) :

श्री गंगादेवी डाटा :

(१७) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन में एक रुपये की कटौती की जाय (अलवर तहसील में सिंचाई कार्यों पर बहस करने के लिये)।

श्री गणपतिलाल वर्मा :

(१८) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन नौचलन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले के गोवटा बान्ध को पूरा करने पर बहस करने के लिए) ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

(२०) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय(भरतपुर जिले की बाढ़ नियन्त्रण योजना की प्रगति पर बहस करने के लिये) ।

श्री रामचन्द्र :

(२३) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८०–का–बहु प्रयोजन नदी योजना पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले की काली सिंध तथा भीम सागर योजना पर व्यय किये जाने वाली धन राशि पर विवाद करने हेतु) ।

श्री नाथूराम :

(२४) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समिति भूखिया क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं पर बहस करने के लिए) ।

(२६) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन,तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (तहसील गढ़ी में अढ़ाई तालाब बंधवाने पर बहस करने के लिए) ।

(२६) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८, सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (तहसील गढ़ी में लघु योजनाओं पर बहस करने के लिये) ।

श्री रावतमल पारीक :

(२५) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन में एक रुपये की कटौती की जाय (हनुमानगढ़ की नाली को नहर बांध कर पानी को काबू में करने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने के लिये) ।

श्री देवीलाल :

(२७) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (तहसील सराड़ा में लघु योजनाओं पर बहस करने के लिये) ।

(श्री देवीलाल)

(२८) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (खेरवाड़ा तहसील में लघु योजनाओं पर बहस करने के लिए) ।

श्री सम्पतराज जैन :

(३०) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (मनोहर थाना सिंचाई योजना बड़ी पर बहस करने के लिये) ।

(३१) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय [झालावाड़ जिले की नदियों की बाढ़ (नियन्त्रण) पर सरकार के असफल रहने पर बहस करने के लिये] ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं; पहला है पार्वती का दूसरा नवीन बांध निर्माण करने सम्बन्धी और दूसरा है रात का खार का बांध निर्माण करने हेतु ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो पार्वती बांध है उसके बारे में विचार करना चाहिये क्योंकि राजस्थान में जो पार्वती बांध की योजना है वह राजस्थान बांध के बाद में दूसरे नम्बर का बांध कहलायेगा, क्योंकि उसके द्वारा कम लागत में अधिक सिंचाई यदि कोई बांध कर सकता है तो वह पार्वती बांध है और उसमें इतना पानी है कि....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : Down stream or up stream? Which one should be put-up? मैं जानना चाहता हूं कि किस जगह बनाना चाहते हैं, ऊपर या नीचे ?

डॉ० बहादुरसिंह : नीचे की तरफ। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें फर्क यह है कि यह बांध जिसमें करीब २० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और करीब ६० लाख रुपये लगने की आशा है, इसका सर्वे भी हो चुका है और यह बांध सेपऊ के पास बांधना है। इस बांध से थोड़ी दूर ही धौलपुर और राजाखेड़ा की तहसीलें हैं। उनमें सर्वोत्तम भूमि है, सिंचाई लायक है और उसमें सिंचाई दूसरे पार्वती बांध से हो सकती है। यदि उसके निर्माण में राज्य सरकार विलम्ब करती है तो उसका असर खाद्यान्न पर पड़ता है और राज्य को समृद्धि पर भी असर आयेगा। इसलिये यदि ६० लाख रुपये इस बांध पर खर्चे करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि देश की काफी बड़ो संपत्ति बढेगी और उसके बनने के साथ ही काफी खुशहाली हो सकती है। तो मैंने यह कटौती प्रस्ताव राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये पेश किया है जब कि इसका सर्वे भी कर चुके हैं। और इस बात पर एक निश्चयात्मक तरीके पर पहुँच चुके हैं कि यह बांध हमारे लिए अच्छा साबित होगा और जिससे हमारा वह इलाका, जो आम तौर से गेहूँ की अच्छी पैदावार का एरिया माना जाता है, पानी की वजह से बेकार पड़ा है और राजाखेड़ा में ट्यूब वैल बनाने की योजना रखी है उससे ज्यादा यह हितकारी होगा क्योंकि इस सिंचाई योजना से हमारे धौलपुर व राजाखेड़ा का इलाका सिंचाई में आ जाता है। मैं आशा

Page No.66

(डॉ० बहादुरसिंह)

करता हूँ कि ६० लाख का खर्चा अवश्य होगा, लेकिन इससे बहुत इलाके में सिंचाई होगी और उसका रिटर्न अच्छा होगा।

इसके बाद जो पांचवां कटौती का प्रस्ताव है वह अलग से नहीं है। इसके द्वारा में केवल उस बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा जो पिछली डिमान्ड के जवाब में कही है। डांग एरिया में जो पांच स्कीम्स हैं, उनमें से यह एक है। इस स्कीम के सम्बन्ध में जो भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री थे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जहां तक डांग की इस योजना का सम्बन्ध है, उससे डेढ़ परसेन्ट रिटर्न होगा। अगर दो परसेन्ट रिटर्न होता तो उसका काम प्रारम्भ कर देते। जैसा कल मैंने बताया था, इस बांध को बनाने से, जो डांग का एरिया है, जहां पुलिस और दूसरे विभागों पर काफी खर्चा होता है, उसमें सुविधा होगी। इसलिए जो पांच स्कीम्स हैं, उनमें से इसको जल्दी प्रारम्भ कर दें और इस पर अधिक व्यय नहीं पड़ने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे दोनों कटौती के प्रस्तावों के द्वारा केवल मात्र सरकार का इन विषयों में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इस पर आप विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे भी दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में है, दूसरा घग्घर नदी की बाढ़ के सम्बन्ध में है। राजस्थान नहर के सम्बन्ध में जो मेरा प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर योजना के सम्बन्ध में जिस प्रकार प्रारम्भ में वर्क चला और जिस प्रकार की योजना बनी थी उसका परिणाम दिखाई देता है कि योजना में जितना रुपया लगने वाला था या लगने वाला है उसका उतना लाभ मिल सकेगा या नहीं। प्रारम्भ में बड़ी योजना बना कर रखी और एक स्वप्न दिखाया गया। उस समय हमारे मुख्य मन्त्री ने यहां तक कहा था कि राजस्थान में मैं आश्चर्यजनक काम करूंगा; राजस्थान की नदी के अन्दर जहाज नहीं चलते, मैं जहाज चलाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान के अन्दर रेगिस्तान के ऊंट को तो देखा है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान नहर बनेगी कि उसमें जहाज चलने लगेंगे और राजस्थान नहर को समुद्र तक पहुँचा देंगे; समुद्र से सीधे जहाज राजस्थान के अन्दर आ सकेंगे। यह योजना जिस प्रकार बनी थी और जिस प्रकार घटती जा रही है उसके अनुसार अब मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि जहाज नहीं चलेंगे और इसी प्रकार हो सकता है कि इसको समुद्र तक नहीं पहुँचाया जायगा। इस प्रकार का संकेत दिया गया है। इसके अलावा पहले जिस प्रकार का तल बनाना चाहते थे, अब उसको पलट कर पक्का तल बनाने की योजना रखी जा रही है। समय समय पर इसके सम्बन्ध में जो नीति रखी गई और जो बड़ी योजना जनता के सामने रखी गई वह घटती जा रही है, वह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा घटाई जा रही है। अभी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच नहरी समझौता हुआ है, उसका असर भी इस पर पड़ा है। यह लगभग ४०० करोड़ की है, जिसके सम्बन्ध में मास्टर प्लान

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बनाया जा रहा है और ४०० करोड़ का खर्चा किया जा रहा है। उसका पूरा उपयोग होगा या नहीं, इस सम्बन्ध में आज तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। सदन को भी यह नहीं बताया गया है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच जो नहरी समझौता हुआ है उसका प्रभाव इस योजना पर कितना हुआ है, राजस्थान कैनाल से कितना पानी मिलने की सम्भावना बताई गई थी और उतना पानी न मिलने से इस योजना में कितनी रुकावट हुई है। मैं समझता हूँ कि अभी जो समझौता हुआ है, उसके कारण पानी रुका है और उसके कारण नहर के निर्माण काम में भी रुकावट आ गई है और जिस गति और प्रगति से नहर बननी चाहिए उतनी गति और प्रगति से काम नहीं हो रहा है। इस योजना के लिए जितना रुपया रखा गया था उतना नहीं खर्च हो पा रहा है। इसके साथ ही जितने काल में यह कैनाल बन सकती थी उसमें नहीं बन सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पोंग नदी पर बांध बनाया जा रहा है। पोंग का बांध जिस समय बन जायगा, जिस केपेसिटी में पानी दे सकेंगे, उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। सन् १९६६ में यह बांध बन जायगा, ऐसी सरकार की योजना है। जब यह बांध बन जायगा उसमें फुल केपेसिटी के अन्दर पानी आ जायगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब बांध बन जाता है और बांध में पानी आ जाता है तो राजस्थान नहर को पानी मिलना चाहिए। लेकिन जो संधि हुई है. उसका परिणाम यह हुआ है कि १९७३ में जाकर यह पानी मिलने वाला है। इसका अर्थ है कि जो रुपया लगाया जायगा, जो इन्वेस्टमेंट हो जायगा वह रुपया ब्लॉक हो जायगा क्योंकि उसका जो लाभ राजस्थान को मिलना चाहिए वह समय पर नहीं मिल सकेगा। एक ओर रुपया हमारा लग रहा है, दूसरी ओर काम समय पर नहीं होगा, पानी समय पर नहीं मिल सकेगा और सिंचाई के अन्दर जितना लाभ हो सकता था वह नहीं हो सकेगा। तो राजस्थान नहर की जिस प्रकार की योजना थी वह उस प्रकार की होगी या नहीं, यह अन्धेरे में चला गया है। विशेष रूप से जो पाकिस्तान के साथ अभी सन्धि की है उसके कारण जो मुख्य मन्त्रीजी ने ख्वाब में एक सुन्दर स्वप्न देखा था उसके सम्बन्ध में अपने मुंह के द्वारा ही इन्कार कर दिया, यह बात नहीं होगी, यह बात नहीं होगी। सन्धि के बाद जो परिणाम इस पर पड़ने वाला है उसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है कि वस्तु स्थिति यह है। अभी संसद के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, कई कई बार इर्रिगेशन मिनिस्टर के द्वारा, जो गंगानगर और गंग केनाल में कम पानी आया है उस सम्बन्ध में पूरा स्पष्टीकरण हुआ है। लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री और राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के सम्बन्ध में न तो इस सदन को बताया है और न ही जनता के सामने स्पष्टीकरण किया है। इससे ऐसा लगता है कि सारी की सारी योजना के सम्बन्ध में भयंकर गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो जिस योजना के नाम पर राजस्थान में और हिन्दुस्तान में इतना हल्ला किया जाता था, जिस योजना के आधार पर कहा जाता था कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हिन्दुस्तान की यह सबसे बड़ी नहर है, इससे इतना इर्रिगेशन होगा और राजस्थान आगे जाकर हिन्दुस्तान का ग्रेनरी हो जायगा, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें इस योजना के नाम पर दुनिया के अन्दर कही गई। लेकिन इस योजना पर प्रभाव करने वाली जो बात हुई उसका कोई स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने नहीं किया है। मैं कहूँगा कि वास्तव में इस प्रकार की आशंकायें बड़ी हैं, जो प्रान्त की उन्नति पर आघात है और प्रान्त की योजना के लिए चुनौती हैं, तो उसका मन्त्री महोदय को स्पष्टीकरण करना चाहिए। स्पष्टीकरण इसलिए करना चाहिए। कि इससे राजस्थान सरकार को घाटा होने वाला है और जो रुपया कर्ज के रूप में लिया है उसका व्याज अलग लगेगा। इन सारी बातों को देखते हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मन्त्री महोदय राजस्थान की इस योजना के सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि इस प्रकार की स्थिति है। इस दृष्टि से मैंने अपने इस कटौती प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

दूसरा प्रस्ताव घग्घर नदी की बाढ़ के सम्बन्ध में है। हमारे इस बजट में इस बाढ़ को रोकने के लिए ६० लाख रुपया रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ कोई एक दिन आने वाली नहीं है। यह बाढ़ पहले जब आई, पिछली बार, तो इस सम्बन्ध में चर्चा हुई और राजस्व मन्त्रीजी ने बताया था कि बड़े पैमाने पर काम किया है, इस प्रकार की व्यवस्था की है, इतना रुपया खर्च किया है, उस बाढ़ को रोक दिया है। उस समय ऐसा लगा था राजस्व मन्त्रीजी के भाषण के पश्चात् कि घग्घर नदी में बाढ़ आई थी, वह अस्थाई बाढ़ थी, स्थाई नहीं थी और अगर बाढ़ आ गई तो कोई चिन्ता करने की बात नहीं है। लेकिन इस साल फिर बाढ़ आई। अब बाढ़ आई है, उससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का एक टेम्पोरेरी फेज़ का रूप बाढ़ के लिए लिया गया था वह ठीक नहीं है। क्योंकि पहले बाढ़ नले में आया करती थी, इस साल जो बाढ़ आई, उसको देख कर जो वहां के रहने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यह राय दी है कि यह समझना ठीक नहीं है, यह बाढ़ हर साल आयेगी, हर साल पानी ज्यादा आने लग जायगा। इसका कारण यह नहीं है कि राजस्थान में पानी ज्यादा पड़ने लग गया है, इसका कारण यह बताया गया है कि पंजाब में वाटर लोगिंग की प्रोब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए वहां के अधिकारी लगे हुए हैं क्योंकि वहां की जमीन खराब हो रही है, इसलिए जल्दी ही उस समस्या का हल होना चाहिए। समस्या का हल होना चाहिए, उसके लिए वहां के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि इस प्रोब्लम को युद्ध के स्तर पर हल करना चाहिए। अगर घर घर से फोर्स्ड लेबर लेना पड़े तो वह लेकर भी इस प्रोब्लम को सोल्व करना है। इस स्तर पर पंजाब में इस प्रोब्लम को हल करने के लिए लोग लगे हैं। उसका कारण यह है कि घग्घर नदी में बाढ़ आनी शुरू हो गई क्योंकि जो फालतू पानी, जो सिंचाई के काम में नहीं आता था, एकत्र हो जाता था जिसके कारण एक समस्या उत्पन्न हो जाती है उस पानी को वे निकाल रहे हैं और निकालने के कारण राजस्थान के अन्दर वह पानी बह कर आता है। वैसे राजस्थान के अन्दर पानी की कमी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है, पानी आये, लेकिन फालतू पानी इधर फैंक रहे हैं राजस्थान की जमीन को फालतू समझ कर और राजस्थान की ओर से कोई विरोध नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो? उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारा देश एक है। पंजाब की समस्या हल होनी चाहिए, लेकिन पंजाब की समस्या हल होने से पहले राजस्थान के लिए समस्या पैदा हो जाय, इसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार दोनों बैठती और इस पर विचार करतीं। अगर दोनों सरकारें बैठती, दोनों सरकारों के विशेषज्ञ बैठते और देखते कि राजस्थान में किस रूप में पानी आता है, इसको हल करने के लिये राजस्थान और पंजाब दोनों के अधिकारी बैठते और किस ढंग से कितना पानी इधर बहायेंगे, यह बात राजस्थान सरकार के सामने होती तो इसको बाढ़ नहीं कहते, योजनाबद्ध पानी का आना कहते। पर इस तरह की कोई बात नहीं। हर साल बाढ़ आती है, बजट में इसके लिये बाढ़ को रोकने के लिये प्रोविजन रखा जाता है, तो हमारी राजस्थान सरकार का पैसा फालतू नहीं है कि इस तरह से व्यर्थ खर्च किया जाय।

तो मंत्री महोदय को चाहिये कि अखिल भारतीय स्तर पर, नहीं, यह तो जोन का मामला है, जिस समय उत्तरी जोन की मीटिंग हो तो उसमें बैठ कर इस समस्या को हल करना चाहिये। पंजाब वाले हमारे लिये समस्या का निर्माण करते रहें और हम समस्याओं को हल करते रहें और व्यर्थ ही पैसा खर्च करते रहें, यह तो उचित नहीं है। तो नोर्दर्न जोन की मीटिंग हो, उसमें मन्त्री महोदय को चाहिये कि वहां जाकर इस समस्या को हल करें। उनका पानी हमारी जमीन में आता है तो रुपया उन्हीं को खर्च करना चाहिये। इस तरह बाढ़ आने से हमें जन-धन की हानि होती है, जमीन भी खराब होती है और पैदावार बिल्कुल नहीं होती। बाढ़ रोकना है घग्घर नदी की इसलिये बजट में प्रोविजन रख दिया और रुपया हर साल खर्च कर दिया, इस ढंग से इस समस्या पर विचार नहीं होना चाहिये। इस समस्या के मूल रूप में जाकर सोचेंगे तभी इस समस्या का हल होगा। नहीं तो घग्घर हमेशा हमारे सिर पर रहेगी।

इसलिये इन दोनों प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करते हुए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा!

श्री रामनारायणवर्मा (पीपलदा-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है : "मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८ बहु प्रयोजन नदी योजना में १००) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)

वैसे तो हमारे उधर सिंचाई का प्रारम्भिक वर्ष था इसलिये दुरुपयोग होना स्वाभाविक था, पर अधिकारियों द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है जिससे नुकसान उठाना पड़ा है। चम्बल नहर की उपशाखाओं व नालियों को खोदना चाहिये था, उन्हें खोदी नहीं और वैसे ही अधिकारियों ने पानी खोल दिया। वहां उन किसानों को सूचित नहीं किया, उनको सूचित कर देते तो उन किसानों की फसल नष्ट नहीं

(श्री रामनारायण वर्मा)

होती। पानी खोल देने से उनके खेतों में पानी भर गया और कई किसान आज व्यक्तिगत रूप से अकाल की स्थिति में पहुंच गये। दूसरी बात यह है कि इस साल पानी बहुत देर से पहुंचा है और पानी की रफ्तार इतनी धीमी थी कि किसान लोग पूरी फसल को पानी नहीं दे सके। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक भी कई गांवों में पानी नहीं पहुंचा है, जो लोग सबल, मिलने–जुलने वाले थे उनको पानी मिला है, गरीब तबका इन्तजार करता ही रह गया। इसलिये विशेष रूप से मेरा यह निवेदन है कि भविष्य में टाइम पर पानी दिया जाना चाहिये और उस पानी की रफ्तार तेज होनी चाहिये और पानी देने के लिये जो नियम, उप–नियम हैं उनके माफिक पानी देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद !

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट–मु०) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचाई, नौ चालन, तटबन्धन में एक रुपये की कटौती की जाय (तहसील चाकसू में श्यामपुरा बन्ध बनाने पर बहस करने के लिये) मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि इस जिले में सिंचाई के साधन सिवाय बांध के और कुछ नहीं हो सकते। राजस्थान में कहीं तो राजस्थान केनाल आयेगी, कहीं चम्बल के प्रोजेक्ट से पानी दिया जायगा, कहीं गंग केनाल से सिंचाई होती है; पर इस जयपुर जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, कोई नहर नहीं आने वाली है, इसलिये बंध के लिये कटौती प्रस्ताव रखा है कि श्यामपुरा बांध बंधाना चाहिये। इस पर राजस्थान सरकार ध्यान दे। इस बन्ध के बारे में राजस्थान सरकार के पास चार साल से कागज़ चल रहे हैं पर राजस्थान सरकार ने न मालूम क्यों ध्यान नहीं दिया। राजस्थान सरकार ने इसका सर्वे कराया। इस बन्ध के लिये कई बार कर्मचारियों को वहां भेजा, सर्वे करवाया। इसका रिटर्न भी अच्छी तरह बैठता है, सिंचाई भी इस बन्ध से अच्छी तरह हो सकती है, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार इस बन्ध को बनाने में क्यों हिचकिचाहट रखती है ? वह एरिया ऐसा है कि वहां पर ५० प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, जिस जगह कि यह बंध बनेगा। खास तौर से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे खुद आदिवासी हैं, आदिवासी होते हुए भी जिस क्षेत्र में आदिवासी अधिक संख्या में आबाद हैं वहां पर बांध नहीं बंधवाते। मैं आशा करता हूं कि वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और इस बंध को बनावायेंगे।

मोरेल बांध लालसोट में बांध रखा है, उस पर ४२ लाख की लागत लगी है। उसकी २४ फीट भराई है, १८ फीट पानी हमेशा भरा रहता है पर इस बांध का पानी यूटिलाइज नहीं होता, सिर्फ ६ फीट पानी निकालते हैं। इस बांध को आमदनी सिर्फ ४५ हजार रुपया है जब कि इस पर ३,१७,००० रुपया मरम्मत, देखरेख आदि में खर्च होता है। श्यामपुरा बांध से रिटर्न काफी अच्छा मिलने वाला है।........

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा कटौती प्रस्ताव है जिस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं ?

श्री नाथूलाल करोल : मैं तो तुलना कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: हां, करिये तुलना ।

श्री नाथूलाल करोल : मैं निवेदन कर रहा था कि मोरेल बांध के बनाने में इतना रुपया खर्च हुआ है पर इन्कम कुछ भी नहीं है, इसका पानी भी युटिलाइज़ नहीं होता । श्यामपुरा बांध जिसके लिये ५ साल से निवेदन कर रहे हैं, जिससे काफी रिटर्न मिल रहा है, उसका पानी भी युटिलाइज हो सकता है, वहां आदिवासी लोगों की आबादी बहुत है । इस जगह के लिये मैं खास तौर से राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बांध को बना दिया जाय तो वहां के लोगों को बड़ा लाभ होगा और राज्य सरकार को भी इससे काफी आमदनी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

कटौती प्रस्ताव में संशोधन सम्बन्धी आपत्ति

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा था उसकी तो भाषा और सारी चीज बदल दी है, मैंने तो इकोनोमी कट रखा था....

श्री उपाध्यक्ष : खैर हुआ सो हुआ, अब है सो रखिये !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नहीं, यह तो बड़ा सीरियस पोइन्ट है, माननीय उपाध्यक्ष,........

श्री उपाध्यक्ष : We will not take that point, whether serious or not. Once it has been admitted as amended, it should be taken and discussed as such. Typing is wrong or if anything is wrong the Hon'ble member is not supposed to raise this point here. He will stick to that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It may be seen whether the Hon'ble member has original version for this economy cut......

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He has got the original which he has moved.

श्री उपाध्यक्ष : Motion, which is before the House, is amended. This is a questien of admission of motion.

श्री पी० के० चौधरी : The point is that the motion cannot be moved without the consent.

श्री उपाध्यक्ष : This is a question of the office. I hope, Hon'ble members will not unnecesarily waste the time of the House. I would request the Hon'ble member that if he has a different position he will please consult the Secretary in his chamber. I am helpless so far as the

Page No.72

(श्री उपाध्यक्ष)

position here is concerned. Now the position is that when rules do not help you in some way, or other, I am not to relax or make certain amendments in the cut motion, which is now before us.

श्री तनसिंह : मैं आपका ध्यान रूल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। It is for you not to see or......

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order. please !! This is not my point. My observation is that the cut motion that is brought be discussed. That is the only position.

(व्यवधान)

One at a time, one at a time.

श्री पी० के० चौधरी : The original may be sent for and examined whether the Hon'ble member has given a notice for the conversion which he says. If that is there in his original motion, then leave that. If there is a mistake in typing it, it is not the Hon'ble member's fault.

श्री उपाध्यक्ष : Let me assess the position.

(सचिव महोदय से परामर्श के पश्चात्)

I think, as I am informed, the position was explained to the Hon'ble member about the changes made in his cut motion.

श्री तनसिंह : I want to draw your attention to rules.

श्री उपाध्यक्ष : No, Mr. Tan Singh, I want to know whether...

(व्यवधान)

My point is whether the position was explained to you before the cut motion was placed before the House.

श्री तनसिंह : I am not at all satisfied by it. I want to draw your attention to the rules.

श्री उपाध्यक्ष : If you are not satisfied you could have approached the Hon'ble Speaker at the time to get redress of your grievance.

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब रूल्स और नियम इस प्रकार के हैं कि मुझे प्रिविलेज देते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मैं किसी के पास जाऊं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! My observations are that once the position has been explained to the Hon'ble member it should end there, and still if he has a grievance to point out he may get the redress from the Hon'ble Speaker. I hope the Hon'ble member will please proceed with the cut motion which is before him.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई इत्तला नहीं मिली। मैंने

(श्री तनसिंह)

जब कट मोशन्स दिये तो मैंने सोचा शायद गलती हो गई है। इसलिये आज मैंने एप्रोच किया तो मुझे बताया गया। जब मैंने ५ करोड़ का....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! I am helpless and can't extend help to the Hon'ble member at this stage. As have pointed out, I can only proceed with the cut motion as it is. Any correction or amentdment made by Hon'ble the Speaker, I am not in a position to change it. Therefore, the Hon'ble member will proceed with the debate.

श्री तनसिंह : अब मुझे बताया जावे कि मुझे क्या बोलना चाहिये ? अपनी इकोनोमिक कट थी उसके बजाय टोकन कट....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! You will not canvaess the observations. I would request the Hon'ble member please not to canvass the ruling.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, whether a cut motion moved by an Hon'ble member may be amended, may be changed or may be disallowed or may be accepted, what is the position ? Sir, I would like to have ruling from the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : That is a hypothetical question which I am not prepared to consider. The Hon'ble member has moved a cut motion. This is an answer...

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर)

Order ! Order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not going to challenge the authority of the Chair or of the Hon'ble Speaker. With all respects to the Chair, my submission is that in what language the cut motions were submitted ? There can be grammatical correction, but the language or spirit of the cut motion cannot be changed. At the most, it can be disallowed. That is my submission.

श्री उपाध्यक्ष : Well, Rule 147 throws more light over the issue, which the Hon'ble member has raised as point of order, but I don't treat it as a point of order. It may be something of a clarification which I may, in the light of Rule 147, place before the House:—

"The Speaker shall decide whether a cut motion is or is not admissible under these rules and may disallow any cut motion when in his opinion it is an abuse of the right of moving cut motions or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules."

Now the position is that this cut motion has been amended or corrected in the light of rule 147. If

(श्री उपाध्यक्ष)

it is a correction which the Hon'ble member does not feel it to be a right correction or if it is something otherwise, it is a question of fact and, therefore, once an observation under rule 147 has been given by the Hon'ble Speaker, I think, we are all bound by it and the point of order raised by Hon'ble Shri Satish Chandra Agarwal is not well taken and the Hon'ble member will proceed with the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Deputy Speaker, rule 147, that you have just referred to, clearly states that...

श्री उपाध्यक्ष : Well we are not discussieg rule 147. My observations are that anything done by the Hon'ble Speaker is under rule 147 and he has very correctly applied the rule. Therefore, if anything is said against the observations of the Hon'ble Speaker that he has amended or corrected the cut motion, I think it is canvassing the ruling.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : I think it is the clerk who has done it.

श्री पी० के० चौधरी : Is the Hon'ble Speaker's initial there ?

श्री उपाध्यक्ष : It is an official secret.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No question of official secret. This is the privilege of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I do not possess the facts.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : If the record does not substantiate it, it is not presumed that everything is done by the Speaker.

श्री उपाध्यक्ष : If the House demands...I must point out that it does not bear signatures of the Hon'ble Speaker.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I have strong objection to it. The entire cut motion was altered.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! It is a question which the Hon'ble members can very rightly deal with Hon'ble the Speaker. I think, it is offical affair which can be discussed in the chamber with Hon'ble the Speaker.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार ; I would like to know whether the Assembly Secretariat has tampered with the language of the cut motion ?

(सचिव महोदय से परामर्श के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : According to rule 147, it is the function of the Speaker

(श्री उपाध्यक्ष)

and I quite admit it, I think that there are delegated powers to the Secretary under which the Secretary has done it. So it is a...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The Secretary cannot do it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have raised a point of order under Rule 147. I will draw your attention to the rule which you placed just a few minutes back. Your Honour informed the House that a particular cut motion has been amended by the Hon'ble Speaker. The position as it stands, this motion moved by the Hon'ble member from Barmer has not been amended by the Hon'ble Speaker. My point of order is that if a motion from an Hon'ble member is altered, amended or tampered with by the Secretariat what would be the position, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष ; You will give me an opportunity once again to assess the position.

(पुन: सचिव महोदय से परामर्श के पश्चात्)

I must face the ordeal and must be very clear about the issue. I am now told that there are no delegated powers in writing.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Hon'ble Speaker is not authorised to delegate.

श्री उपाध्यक्ष : This is also a correct position. Therefore, I revise my observations in the light of information given to me by the Secretariat and hold that the amendment is not legal under Rule 147.

This is a correction which I have made in my previous observations in the light of the information which I could get. I would now allow the Hon'ble member to proceed with his but motion as it stood originally.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : In this context, Sir, I would request that in future whenever cut motions are amended or tampered with, the member should be informed accordingly.

श्री उपाध्यक्ष : Well, the Secretariat will take notice of all the details of this debate before the House and of the reactions of the Hon'ble members so far as the amendments of these cut motions are concerned.

मांग संख्या ३८–सिंचन, नौचालन, तट–बन्धन इत्यादि

(पूर्व क्रम से)

श्री तनसिंह (बाडमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस मांग के अन्दर ५ करोड़ २५ लाख की कटौती का प्रस्ताव है और

(श्री तनसिंह)

उसमें जो मुझे निवेदन करना है वह यह है कि हमारे इस बजट के अन्दर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी मांग यही है। मैंने बजट के सामान्य वाद-विवाद के समय भी निवेदन किया था कि इस मांग में बहुत सेविंग्स होती हैं और उसका उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया था कि इस मांग में १ पर्सेंट, दो पर्सेंट और अधिक से अधिक ३ पर्सेंट की सेविंग्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि एक पर्सेंट सेविंग्स सारे बजट पर कुल मिला कर हो सकती है लेकिन आपके विभाग में, खेद के साथ कहना पड़ता है कि ३० पर्सेन्ट से तो कम ही नहीं हुई है। पिछले साल में तो ६० पर्सेन्ट, ८० पर्सेन्ट तक सेविंग्स बढ़ी है। इसलिए एक्जाज़रेटेड फीगर्स हमारे सामने रख कर दो तरीके से इसका नुकसान होता है। पहले तो अनाप शनाप रुपया रख दिया गया। खर्चा करने की शक्ति नहीं रखते, आपकी मशीनरी उसको खर्च नहीं कर सकती और दूसरी ओर जहां खर्च होना चाहिये उसको रोका जा रहा है। बहुत ज्यादा फीगर्स एक्सपेन्डीचर में बढ़ा कर टेक्सेशन को जस्टिफाई किया जाता है। जब मैं बजट के सामान्य वाद विवाद पर बोल रहा था तो आवाज यह आई थी कि फीगर्स ठीक होते हैं। लेकिन आज मैं सम्पूर्ण फीगर्स के साथ तैयार होकर आया हूं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ उनका जवाब देंगे।

उन सारों पर एक विहंगम दृष्टि से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि १५ करोड़, ६८ लाख की मांग मंजूर की। खर्चा १४ करोड़ ६० लाख नेट बताया गया और दूसरी अदर रिकवरीज़ के द्वारा १ करोड़ ६० लाख ६० हजार बताया। पिछली बार यह बताया गया था कि हमने इम्प्रूवमेन्ट किया है। हमारे पास जो फीगर्स अवेलेबल हैं वे हैं कि सन् ५६-६० के अन्दर एक्चुअल कितना खर्चा हुआ। ये फीगर्स ५६–६० के हैं और बाकी के ६०–६१ के पहले थ्री मन्थ्स के हैं। उनको प्रमाणित नहीं मान सकते। लेटेस्ट जो फीगर्स हैं, सन् ५६–६० के बजट में ओरीजिनल ग्रान्ट रखी गई थी १२ करोड़ ४६ लाख ८६ हजार रुपया और यदि माननीय मंत्री महोदय इस विषय में जानना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि वे बजट एस्टीमेट्स फॉर दी इयर १६५६--६० के पेज १० पर देख लें। इसके पेज नं० १० पर आप देखेंगे कन्स्ट्रक्शन ऑफ इर्रिगेशन, नेविगेशन में १२ करोड़ ४६ लाख ८६ हजार रखा था और बजट एस्टीमेट ६१--६२ का जो है उसमें एक्चुअल फीगर्स दिये हैं उसका पेज नम्बर भी देख लें। उसके पेज नम्बर १० पर एक्चुअल बताये गये हैं और वह है १ करोड़ ५१ लाख रुपया। उसका मतलब होता है कि १० करोड़ ५८ लाख की बचत हुई। ८८ पर्सेन्ट बचत हुई। वैसे बचत तो होनी ही नहीं चाहिये थी, क्योंकि इम्प्रूव कर रहे हैं। यदि पीछे के फीगर्स को और देखा जाय तो उसके आधार पर न जाने और क्या कहेंगे? लेकिन ५६--६० के ही फीगर्स को ले लीजिये। ८८ पर्सेन्ट सेविंग्स हुई है। यह हो सकता है कि यह ओरीजिनल ग्रान्ट थी उसके बाद सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस आई हो और सरेन्डर कर दिया हो। हो सकता है, यह और उसके कारण सेविंग्स कम बताई गई हो। मेरा यह नम्र निवेदन है कि १२ करोड़ की ग्रान्ट रखी, फरवरी–मार्च में न जाने चार, आठ करोड़ और सरेन्डर कर दिया हो, फीगर्स नहीं हैं

(श्री तनसिंह)

जितना अन्दर इसके जाया जाय तो सेविंग्स ही सेविंग्स है; उसके अलावा कुछ नहीं है। फर्वरी में सरेंडर किया जाता है, सारा फाइनेन्शियल इयर निकल जाता है और इस तरह से वह रुपया दूसरे कामों के लिए भी, जहां खर्च किया जा सकता है वहां खर्च न किया जाकर ब्लॉक हो जाता है। ५९–६० के जो लेटेस्ट फीगर्स अवेलेबल हैं, ओरीजिनल ग्रान्ट के मुकाबले में जो खर्चा एक्चुअल किया गया था, फिर भी ८८ पर्सेन्ट की बचत हुई है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा यह दलील दे सकते हैं कि भारत सरकार से सलाह नहीं आई, फलां काम नहीं लिये गये। लेकिन मैं आपके इस तरह के रीजन्स से सहमत नहीं हूं। जो खर्चा होता है, बुक एडजस्टमेन्ट होता है या नहीं, माइनर एडजस्टमेन्ट तो संभव कहा जा सकता है और यदि डीएप्रिशियेशन ऑफ अकाउन्ट्स को देखेंगे तो यह विदित होगा कि इम्प्रूवमेन्ट कर रहे हैं और जितने भी आर्ग्युमेन्ट्स दिये गये हैं वे गलत हैं। स्टोर पर्चेज नहीं हो सका और काम नहीं कर सके। उन सारे कारणों को सरकार पर वे लोग थोपना चाहते हैं। ऑडिट एन्ड अकाउन्ट्स रिपोर्ट्स हैं उन पर भी निवेदन कर दूं। १९५६–५७ की ऑडिट रिपोर्ट ५८ में पेश हुई है। पेज ५ पर ६८ पर्सेन्ट सेविंग हुई इसी एक मांग में और उसके लिए कारण दिये हैं : Mainly unfilled vacancies, non-adjustment of common pool expenditure relating to Bhakra Nangal Project for want of sanction from the Government of India, slow progress of works due to late sanction of tenders. तो यह एक कारण हो सकता है। आपकी सेविंग्स में कुछ पर्सेन्टेज ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की सैंक्शन न आने से रुक गये। मेरा तो यह निवेदन है कि शुरू से ही गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को इसके लिए पस्यू करना चाहिये। जब बजट बने तो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की जिस चीज के लिए सेन्क्शन की जरूरत हो, फाइनेन्शियल इयर के बिगिनिंग में ही एप्रोच करनी चाहिये और नहीं हो पाती है तो सरेन्डर करना चाहिये। ६८ पर्सेन्ट की सेविंग्स यह बताती है कि सरेन्डर नहीं किया। २८–२९ फरवरी तक बैठे रहे, सरेन्डर न करे। यह बात तो केवल एक एक्सपेन्डीचर से है। किस प्रकार से सारी चीजों का सन्चालन करते हैं ? यह मामूली हैड होता और उसमें काफी सेविंग्स होती तो निवेदन करने की आवश्यकता नहीं थी।

मेरा अर्ज करना यह है कि यह महत्वपूर्ण विभाग है इसमें सेविंग्ज़ नहीं होनी चाहिये। लेकिन सेविंग्ज हुई है और वह भी बहुत बड़े अमाउन्ट की हुई है। जो ८० प्रतिशत और ९० प्रतिशत के करीब है। उसके लिये जो रीजंस बताये जाते हैं, वही रीजन्स हैं जो एक तरह से गुमराह करने के कहे जा सकते हैं। १९५७-५८ के एप्रोप्रियेशन अकाउन्टस के पेज ५ को देखिये उसमें २५ परसेन्ट की सेविंग है....

"... non acquisition of land due to change in design of Rajasthan Feeder, slow progress of construction programme and non-purchase of stores and materials to the extent anticipated, partly counter-balanced by excess due to accelerated progress on Chambal Project and due to more debits under 'Suspense' than anticipated."

(श्री तनसिंह)

अब अगर चम्बल प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्च नहीं होता है तो जितना हमारा विचार था लैण्ड एक्वायर करने का, कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम आदि वह भी पूरा नहीं हो पाता । तो यह भी २५ प्रतिशत ही सेविंग नहीं होती और ज्यादा पर्सेन्ट सेविंग होती । मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बातें अगर होती तो इन सब कारणों के अनुसार सेविंग नहीं होती । आप उसी प्रकार से एप्रोप्रियेशन अकाउन्टस १९५८-५९ को देखिये । ऑडिट रिपोर्ट ६० को देखें इसके पेज ५ पर यह है:

"Mainly unfilled vacancies, non-execution of certain works and slow progress on some others, non-receipt of debits from the Punjab Government on account of expenditure on Rajasthan Feeder, less share of expenditure on Common works of Bhakra Nagal Project partly counterbalanced by more debits under 'Suspense' than anticipated. The reasons for savings and excesses uuder certain heads were not furnished by the controlling officers."

मैं समझता हूँ, जो रीजन्स दिये हैं पहले वे ही रीजन्स करीब करीब इसमें दिये गये हैं । बड़े बड़े अधिकारी बड़े आराम से बड़ी बड़ी बातें करने में रह जाते हैं, छोटी छोटी बातों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता । और छोटी बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं जिनसे करोड़ों रुपयों के काम होते हैं । इतनी बड़ी बचत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह बचत हमारी राज्य की दयनीय स्थिति की परिचायका है ।

सन् ५९-६० में इस विभाग द्वारा ८८ प्रतिशत बचत की गई है । सन् ६०-६१ में कितनी होगी, यह मैं अभी नहीं कह सकता । लेकिन जब यही मांग पहले १२ करोड़ ४९ लाख की थी उस समय भी हम पूरा खर्च नहीं कर पाये और ८० प्रतिशत बचत की। तो जो अब १५ करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं इस १५ करोड़ में कितना रुपया बच जायगा, यह तो हम उस हिसाब से अन्दाज लगा सकते हैं । इसलिये मैंने इसमें पांच करोड़ रुपये की इकोनोमिक कट की मांग की है । ऑडिट रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हमारे इस विभाग द्वारा पचास प्रतिशत से ज्यादा रकम खर्च नहीं की जाती ।

दूसरा इसका है कैपीटल आउट ले मल्टी-पर्पज रिवर स्कीम्स । इसके लिये ६०-६१ में इस बार १ करोड़ ४४ लाख की यह कम की मांग की है । लेकिन जहां दूसरी ओर कन्स्ट्रक्शन एन्ड इर्रिगेशन का बजट है उसमें १ करोड़ २५ लाख की ज्यादा की मांग की है । यह इसलिये किया है, शायद बांध वगैरह बन गये हैं, अब केवल कैनाल वगैरह निकालनी है, इसलिये १ करोड़ २५ लाख रीजनेबल मालूम देता है । यह रीजनेबल होने के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूं, इसको एक्जीक्यूट करनेवाली जो मशीनरी है वह तो उसी ढंग की है । फिर मैं यह समझ नहीं सकता कि आइन्दा साल में, रेगुलर हर साल जहां ५० प्रतिशत, ६० प्रतिशत और ७० प्रतिशत तक बचत हुई वहां यह मशीनरी इस अमाउन्ट को खर्च कर सकेगी । जब हम ५९-६० के एक्सपेन्डीचर को देखते हैं वहां

(श्री तनसिंह)

७ करोड़ रुपये का एक्सेस एक्सपेन्डीचर है और इस बार आपने १५ करोड़ ५० लाख की मांग की है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सके तो दस करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर पायेंगे। अगर इससे भी आपकी मांग एक्सीड हो जाती है तो आप सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट द्वारा और मांग कर सकते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : On a point of order, Sir, I would like to draw your attention to Rule 145 (b). "A motion may be moved to reduce the amount of a demand in any of the following ways :-

(b) 'that the amount of the demand be reduced by a specified amount' representing the economy that can be effected. Such specified amount may be either a lumpsum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand. The motion shall be known as 'Economy Cut.' The notice shall indicate briefly and precisely the particular matter on which discussion is sought to be raised and speeches shall be confined to the discussion as to how economy can be effected,"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप यह कहते हैं कि एक्सेस अमाउन्ट कर दिया गया और वे रिडक्शन चाहते हैं; लेकिन जब उन्होंने इकोनोमी कट रखा है तो उन्हें इकोनॉमी होने के वे साधन बताने चाहिये। विभागीय अफसरों की कमी या मैथड ऑफ वर्किंग में कुछ कमी करने की बात कह सकते हैं, लेकिन यह सरप्लस अमाउन्ट है यह इस डिमान्ड के बारे में इफेक्टिव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble member will please take into consideration the spirit of the rule.

श्री तनसिंह : अगर आप खर्च करने जा रहे हैं दस करोड़ रुपया और वहां खर्च होता है केवल पांच करोड़ रुपया तो इसका मतलब यह हुआ, पचास प्रतिशत आप खर्च नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना खर्च दिखाया जाता है उतना खर्च कर नहीं पाते। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूँ जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह उसी नियम के अन्तर्गत कह रहा हूँ।

इसके साथ साथ मैंने यह बताने की कोशिश की है कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। मैंने इसको काफी स्टेडी किया है और मुझे प्रतीत हुआ है, आप किसी भी हैड को ले लीजिये, उसमें एक्सेस हो जाता है, दूसरी साल भी उसमें एक्सेस हो जाता है। इस पर अब आप यह नहीं कह सकते कि कौन से हैड में कमी की जा सकती है। यह तो आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आपको किस हैड में कम खर्च करना है। जिस हैड में आप खर्च करेंगे उसमें आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। यह एक आदमी के बताने से समस्या का हल नहीं होता। जितने भी आइटम्स हैं हरेक में एक्सेस स्वीकृत हो जाता है। इसलिये सम्भव नहीं कि सारे के सारे, पचासों वर्क्स का कम्पेरिज़न करके आपको बता सकूं। इस तरह से किसी खास एक हैड के बारे में सजेशन

Page No.80

(श्री तनसिंह)

नहीं दिया जा सकता। आप अपनी मशीनरी को टोन–अप कीजिये। जितने भी सजेशन्स दे सकते हैं, उन सब की कुछ लिमिटेशन्स हैं। लिमिटेशन के अनुसार वर्तमान की जो स्थिति है उसके अनुसार इतना रुपया खर्च नहीं कर सकते, यह इस विभाग का इतिहास बताता है। इसलिये इस मांग में से पांच करोड़ पच्चीस लाख आसानी से कट कर सकते हैं। इसीलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो है राजस्थान नहर परियोजना की धीमी प्रगति पर विचार करने हेतु और दूसरा है चम्बल बांध योजना में हुए अपव्यय व अनियमितताओं पर विचार करने हेतु।

इस प्रकार से दो कटौती के प्रस्ताव हैं इसके अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्यों ने जो इस मांग के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये उन पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी मांग संख्या ६ के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे थे। उसके सम्बन्ध में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कुछ तथ्य सदन के सामने रखे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने जो उनका उत्तर दिया है, मैं यह कह सकता हूँ कि उन तथ्यों के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ भी सही रूप से नहीं कहा; बल्कि मैं समझता हूँ, उसको टालमटोल करने को कोशिश की है, जैसा कि अधिकतर किया जाता है। मैंने भी जो तथ्य रखे थे वे बड़ी गम्भीरता से रखे थे और मैं इस आशा में था कि उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जायेगा। लेकिन उन्होंने उन पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने उत्तर के दौरान में कहा, "हमने लोगों को इर्रिगेशन माइन्डेड बनाने की चेष्टा की है, सिंचाई का दिमाग बनाया है।" मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी हालत इस सिंचाई विभाग की है और जिस प्रकार से खर्च हो रहा है, और जिस प्रकार से इस विभाग में काम चल रहा है एवं जिस प्रकार की नदी योजनाओं का और विभागीय योजनाओं का गड़बड़ घोटाला हो रहा है उसको देख कर कहा जा सकता है कि इर्रिगेशन माइन्डेड लोग हो रहे हैं या नहीं, सिंचाई का दिमाग बना है, या नहीं। लेकिन यह बात साफ है कि लोगों का अश्रु सिंचन जरूर हो रहा है, आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे और इस प्रकार की सिंचाई जरूर हो रही है।

हमने जनता को कितना इर्रिगेशन माइन्डेड बनाया, हमने विभाग को कितना इर्रिगेशन माइन्डेड बनाया, यह तो इससे साबित होता है कि जितनी धन–राशि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए इस सिंचाई विभाग के लिए केन्द्रीय सरकार से मिली, जो सारी धन–राशि हम उपयोग में नहीं ला सके। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं ने इसको स्वीकार किया कि लगभग ६० पर्सेंट के हिसाब से जितनी धन–राशि मिली थी उसको युटिलाइज़ कर सके हैं और यदि आंकड़ों को आप जानना चाहें किसी भी मद में तो मैंने सारे आंकड़े पहले प्रस्तुत किये हैं। लेकिन वे चाहे जिस मद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में चाहें, चाहे माइनर इर्रिगेशन का हो, चाहे मेजर इर्रिगेशन का हो, चाहे मीडियम इर्रिगेशन का हो, वे मैंने सारे तथ्य सदन के सामने रखे हैं। मैं तो यह कहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, बाकी नॉर्मल वे में जो टार्गेट्स होते हैं उनके अतिरिक्त जो प्लानिंग कमीशन ने स्पेश्यल ग्रान्ट दी थी कि स्केयर्सिटी एरिया में पहले इर्रिगेशन का काम चालू कीजिए और जिसके लिए हमारे प्लानिंग कमीशन ने २।। करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिये थे। उसमें से १।। करोड़ रुपया ही हमारी राज्य सरकार युटिलाइज़ कर पाई और बाकी एक करोड़ बचा, वह राज्य सरकार काम में नहीं ला सकी। मैं समझता हूँ कि लगभग ४० पर्सेंट का शोर्टफॉल हमारे टार्गेट्स के बारे में है। ठीक है, इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि फाइनेन्शियल टार्गेट्स को हम छोड़ दें, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जितना पैसा खर्च किया है, जितनी भी फेसिलिटी प्रोवाइड की है और जितनी भी धन-राशि खर्च की है राजस्थान में, राजस्थान केनाल के ऊपर, चम्बल की योजना पर, या छोटे छोटे बहुनदी परियोजनाओं के ऊपर या लघु सिंचाई के ऊपर, मैं पूछना चाहूँगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में जितनी इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी पैदा की उसमें एक्चुअल इर्रिगेशन कितना हुआ तो यह कहना पड़ेगा कि उसमें आंकड़ों के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी पैदा की थी वह ४.८१ लाख एकड़ और एक्चुअल इर्रिगेशन हुई वह २.५६ लाख एकड़ है। इसके पश्चात् इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी पैदा की ७.६१ लाख एकड़ और एक्चुअल इर्रिगेशन हुई ५.११ लाख एकड़। अब आगे जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें लिखा हुआ है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १३.०५ लाख एकड़ इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी निर्माण कर देंगे; लेकिन एक्चुअल इर्रिगेशन ८.०७ लाख एकड़ होगी। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग ६५ पर्सेन्ट of the agricultural potential.

आज इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी की राजस्थान में एक तरफ तो यह स्थिति है कि जितना रुपया मिलता है उसका लाभ नहीं उठाया जाता। केवल ६५ पर्सेन्ट का लाभ ही उठाया और बाकी का लाभ नहीं उठाया। फाइनेन्शियल टार्गेट्स के हिसाब से विचार करें तो यह मानना पड़ेगा कि ४० या ४५ पर्सेन्ट ही एक्चुअल इर्रिगेशन हमने राजस्थान में किया है और जितना पैसा हमें मिला है उसका पूरे का उपयोग नहीं कर सके। ¾ पैसे का उपयोग करते है उसमें भी ¾ आपका एक्चुअल इर्रिगेशन होता है और इसके ऊपर आप यह कहते हैं कि हमें इस पर उदार दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए ! सिंचाई विभाग की तारीफ करनी चाहिये, सिंचाई विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों की तारीफ करनी चाहिये, इस पर कि इसके लिए हमें जितनी भी केन्द्रीय अनुदान मिलती है उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। सिंचाई की योजनाओं से जहां एक तरफ सिंचाई होती है, एग्रीकल्चरल प्रॉडक्शन बढ़ता है, पैदावार बढ़ती है और दूसरी तरफ इर्रिगेशन के द्वारा बिजली पैदा होती है और बिजली के कारण इन्डस्ट्रियलाइजेशन होता है और इन्डस्ट्रियलाइजेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इर्रिगेशन को आधार बताते हुए जो चहुँमुखी नक्शा खींचने की कोशिश की और कहा कि इन सबके कारण हमारा राजस्थान समृद्धि पर पहुँच जायेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जैसा आधार उन्होंने इर्रिगेशन को मान कर इन्डस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कही थी, वह सारा आधार जिस तरह का है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो सारा नक्शा रखा है, जो उन्होंने एक रेक्टेंगुलर नक्शा खींचने की कोशिश की है। आपने कहा था कि दो ब्रान्चेज़ हैं; एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में और दूसरे बिजली का उत्पादन बढ़ाने के बारे में और आपने दोनों की समृद्धि को इर्रिगेशन से जोड़ा है। मैंने कहा था कि लीकेज हो गया है। मैं तो कह सकता हूँ कि राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा है जितनी मात्रा में बढ़ना चाहिए। इन्डस्ट्रियलाइजेशन जितना होना चाहिए उतना इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं हुआ है। इन्डस्ट्रियल टार्गेट्स हम रखते हैं, इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की योजनायें बनाते हैं। लेकिन वे योजनायें इस लिए हो फैल होती हैं कि उनके लिए बिजली नहीं है। बिजली जिस मात्रा में सप्लाई करनी चाहिए, जिस समय सप्लाई करनी चाहिये वह न तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सप्लाई कर पाये हैं और न इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की स्कीम के मुताबिक सप्लाई कर पाये हैं और नतीजा यह होता है कि आज राजस्थान में औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। आज नये उद्योग नहीं खुल रहे हैं, लघु उद्योग नहीं चल रहे हैं, कुटीर उद्योग नहीं चल रहे हैं। मैं उन सबके लिए कहूँगा कि आज बिजली, बड़े बड़े उद्योगों को तो छोड़ दीजिए, लघु उद्योगों के लिये भी नहीं मिलती, कुटीर उद्योगों के लिये भी नहीं मिलती, गांवों का रूरल इलेट्रिफिकेशन नहीं होता है, शहर में बिजली नहीं मिलती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है ? अगर इसके लिए सही माने में कोई जिम्मेदार हो सकता है तो इर्रिगेशन सेक्टर हो सकता है। जिसके लिए मंत्री महोदय ने कहा कि इर्रिगेशन के कारण हम पॉवर और इन्डस्ट्रियलइज़ेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे।

यदि आज हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है तो उसका एक ही कारण हो सकता है और वह है बिजली का अभाव। मैं कहूँगा कि सिंचाई विभाग इसके लिये जिम्मेदार है। जो पॉवर की फेसिलिटीज़ हो सकती थी, हाईड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर जितनी जेनरेट होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी के बारे में कि सिंचाई के द्वारा जितनी जमीन सींची जानी चाहिये, मैं नहीं समझता कि वह क्यों नहीं इन सबके बावजूद सींची जा सकी। कौन सा कारण है कि हम राजस्थान में लगभग १३.०५ लाख एकड़ की पॉटेन्शियलिटी पैदा करने के बाद भी ९ लाख एकड़ की सिंचाई ही क्यों कर पाते हैं। यह ४ लाख एकड़ की कमी क्यों हुई ? क्या नहरें नहीं बनीं या क्या हुआ ? ऐसा कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से एक्चुअल इर्रिगेशन हमारा ९ लाख एकड़ जमीन का ही होगा ? मैं समझता हूँ कि ये आंकड़े दिये हैं, ये आंकड़े हाइपोथेटिकल हैं। अगर पिछले आंकड़े निकाले जायें और देखा जाये तो यह पर्सेन्टेज और भी ज्यादा है। आज जो डिमाण्ड हमारे सामने पेश हुई है वह १०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करोड़ ५२ लाख रुपये की है। अब आप एक साल के लिए १०।। करोड़ रुपये मांगते हैं और कितना एक्चुअल खर्च करेंगे और कितनी एक्चुअल फेसिलिटीज़ पैदा करेंगे और कितनी वास्तविक रूप से सिंचाई होगी राजस्थान में, आप यदि इसके ऊपर विचार करें तो रेतीला मैदान राजस्थान में पड़ा हुआ है। जो रेगिस्थान की स्थिति पड़ी हुई है उसके लिए कोई जिम्मेदार हो सकता है तो वह राजस्थान का सिंचाई विभाग हो सकता है। आप कहते हैं कि हमने लोगों को इर्रिगेशन माइन्डेड बनाया है। आपने कहा कि हमने राजस्थान का सर्वे नहीं किया। उसका कारण दिया है कि सर्वे नहीं हो सका। सर्वे क्यों नहीं होता ? सर्वे करने वाले आप हैं, आपका महकमा है। दूसरा कारण आपने बताया कि सेंक्शन में देरी लगती है। इसके लिये कौन रेस्पोन्सिबल है ? आज नेशनल डेवलप्मेंट के वर्क चल रहे हैं और आप विरोधी दल से और दूसरे दल से अपील करते हैं कि उदारता से देखना चाहिये, आरोप नहीं लगाने चाहिये, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास की योजनायें हैं। आखिर आपने क्या कार्यवाही की कि क्यों सेंक्शन में डिले होती है, क्यों पेपर्स पड़े रहते हैं, क्यों नही इर्रिगेशन पोटेंशियलिटी का प्रचार किया जाता ? मंत्री महोदय ने भी अभी कहा कि हमने १०,००० पुस्तकें छपवा दीं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कहा कि उन्होंने पुस्तकें छपवा दीं, पुस्तकें बंटवा दीं तो वे पुस्तकें उन्होंने कहां बांटी ? वे पुस्तकें रद्दी में बिकी हैं या कहां पहुँची हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इर्रिगेशन माइन्डेड की बात इससे साफ जाहिर है कि आज राजस्थान में इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी जितनी आपने पैदा की है उसका एक्चुअल इर्रिगेशन केवल ६६ पर्सेन्ट होता है। ४० पर्सेन्ट का लाभ जनता नहीं उठा सकती। आप कुंए खोदते हैं लेकिन पानी नहीं पी सकते। आप बांध बनाते हैं, लेकिन खेतों के लिए पानी नहीं मिल सकता; तो फिर इन योजनाओं से क्या लाभ होने वाला है ? अगर सिंचाई नहीं हो सकती है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है अगर यहां पर सिंचाई नहीं हो सकती है, हमारी उपज नहीं बढ़ सकती है, राजस्थान का विकास नहीं हो सकता तो फिर बांध किस मतलब के ? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने साढ़े दस करोड़ रुपये रखे हैं और बजट पास हो जायगा और रुपये आपको मिल जायेंगे, लेकिन रुपयों के समुचित उपयोग की दृष्टि से कोई व्यवस्था की जाय।

राजस्थान में जिस प्रकार का सर्वे होना चाहिए वह सर्वे नहीं कराया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने इन सारी योजनाओं में आज राजस्थान की जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में शायद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की दृष्टि से राजस्थान का लाभ नहीं हो सकता है। हमको राजस्थान की सारी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करना होगा कि राजस्थान में माइनर इर्रिगेशन वर्क्स ज्यादा खोलने होंगे, लघु सिंचाई योजनाओं पर ज्यादा जोर देना होगा, हरेक जिले की सर्वे करनी होगी कि किस किस जिले में क्या आवश्यकता है। हरेक तहसील की सर्वे करनी होगी और इस प्रकार से सारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान की सर्वे करनी होगी । सर्वे करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान के किस २ जिले की क्या क्या आवश्यकता है । किस किस जिले में कम्पेरेटिव प्रोडक्शन बढ़ सकता है । अभी तक हैपहेज़र्ड वे में काम किया गया है। जहां जिसका प्रेशर पड़ गया कि वहां पर यह सिंचाई योजना बननी चाहिये ; बस वह वहां बन गई। कहीं पर भी एप्रोच प्लान्ड वे में नहीं किया गया है कि कहां पर क्या होना चाहिए । उसके रिटर्न पर विचार नहीं करते हैं । मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में जितना इन्वेस्टमेंट इर्रिगेशन पर किया गया है उसके आधार पर ४. ५ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट लगा कर जितना पर एकड़ इन्वेस्टमेंट वापिस मिलना चाहिये वह वापिस नहीं मिल रहा है । मैं कह सकता हूँ कि यह कोई भी प्लानिंग नहीं है । प्लान को क्या कहें ? वास्तविक रूप से कोई प्लान नहीं है हैपहेज़र्ड में सारी बातें चल रही हैं । प्रोजेक्ट खोलने में कुछ रुपया खर्च करते हैं, कुछ यहां से खर्च करते हैं, कुछ सेन्टर से लेंगे । इस प्रकार की मनोवृत्ति से काम रखा गया है।

इर्रिगेशन का महकमा और इर्रिगेशन सेक्टर बहुत इम्पोर्टेन्ट है। थर्ड पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से बहुत विपुल धनराशि इसके डिसपोज़ल में रखी गई है । आगामी वर्ष के लिए साढ़े दस करोड़ रुपया रखा गया है। उसके लिए १७ लाख रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च करने वाले हैं । बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यहां पर कही थी कि इतना खर्चा नहीं कर पाये हैं । यह बात सही भी है । १९५९-६० में वे लगभग ७ करोड़ रुपये खर्च कर पाये हैं जब कि बजट में १३ करोड़ रुपया था । बजट का पूरा युटिलाइजेशन कर नहीं पाते हैं । सदन की जानकारी में यह अवश्य रहता है कि १३ करोड़ रुपया बजट में है। लेकिन एक्चुअल कितना खर्च इसमें से होगा, वह मालूम नहीं है । इसके आधार पर एस्टेब्लिशमेंट की बजट में सेन्क्शन मिल जाती है । एक्चुअल साढे सात करोड़ रुपया खर्च होता है । एक्चुअल इर्रिगेशन के काम में रुपया खर्च क्या होता है, पूरा होता है या नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पर रुपया उतना ही खर्च होता है । कम्पेरेटिवली एस्टेब्लिशमेंट पर कम खर्च नहीं होता है। मैं निवेदन करूंगा कि शॉर्टफाल्स होते हैं बजट के युटिलाइजेशन में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में उस तरह इकोनॉमी करने की कोशिश करनी चाहिए जो नहीं की जाती ।

राजस्थान के लिए जितनी सारी इर्रिगेशन की डिमान्डस हैं, राजस्थान को जो आवश्यकता है उसकी जिलेवार सर्वे करवाई जाय । वहां की आवश्यकताओं के बारे में इस प्रकार का एसेसमेंट करें कि जहां पर छोटी छोटी लघु सिंचाई योजनाएं हो सकती हैं उन सारी योजनाओं को प्रारम्भ किया जाय । इस डिपार्टमेंट में जो हैवी लीकेजेज़ हैं, जिनके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पूर्व एक कट मोशन पर विचार प्रकट किये थे, इस मांग के सम्बन्ध में सारी बातें रखी थीं । चम्बल और भाखरा केनाल के बारे में जो सारे लीकेजेज़ हैं उनको कम किया जाय, इकोनॉमी के बारे में विचार रखा जाय ।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने इस डिपार्टमेंट के प्रति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उदारता के साथ विचार करने की बात सदन में कही थी। भाखरा डेम में राजस्थान का शेअर है एक्सपेन्डीचर के बारे में और राजस्थान सरकार को, जो अभी हो इस्ट चेम्बर में ब्रीच हुई थी उसकी कोई जानकारी नहीं हुई। इतना जबरदस्त ब्रीच हो गया और माननीय मन्त्रीजी सदन में आज कहते हैं कि उनको जानकारी थी और कुछ दिन पहले डिप्टी मिनिस्टर ने कहा था कि....

श्री उपाध्यक्ष : Does it pertain to this cut motion, Hon'ble member please ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं केवल इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके ही डिपार्टमेंट में....

श्री उपाध्यक्ष : I want to know whether it is relevant? What is the position? This part of your speech, I treat it as not relevant.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं में जो अपव्यय होता है, और जो सरकार की........

श्री उपाध्यक्ष : अपव्यय होता है, लेकिन समय के अपव्यय को बचाने के लिए उसकी रिलेवेन्सी नहीं पाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिस्टर महोदय खुद कहते हैं कि भाखरा डेम के बारे में उनको जानकारी दी है....

श्री उपाध्यक्ष: Order! Order please!! Why not approach him in the chamber and have a clarification ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कटौती प्रस्ताव के द्वारा साथ में कि जितनी राजस्थान में जिलेवार योजनाएं बनी हैं उनमें एक जिले को कुछ मिल जाय और जयपुर जिले के बारे में न मेजर, न मीडियम, न माइनर इर्रिगेशन है। वहां कोई भी वर्क्स स्टार्ट नहीं किये गये हैं। उसको इस तरह से छोड़ रखा है जैसे कि उसका धनी–धोरी कोई नहीं हो। हमारे यहां के जो मंत्रीजी हैं वे इतने....XXXX हैं कि केबिनेट पर कोई प्रेशर नहीं ला सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member please! I object to the expression, to the word used by you, and I hereby order that it may be expunged from the proceedings.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : XXXX means weak, Sir. It is Marwari word.

श्री उपाध्यक्ष : I express my disapproval again on the repetition.

(विराम)

Shri P. K. Chowdhary.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कट मोशन है वह

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.86

(श्री पी० के० चौधरी)

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में इर्रिगेशन फेसिलिटीज के अभाव के संबंध में है :

"To discuss the Government's failure to provide adequate irrigation facilities in Jaipur District."

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि बीकानेर या कोटा एक डिविजन के बराबर का डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर जो डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन है वह भी दूसरे इलाकों के बनिस्बत काफी ज्यादा है और पोपुलेशन भी ज्यादा है। इसके बावजूद यहां पर एडिक्वेट इर्रिगेशन फेसिलिटीज़ एवेलेबल नहीं हैं। और ऐसी भी नहीं जैसी कि कोटा डिवीजन में या बीकानेर, डिविजन से केनाल इर्रिगेशन वगैरह के नेचुरल एडवान्टेज जिस प्रकार के हैं वे एडवान्टेज जयपुर के लिए नहीं हैं। यहां पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स–कोई बांध वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमैंट किया जाता है जिनको वे लोग प्रोडक्टिव या इकोनोमिक मानते हैं। जो अन प्रोडक्टिव है यानी जिन पर अमुक पर्सेन्टेज तक रिटर्न नहीं मिले उस पर गवर्नमेन्ट रुपया इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझती है और उस पर नहीं होता है।

मैं समझता हूं कि, यह जो एप्रोच है, यह जो एटीट्यूड है वह उस इलाके के लिए लागू हो सकता है, मान लें, कोटा में या बीकानेर में, जहां कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ इर्रिगेशन आपको एवेलेबल है, या मान लीजिये कि एक मेजर केनाल से इर्रिगेशन की व्यवस्था है जो कि प्रोडक्टिव है वहां पर अनप्रोडक्टिव इर्रिगेशन प्रोजेक्ट का कोई प्रोपोजल किया जाय तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको सब्स्टीट्यूट कर सकते हैं। उसको ऑल्टर्नेट तरीके से इर्रिगेशन की फेसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। वहां के लिए तो मैं समझता हूं कि जिस एरिया में अदर मैथड ऑफ इर्रिगेशन एवेलेबल हों और जो प्रोडक्टिव है वहां पर अनप्रोडक्टिव जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अनइकॉनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं लें तो मेरी समझ में बात आती है। लेकिन जिस एरिया में प्रोडक्टिव किसी प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं बन सकता हो तो उस एरिया में अन-प्रोडक्टिव या नॉनइकोनोमिक प्रोजेक्ट्स नहीं लेंगे तो उससे, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से उस एरिया का जो डेवलमेंट है वह हेम्पर होता है। आज सरकार की एक्सेप्टेड पॉलिसी है कि बैलेन्स्ड रीजनल ग्रोथ हो। सरकार मानती है कि स्टेट ऑफ राजस्थान का या सारे मुल्क का विकास इस प्रकार हम करेंगे कि उसमें समानता रहेगी, हरेक इलाका विकसित हो, उसके लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो भी साधन जुटाने की जरूरत है सरकार वह जुटायेगी। आज इस प्रिन्सिपल को मान-कर चलें तो जयपुर जिले को इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। पहले इर्रिगेशन के लिए दूसरी जगह जो क्राइटेरिया लगाते हैं वह क्राइटेरिया आप यहां एप्लाई करेंगे, उसके बाद यहां इर्रिगेशन प्रोजेक्ट बनाने का करेंगे तो वह उचित नहीं रहेगा।

(श्री पी० के० चौधरी)

एक बात यहां पर यह कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि जयपुर में कई जगह पर रेनफॉल से वाटर आता है। उसको बांध वगैरह बना कर, लोगबाग रोकते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि तालाब से हो सकता है कि डाइरेक्ट इर्रिगेशन नहीं हो, लेकिन उस तालाब की वजह से, वहां पर वाटर रिज़र्व करने की वजह से उनके वैल्स का जो वाटर लेवल है वह ऊपर आता है। तो डाइरेक्टली जहां पर आपको उस इन्वेस्टमेंट के करने से, कोई किसी जगह तालाब बनाने या बान्ध बना कर पानी रोकने से हो सकता है कि एडिक्वेट एरिया या उसका कमान्डेड एरिया ज्यादा नहीं हो, लेकिन आसपास के एरिया के कुंओं का वाटर लेवल ऊपर आता है और उस पर काश्तकार जो है आसानी से लिफ्टिंग कम खर्चे पर कर सकता है। आज इस प्रकार के बांध वगैरह नहीं बनते हैं जहां कि बन सकते हैं तो वाटर लेवल नीचे जाता है, इससे शिफ्टिंग पर ज्यादा खर्च पड़ता है, कुंए वगैरह ड्राई हो जाते हैं।

(३.०० म. प.)

तो जयपुर के लिये आपकी जो एप्रोच है उसमें कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। जो आपके डिपार्टमेंट को ऐतराज है कि हमने बांध बना दिया तो १०० एकड़ भूमि में भी पानी नहीं जाता है तो यह आर्गुमेंट नहीं है। १०० एकड़ भूमि को भी इर्रिगेट नहीं करता होगा लेकिन आसपास के ५०० या हजार बीघा भूमि में वाटर लेवल जरूर ऊपर आता है और उससे काश्तकारों को सहूलियत रहती है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ट्यूब वैल्स की संभावना हो सकती है। गवर्नमेंट को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये, कम से कम एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर हो सही। जहां तक मुझे ध्यान है आमेर तहसील में प्राइवेट एफर्ट्स से ट्यूब वैल्स चलते हैं। नहीं चलते हों, ऐसी बात नहीं है। जब प्राइवेट एन्टरप्राइज़ से चल सकती हों तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज़ हारनेस हो जाय तो ट्यूब वेल्स नहीं चल सकें, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। एक दफा माननीय मन्त्रीजी ने कहा था कि धौलपुर में और एक-आध और जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसलमेर में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जयपुर में भी एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिये।

दूसरा सवाल यह आता है कि या तो गवर्नमेंट इस बात को मान ले कि जयपुर में इर्रिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, यह अन्तिम फैसला है, या यह मानले कि एफर्ट करना वेस्ट ऑफ इनर्जी, वेस्ट ऑफ फंड होगा या नेशनल फंड का वेस्टेज होगा इसलिये इर्रिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फिर थिकली पोपुलेटेड एरिया का अर्निंग मीन्स क्या हो? जो लोकेलिटी इस तरह की हो, वहां के रहने वालों की सोर्स ऑफ इन्कम को बढ़ाना चाहिये। यदि इन्कम बढ़ जाय तो उस हालत में जयपुर में यदि अनाज कम पैदा होता है तो भी दूसरी जगह से खरीद सकते हैं। There must be some alternative method by which people could get employment. या तो अनप्रोडक्टिव इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाय, ट्यूब वैल्स खोदे जांय और जो अगर गवर्नमेंट इसको नहीं कर सके तो this area

(श्री पी० के० चौधरी)

should be intensively industrialised. इन्टेन्सिवली यहां पर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ या लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ या कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहिये । गवर्नमेंट के सामने दो के सिवाय तीसरा ऑल्टर्नेटिव नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि मैंने इस कट मोशन को इसीलिये रखा है कि गवर्नमेंट पहले तो इर्रिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिये कोशिश करे और अगर ऐसा नहीं कर सके तो जो प्रोपोर्शनेट मनी, जो इर्रिगेशन पर काफी रुपये खर्च करते हैं दूसरे इलाकों को डेवलप करने के लिये उस प्रकार से पर्सेन्टेज़ के रूप में रुपये यहां खर्च किये जायं for the development of industry.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८, सिंचन, नौचालन, तट–बन्धन आदि पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं । मेरा पहला प्रस्ताव क्षुद्र सिंचन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में है । अभी थोड़ी देर पहले जो विचाराधीन मांग थी उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए सिंचाई मंत्रीजी ने छोटी सिंचाई योजनाओं के महत्व को स्वीकार किया है और उसमें उन्होंने निश्चय ही संकेत दिया है कि यद्यपि इससे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन उसकी भी परवाह छोड़ कर हमने छोटी योजनाओं की ओर ध्यान देना शुरू किया है । निस्संदेह सिंचाई मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं क्योंकि हमको केवल रिटर्न मिलने की ही बात नहीं सोचनी होगी, लेकिन हमको यह भी देखना पड़ेगा कि इससे अप्रत्यक्ष लाभ कई प्रकार से होता है । जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इतनी अधिक सिंचाई बांध से न भी हो तो भी आसपास के कुओं में पानी अधिक आ जाता है और इतना ऊंचा पानी हो जाता है कि थोड़ा सा लिफ्ट सिस्टम का उपयोग कर दें तो फायदा उठा सकते हैं । इसलिये रिटर्न केवल सिंचाई में ही नहीं लेकर दूसरे रूप में देखें तो लघु सिंचाई का महत्व अधिक होता है । मैं बड़ी सिंचाई के साधनों के महत्व के बारे में नहीं कहूँगी लेकिन लघु सिंचाई के महत्व को और भी अधिक सोचने की आवश्यकता है ।

लघु सिंचाई योजना में अपने यहां, अपने प्रान्त की स्थिति को देखते हुए बहुत विस्तार की, लम्बी–चौड़ी विविध योजना नहीं है । यहां कुंए भी इतने गहरे होते हैं कि किसी किसी हिस्से में तो बहुत खर्चीले होते हैं और बनाने में मुश्किल होती है और कहीं कहीं तो रेत के कारण कुंए बनाना भी मुश्किल होता है । इसलिये जितने उत्तर प्रदेश में या अन्यत्र कुंए लघु सिंचाई के काम दे सकते हैं उतने हमारे यहां नहीं दे सकते । लेकिन कुंओं की उपयोगिता होती ही है । जब हम देखते हैं कि कुंओं के आस–पास की जमीन हरी भरी हो गई है तो प्रसन्न हो जाते हैं । मेरा यह मानना है कि बरसात के पानी को किसी तरह से रोकना चाहिये । यह सभी जानते हैं कि पानी बरस कर नदी-नालों से बहता हुआ दूसरी जगह चला जाता है । बड़ी बड़ी नदियों को बांधने का प्रयत्न सरकार ने किया है । लेकिन छोटे छोटे नाले जिनका सामूहिक महत्व हो सकता है उनकी ओर ध्यान देना चाहिये और इस प्रकार के नाले बांध कर पानी को जितना रोक सकें उतना प्रिज़र्व करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत कई बांध बनाये, कई

(डॉ० चन्द्रकला)

तालाब बनावें और उनसे फायदा भी हुआ लेकिन कई बांध पैसा खर्च करके बांध तो दिये लेकिन जब वे टूट जाते हैं तो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता । ऐसे बांध, मैं जानती हूँ कि बहुत पैसा लगा कर सरकार बन वाती है लेकिन उनके टूटने के बाद ध्यान नहीं देती हैं । ऐसे बांध न केवल सरकार ने ही बनाये हैं बल्कि पहले के भी बांध बने हुए हैं । ऐसे बांधों में जो टूट-फूट हो उनको थोड़ी मालियत से या थोड़ा पैसा खर्च करके उपयोग में लाकर ज्यादा फायदा उठा सकते हैं बनिस्पत इसके कि नये बांध बना कर । तो सरकार को पूरे प्रान्त का सर्वेक्षण करना चाहिये । छोटी छोटी इकाई में कहां क्रियान्विति कर सकते हैं, इस प्रकार से जहां छोटे छोटे बांधों की मरम्मत करा सकते हैं वहां मरम्मत करानी चाहिये । अब तक सारा प्रयत्न सरकार कर रही थी । अब यह काम सरकार ने पंचायत समितियों को दे दिया है, तो उन्हें भी श्रमदान वगैरह से गांवों की उपयोगी योजना को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है बाढ़ा नियंत्रण के लिए कार्य करने के सम्बन्ध में । उपाध्यक्ष महोदय, 'राजस्थान' और 'बाढ़' ! ये दोनों विरोधी तथ्य दिखाई पड़ते हैं । लेकिन हम देखते हैं कि बाढ़ राजस्थान में भी आती है । पिछली बार घग्घर की बाढ़ ने गंगानगर जिले में तबाही मचाई थी । भरतपुर जिले के बाढ़ की बात भी हम सुनते रहे । बाढ़ का सवाल केवल अभिशाप रूप में न देख कर उसको रोकने मात्र का प्रयत्न नहीं होना चाहिये । जैसा कि हम सोचते हैं, बाढ़ से उपज भी बढ़ती है । घग्घर की बाढ़ के बारे में वहां की जनता इसलिये भी उसको बर्दाश्त करती है कि इसके साथ उपयोगी मिट्टी आती है और जहां जहां बाढ़ जाती है वहां मिट्टी भी उसके साथ चली जाती है । इसी तरह से दूसरी जगह भी बाढ़ आती है तो उसे अभिशाप के रूप में नहीं समझते हैं । लेकिन ऐसा समझते हैं कि थोड़ी मिट्टी, खाद आदि आकर जमीन को उपजाऊ बनाती है । अभी तक सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि इससे घरों को नुक्सान होता है, फसल को नुक्सान होता है; इसलिये उसको रोकने की ओर ध्यान दिया गया है । लेकिन इस बाढ़ का सुन्दर उपयोग दूसरी तरह से भी हो सकता है और ख्याल से उसके नियंत्रण की योजना बना सकेंगे तो अच्छा रहेगा । इसके साथ साथ राजस्थान में पानी की कमी है, बरसात में जितना पानी उपलब्ध होता है ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयत्न करते हैं । इसी तरह से बाढ़ के पानी का उपयोग इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा कि इस पानी को बर्बाद न होने दें और एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह संग्रहीत कर दें ताकि जरूरत के समय काम आवे । तो जहां बाढ़ रोकने का प्रयत्न करते हैं, साथ ही साथ उसकी उपयोगिता पर विचार करके योजना बनावें तो ज्यादा लाभ उठा सकते हैं । इस दृष्टि से मैं अपने दो कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करती हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द ।

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८ पर मेरा

(श्री गोकुलचन्द)

एक कटौती प्रस्ताव है गोविन्दपुरा बांध बनाने के विषय पर । उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ तहसील में गोविन्दपुरा सब–तहसील है । जिस समय हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक झगड़े हुए थे उस समय पाकिस्तान से आये हुए भाइयों को यहां पर बसाया गया था । सरकार के सामने यह मांग रखी है कि हम लोग वहां जायेंगे तो हमारी सिंचाई के लिए वहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है । वहां पर एक गोविन्दपुरा गांव है । उसके पास रूपारेल नदी बहती है । उस नदी में बहुत पानी आता है और वहां पर गुंजाइश है । बहुत दिनों से चर्चा है कि गोविन्दपुरा में बांध बनवाया जाय । लेकिन कई बार पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पास किये गये और मंत्री महोदय का ध्यान लिखित में दरख्वास्त देकर आकर्षित किया गया, वहां के जिलाधीश को समय समय पर मीटिंगों के द्वारा ध्यान दिलाया, लेकिन वहां पर बसे हुए पुरुषार्थी आज भी परेशान हैं । जो जमीन उनको मिली है उसमें वे काश्त करते हैं लेकिन उतनी पैदावार नहीं होती जितनी होनी चाहिए क्योंकि वहां पर कुंओं से सिंचाई होती है। वह कुंए की सिंचाई वाला इलाका है और वे लोग उसके आदी नहीं हैं । इससे वे परेशान होकर और दुःखी होकर मांग करते हैं कि हमें दूसरे इलाके में भेज दिया जाय । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गोविन्दपुरा बांध के लिए उस इलाके की मांग है । इसलिए उन पुरुषार्थियों के लिहाज से, दूसरे किसानों के लिहाज से और उत्पादन बढ़ाने के लिहाज से बांध बनाना आवश्यक है । मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और बांध की सर्वे वगैरह करवा कर बांध बनवाने की आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८ में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है । जिस अलवर जिले से मैं आती हूँ, थोड़ा उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय को । यह निश्चय ही है, जो अलवर है वह कुछ दुर्भाग्य से ऐसी जगह स्थित है कि वहां कोई भाखरा की नहर या चम्बल की नहर आने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती । कई बार इसके लिए हमने कोशिश की लेकिन यही उत्तर हमें मिलता रहा । तो अब हम सोचते हैं कि आखिर यह इलाका, जो इतना बड़ा जिला है, उसमें सिंचाई के साधन नहीं हैं, जब नहर नहीं आ सकती तो क्या होगा ? साबी एक बहुत बड़ी नदी है, उसके ऊपर बांध बनाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर एक स्कीम रखी गई थी और मैं समझती हूँ, उसकी सर्वे का काम पहले हुआ था । प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह स्कीम दी गई लेकिन दोनों गुजर गई और तीसरी अब अगले वर्ष में शुरू हो जायगी, लेकिन उस बांध का....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : गुजर नहीं गई, दोनों योजनायें पूर्ण हो

श्री उपाध्यक्ष : जी ?

Page No.91

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : गुजर नहीं गई, दोनों योजनायें पूर्ण हो गई ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : दूसरी गुजर ही रही है । तो अब मैं नहीं समझती....

श्री उपाध्यक्ष : आप वक्त बहुत अच्छा देखते हैं ऑब्जेक्शन करने का ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : अब मैं नहीं समझती, साबी पर बांध बांधने में क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है ? लेकिन यह बात जरूर है कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाय तो यह हो सकता है कि बहुत कुछ उपज में उनको सहायता मिल सकती है । दूसरी बात यह जरूर है कि अभी जब कि ओखला नहर से पानी लाने की बात चल रही है, जो पानी गुड़गांव में आने वाला है । अगर गुड़गांव में पानी आ सकता है–अलवर जैसा ऊंचाई पर है, वैसे ही गुड़गांव भी ऊंचाई पर है, फिर क्यों नहीं हमारे रामगढ़ में पानी आ सकता है ? मुझे इसमें शक नहीं है, पर पूरी उम्मीद है कि किसी जगह का पानी, ओखला का पानी, आसानी से उस इलाके को मिल सकता है । उसमें यह जरूर है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए । लेकिन होता यह है कि सर्वे भी हो जाता है, सर्वे कराके वहां पर कोई जाता नहीं है, खत्ते में पड़ा रहता है । जैसा मैंने साबी का जिक्र किया, अगर इस तरह की सर्वे की जाय, कि जो ओखला से नहर गुड़गांव आ रही है; तो गुड़गांव जिले का पानी अलवर जिले को कैसे मिल सकता है ? इसके ऊपर मंत्री महोदय ध्यान दें तब कहीं अलवर जिले को पानी का साधन मिल सकता है ।

तीसरा बजीरके का बांध जो अलवर तहसील में पड़ता है, कुछ वर्षों पूर्व यह बना था, लेकिन पता नहीं कि कौन सा कारण था या क्या कमी थी कि उसमें रेत आ जाती है । रेत के आ जाने से काफी बड़ी जमीन का एरिया है, जहां पहले गेहूं उपजता था वह जमीन अब रेतीली हो गई है और वहां की जो उपज थी वह बहुत कम हो गई है । इस जगह को, मैंने वहां के जो सिंचाई इन्जीनियर थे उनको दिखलाया, लेकिन उन्होंने एक अजीब सा उत्तर दिया कि जो सरकंडों के पेड़ हैं उनको पीछे से लगाया जाय तो रेती रुक सकती है । यह मेरी समझ में नहीं आया। यह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का काम है । हम बताते हैं तो हमको यह उत्तर मिलता रहता है....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : जो कटौती का प्रस्ताव है उसमें बांध का नाम नहीं है । यह कौन सा बांध है ?

श्री उपाध्यक्ष : Cannot be liberal to the Lady member ?

श्री भीखाभाई : Of course.

श्री उपाध्यक्ष : I think it should be considered.

श्री भीखाभाई : जगह बता दें ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मन्त्री महोदय, कटौती का प्रस्ताव होता है वह आपको ध्यान दिलाने के लिए होता है; बाकी कटौती प्रस्ताव में वैसी बात नहीं है, यह ध्यान दिलाने के लिए आपको थोड़ा बताया है....

श्री भीखाभाई : कौन सी जगह है ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : बजीरके का बांध है, जो अलवर तहसील में पड़ता है। बजीरके....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अलवर के नाम ऐसे उल्टे होते हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : वहां एक बहुत बड़े बांध की आवश्यकता है। हमने दो–तीन वर्ष पहले भारत सेवक समाज की वहां एक बहुत बड़ी पार्टी आई थी, उनको वह जगह दिखला दी थी और उनके द्वारा दिल्ली तक भेजने की कोशिश की थी, जिससे वह बांध बन जाय और उस क्षेत्र को राहत मिल सके। वहां पर कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण जो सारा इलाका है वह परेशान रहता है। वैसे भी उस इलाके में कोई अच्छा साधन नहीं है, कोई कारखाना या कुछ और हो जिससे आर्थिक साधन लोगों को ठीक तरह से मिल सके और उनका उत्थान हो सके।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उधर की ओर ध्यान दें तो वहां के शरणार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक कटौती प्रस्ताव क्रम संख्या १८ इस प्रकार है : "मांग संख्या ३८–मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले के गौवटा बांध को पूरा करने पर बहस करने के लिये)।"

यह बांध भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में है। आज से करीब पन्द्रह–बीस साल पूर्व इसकी नींव मेवाड़ गवर्नमेंट के वक्त में पड़ी थी। उस वक्त इस तहसील के किसानों को इतनी खुशी हुई थी कि यह बांध जल्दी से जल्दी पूरा होकर हमको पानी मिल सकेगा। वैसे यह बांध प्रथम पंचवर्षीय योजना में लिया गया था और इसके ऊपर ६ लाख रुपया स्वीकार हुआ। उसमें से दो या ढाई लाख रुपया इस पर खर्च हुआ, पर आज भी वह बांध अधूरा पड़ा हुआ है। वैसे यह बांध बड़ा भाग्यशाली और अभागा भी है। भाग्यशाली इसलिये कि राजस्थान में आज तक जितने सिंचाई मन्त्री बने वे सब इस बांध को देखते रहे हैं और इस बांध को उन सब ने आशीर्वाद दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : और बदलते भी रहे हैं।

श्री गणपतिलाल वर्मा : पर अभागा इसलिये है कि वे आशीर्वाद अब तक पूरे नहीं हो पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि जो नये बांध बने हैं उनके मुकाबले में यह इतनी मजबूत स्थिति में है कि जो भी देखते हैं वे इसकी तारीफ करते हैं कि यह बड़ा मजबूत बांध बांधा गया है, पर कह यह जाते हैं कि इसके नीचे से पानी आता है, कमजोर बांध है। मुकाबला किया जाय तो जो नये बांध बने हैं उनसे बहुत कम पानी इसके नीचे से जाता है फिर भी यह बांध पूरा नहीं हो पा रहा है।

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इसकी पूरी जांच एक्सपर्ट इन्जीनियरों को बैठा कर करायेंगे कि यह बांध मजबूत है कि नहीं और इसकी मजबूती के लिहाज से यह बांध बन सकता है या नहीं। जांच से यदि यह पाया जाय कि यह कमजोर है तो मैं कभी यह नहीं चाहूँगा कि राष्ट्र की निधि इस पर खर्च की जाय। पर यदि यह मजबूत है तो इस पर पैसा खर्च करके इसको पूरा बनाना चाहिये।

यदि यह नहीं बन सकता है तो जैसी आज इसकी स्थिति है उसमें दो–तीन गांवों की जमीन डूब में आई है, गरक हुई है, आज की स्थिति में जितनी जमीन की इससे सिंचाई होती है उससे ज्यादा जमीन इस बांध में गर्क हुई है और जिन लोगों की जमीन गर्क हुई है वे लोग दर दर मारे मारे फिरते हैं, न आज तक उनको जमीन मिली है और न मुआवजा ही मिला है। ऐसी स्थिति में अगर यह बांध नहीं बन सकता तो ये जमीनें उन लोगों को वापिस दे देनी चाहिये, ताकि वे लोग फिर से वहां आबाद हो सकें।

बस, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना यह प्रस्ताव रखता हूँ और माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बांध अधूरा है, यह बांध मजबूत है, इसलिये यह जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय (भरतपुर जिले की बाढ़ नियन्त्रण योजना की प्रगति पर बहस करने के लिये)।

माननीय उपाध्यक्ष, भरतपुर जिला जिस प्रकार अपनी कुछ वीरता आदि कार्यों के लिये प्रसिद्ध रहा है उसी तरह बाढ़ों के लिये भी प्रसिद्धि प्राप्त करता रहा है। सन् २४ की बाढ़, ४२ की बाढ़ और ४८ की बाढ, ऐसी बाढ़ रही हैं, जिनको हम असाधारण बाढ़ें कह सकते हैं। साधारण बाढ़ें तो, जब कभी जयपुर, अलवर की तरफ वर्षा होती है तो भरतपुर निचाई में होने के कारण प्रायः हर साल आती ही रहती हैं। जब इतने दिनों से बाढ़ें आती रही हैं, तो मैं यह भी कल्पना करता हूँ कि सौ दो सौ वर्ष पहले भी वहां बाढ़ें आती रही होंगी। फिर वहां आम तौर पर बताया जाता है कि पहले भी वहां इसी तरह बाढ़ें आती थीं, पर उस समय की सरकार उनको रोकने की कोशिश करती रहती थी। अब भी बारेठा बांध, अजान बांध, मोती झील आदि कितने ही स्थान हैं, जो स्थानीय गांवों की सिंचाई के लिये काफी पानी अपने अन्दर धारण कर लेते हैं और बाकी के पानी को वे बाहर निकालते रहते हैं। जैसा कि मैंने कल इस आशय का एक दूसरा कटौती प्रस्ताव रखते हुए बताया था कि कालान्तर में वे पुराने बांध अब नष्ट प्रायः हो चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं सिंचाई विभाग के सोचने के लिये यह बता दूं कि मुझे पिछले साल या उससे एक साल पहले एक प्रश्न के

Page No.94

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उत्तर में सूचना दी गई थी कि भरतपुर में पहले २०० से ऊपर बांध थे जिनमें से अब केवल २० या २५ ही रह गये हैं। वे सब पुराने बांध जमींदोज़ हो गये हैं, इस कारण बाढ़ों की संख्या बढ़ने लग गई है। बाढ़ से होने वाली तबाही के बारे में क्या कहा जाय? यद्यपि मेरे पहले बोलने वाली माननीय सदस्या ने तो बाढ़ को वरदान के रूप में चित्रित किया है। मैं भी कुछ अंशों तक तो उनसे सहमत हूँ कि कभी कभी वरदान सिद्ध होती हैं, पर प्राय: कई स्थानों में तो वे अभिशाप ही सिद्ध होती हैं और भरतपुर उन्हीं स्थानों में से है। बाढ़ आती है तो ग्राम जलमग्न हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, खाद आदि लाने से उर्वरा बनाने के बजाय रेती डाल जाती है जिससे गेहूँ और दूसरी अच्छी खेती होनी चाहिये वह नहीं होती। रेता डाल देती हैं, उससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, कुंओं को बाढ़ रेती से पाट देती है जिससे लोगों को पीने के पानी की कठिनाई होती है।

इस तरह ये बाढ़ें लाखों-करोड़ों तक की सम्पति को नष्ट कर देती हैं। इसलिये खास तौर से राजस्थान सरकार का ध्यान ५८ में इस ओर गया कि भरतपुर में प्राय: समय समय पर आने वाली बाढ़ों का नियन्त्रण किया जाय। राजस्थान सरकार ने कुछ कार्यवाही की भी है। कितने लागत की की इसको निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, क्योंकि लागत के आंकड़ों के बाबत कभी दो लाख, कभी ४ लाख और कभी कुछ, कभी कुछ कहा जाता है। यहां बाढें गम्भीर और बाण गंगा नदी से आती रहती थीं, पर ५८ में तो कामां-पहाड़ी में ऐसी बाढ़ आई कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ऐसी बाढ़ गत ५०-१०० वर्ष में कभी नहीं आई। इस बाढ़ का पानी वहां डेढ़, दो साल तक भरा रहा। उस पानी को यू० पी० की सरकार, हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार इन तीनों ने पूरा प्रयत्न किया, पर ये तीनों उस पानी को निकालने में असफल रहीं। अब भी सुनते हैं कि कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, यू० पी० सरकार से बात चल रही है। गुड़गांवां की तरफ से यह पानी आता है। पंजाब की सरकार का पानी राजस्थान में आता है तो राजस्थान सरकार इतनी उदार है कि उस पर बुरा नहीं मानती। पानी आता है, तबाही हो जाती है, दुर्भाग्य है, उन लोगों का। पर यू० पी० में इस पानी के प्रवाह को बहाने की कोशिश की जाती है तो यू० पी० की सशक्त सरकार हमारी राजस्थान सरकार को ऐसा करने के लिये खूब आड़े हाथ लेती है और इसलिये राजस्थान सरकार भी अपनी असमर्थता अनुभव करती है। इसलिये समय समय पर तीनों राज्यों और केन्द्रीय सरकार के इन्जीनियरों ने मिलजुल कर योजना सोची है और कभी उसको मास्टर प्लान के नाम से कहा जाता है, जिसको भारत सरकार करने जा रही है। लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इससे हम अभी तक बिल्कुल अवगत नहीं हो पाये हैं, इसलिये भरतपुर इलाके में बाढ़ें बार बार आती रही है, उसको सदन में मैंने बार बार बताया है और सरकार ने भी बताया है, मगर उसमें प्रगति क्या हुई? योजना राज्य सरकार के सामने है, पैसा भी खर्च करती है। कई कई स्थानों पर बोर्ड भी हमको देखने को मिलते हैं। गंभीरी नदी की बाढ़....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : आप उसकी गहराई में नहीं गये होंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : गहराई में जाना सदस्य का काम नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : गहराई में जाना खतरनाक होता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने तो राज्य सरकार से इस बारे में प्रश्नों के द्वारा जानकारी चाही थी और उसके उत्तर में मुझे जो फैक्ट्स एन्ड फिगर्स मिले वे कभी कम और कभी ज्यादा मिले। अब यह योजना....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कहां तक प्रगति कर चुकी है, मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग–मु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८ पर मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह इस प्रकार है :

मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८० का–बहु प्रयोजन नदी योजना पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले की कालीसिंध तथा भीम सागर योजना पर व्यय किये जाने वाली धन राशि पर विवाद करने हेतु।)

इसके द्वारा मैं समझ रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार ने झालावाड़ की सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं दिया उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये नहीं बल्कि हमारे सिंचाई मन्त्रीजी की अप्रसन्नता को प्राप्त करने के लिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

झालावाड़ की सिंचाई की समस्या ऐसी जटिल बन गई है कि सदन में या सदन के बाहर इसका प्रश्न उठाया जावे तो वैसे तो माननीय मन्त्री बड़े कृपालु हैं, लेकिन इस विषय पर फौरन अप्रसन्न हो जाते हैं। यही हाल यहां के जिला स्तर पर जो इंजीनियर नियुक्त हैं उनका है। सन् १९५९ में एक कमेटी की मीटिंग हुई और उस वक्त वहां के इंजीनियर से यह पूछा गया था कि यहां पर भीमसागर से खेतों को कब पानी मिल जावेगा। उन्होंने कहा कि १ अक्टूबर को। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हाल ही में जिला परिषद् की मीटिंग हुई और उसमें उनसे पूछा गया कि आप खेतों को कब तक पानी दे देंगे? तो उन्होंने निश्चयपूर्वक वादा किया कि नवम्बर १९६२ में इन बांधों के बनने के बाद पानी मिलने लग जावेगा। लेकिन आज अभी अभी माननीय मंत्री ने मेरे एक साथी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, उससे ऐसा मालूम होता है कि अभी केन्द्रीय सरकार की ओर से इंजीनियर बुलाये जावेंगे तब बांध बनेंगे।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इंजीनियर यहां बुलाने की

(श्री भीखाभाई)

बात नहीं कही। मैंने तो यह कहा कि यह मामला सेन्ट्रलवाटर पॉवर कमीशन को रेफर किया है इसलिए कि यह बांध बार बार क्यों टूट जाता है।

श्री रामचन्द्र : हीचर का बांध बार बार टूट जाता है। आखिर बात क्या है? इंजीनियर बुलाये जा रहे हैं। जब तक वे तजवीज पेश करेंगे तब काम आगे बढ़ेगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे झालावाड़ में दो योजनाएं चालू हैं। यह इन्वेस्टमेंट पेइंग न होकर नुकसानदेह हो गया है। शुरू शुरू में जब यह बना तब हीचर के लिये १२ लाख और भीमसागर के लिये १८ लाख की धन-राशि मंजूर हुई और यह विश्वास दिलाया गया था कि इससे इतने लाख की सिंचाई होगी। इससे यह माना जावे की सिंचाई उतनी की होगी; मगर एस्टीमेट बढ़ते बढ़ते २॥ गुना हो गया है और तीसरी मर्तबा यह बांध टूट गया है। तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि इस बांध को बनाने से राजस्थान सरकार को फायदा होगा? इसलिये बगैर जांच किये हुए किसी प्रकार का एस्टीमेट देना राज्य के लिये लाभदायक नहीं होता और पब्लिक के पैसे का दुरूपयोग होता है और पब्लिक को परेशानी होती है।

दूसरी भीमसागर की योजना है। उससे झालावाड़ को कब पानी मिलेगा? इसलिये मैं यह कहूँगा कि दोनों योजनाएं झालावाड़ के लिये बजाय वरदान के अभिशाप बन गई हैं क्योंकि सरकार ने इतना रुपया इन दोनों योजनाओं में इन्वेस्ट किया है कि सिंचाई के मद में और रुपया इन्वेस्ट करना सरकार के लिये उचित नहीं हो सकता है और यही वजह है कि जब हम लघु सिंचाई की योजना का प्रश्न सरकार के सामने रखते हैं तो यह कहा जाता है कि झालावाड़ के जिले को इतना रुपया दिया जाता है जो किसी दूसरे को नहीं दिया गया है। सरकार का यह कहना ठीक है। मगर उसका फायदा नहीं मिला और बिना वजह यह सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट उसको मानते हैं जिससे फायदा होता है। रुपया खर्च किया गया मगर जो समस्या थी सिंचाई की वह हल नहीं हुई।

इसके अलावा दुःख की बात यह है कि बांध नहीं बना मगर उससे पहले नहरें खोद दी गई, जिसका कोई प्रयोग नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह नहरों का बनने का काम बाद में शुरू होता तो इतनी जमीन जो नहरों में ली गई है उसमें काश्त होती और आमदनी होती।

श्री उपाध्यक्ष : उधर पानी का दुरुपयोग होता। यह तो उधर बराबर होता।

श्री रामचन्द्र : इस तरह से यह जो नेशनल वेस्टेज हुआ है वह नहीं होता। अब तक बांध का कोई पता नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

साथ ही साथ खूबी यह है कि जिनकी जमीन नहरों के लिये ली गई है उनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। यह बड़े दुःख की बात है।

(श्री रामचन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा सिंचाई का काम जो राजस्थान सरकार ने झालावाड़ जिले में खोला है उस लिहाज़ से जो एस्टेब्लिशमेंट रखा है वह उपयुक्त नहीं है। वहां पर जितना एस्टेब्लिशमेंट है उसके अनुसार काम हुआ या नहीं, इसका ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। वहां पर जितने इंजीनियर्स हैं उनमें से एक इंजीनियर का काम केवल हींचर और भीमसागर बांध बनाने का है, दूसरे का लघु सिंचाई के काम का जिम्मा है और तीसरे का योजना बनाने का है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अब तक ५० योजनाएं बन चुकी हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से १० या ५ योजनाओं पर अमल हुआ होगा, बाकी की यों ही पड़ी हुई हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पचपाड़ तहसील में तालाब है। उसकी पाल ठीक की गई। उसके लिये कई हजार रुपये लगे, मगर उसके बाद भी वहां पर पानी नहीं ठहरता। मैं यह कहूँगा कि इंजीनियर का काम था कि पहले वह इस बात को देखता कि वहां पर कोई लीकेज तो नहीं है। जब उस पर २५ या ३० हजार रुपया लगेगा तो उसका फर्ज था कि वह पहले उसको देखता।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

वहां पर साल में दो–तीन महीने पानी रहता है और बाद में सूख जाता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि झालावाड़ जिले में जमीन की पॉटेन्शियलिटी बहुत है और वाटर की पॉटेन्शियलिटी भी बहुत है इसलिये सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी झालावाड़ जिले की ओर ध्यान दे। यही मेरा निवेदन है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८ पर मेरे २४, २६ और २८ नम्बर पर तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। उन पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहला मेरा कटौती प्रस्ताव २४ नं० पंचायत समिति भूखिया क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं पर बहस करने के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर कोई सिंचाई की योजना नहीं बनाई गई है।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : माही बन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : पास के क्षेत्र की बात है। बाहर ही बता सकते थे।

श्री नाथूराम : इस पहाड़ी क्षेत्र में, माही की नहरें नहीं आने वाली हैं। बागीडोरा तहसील के भूखिया क्षेत्र में कोई भी सिंचाई की योजना नहीं बनी है। ढणक का तालाब बंधा है। लेकिन वह इतना नीचा बंधा है कि जिससे उसमें से वर्षा के दिनों में पानी निकल जाता है, उसमें पानी नहीं रहता है और इस तरह से सिंचाई के लिए कोई फायदा उससे नहीं होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ढणक के तालाब को ठीक तरह से बंधाया जाय ताकि सिंचाई हो सके। बाड़ी नाथ के तालाब पर भी एक दो साल पहले काम शुरू हुआ था। वह पूरा बन्धा नहीं और अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। वहां पर एक बड़ा नाला पहाड़ी क्षेत्र से निकल कर गुजरता है। एक-दो साल

(श्री नाथूराम)

से जनता मांग पर मांग करती चली आ रही है कि इस नाले को रोक कर वहां पर बांध बना दिया जाय लेकिन वहां पर बांध अपूर्ण पड़ा हुआ है और जो पैसा लगा है उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो बाड़ीनाथ तालाब पर खर्चा हुआ है उसके उपयोग के लिए उसको पूर्ण कराना आवश्यक है। यदि वह पूर्ण नहीं हुआ तो जो पैसा खर्च किया गया है यह भी बेकार हो जावेगा और निकट के गांव वालों को कोई भी फायदा नहीं होगा, सिंचाई भी नहीं हो सकेगी। जहां पर पहाड़ी क्षेत्र में नाले हैं, वहां पर एर्नीकन्स बन्धवा कर तालाब बंधाये जाय जिससे कि उस इलाके में सिंचाई हो सके। इस क्षेत्र के लिए विशेष निवेदन है कि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ६६ प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं जो इतने गरीब हैं कि सिवाय खेती के उनके पास और कोई जरिया नहीं है। सिंचाई विभाग की ओर न तो वहां पर लघु सिंचाई योजना शुरू हुई है और न कोई बड़ी योजना ही। इसलिए मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इन्जीनियर को भेज कर वहां उस तालाबों के कार्य इसी साल चालू करा देवें।

इस क्षेत्र में मालीखूंटा, अमलिया-पोठीवाड़ा, बन्ना डोकर आदि तालाबों की सर्वे भी हो चुकी है लेकिन कई प्रार्थना-पत्र पेश किये गये, ताहम आज तक वहां पर कोई काम आरम्भ नहीं हुआ है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि सर्वे शुदा जो तालाब हैं उनको आरम्भ कराया जाय। यदि कार्य आरम्भ नहीं हुआ तो पहाड़ी क्षेत्र सूखा रह जायगा। यह गुजरात प्रान्त से लगा हुआ क्षेत्र है। गुजरात प्रान्त में अच्छी २ योजनायें और तालाब बनाये जा रहे हैं और इस क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ है। वहां पर इस साल दुष्काल है। लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश किये हैं। इसलिए वहां पर काम शीघ्र आरम्भ कराया जाय। इस क्षेत्र की ४० हजार जन-संख्या है। वहां पर कोई राहत का काम भी नहीं दिया गया है, यानी कोई धन्धा नहीं होने से आदिवासी लोग बेकार भी हैं। इसलिए पुनः निवेदन है कि तालाबों के काम को जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाकर पूर्ण कराये जावें।

दूसरा कटौती प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : सब ही साथ ले लें।

श्री नाथूराम : प्रस्ताव नं० २६ है अढ़ाई तालाब, तहसील गढ़ी में बंधवाने के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अढ़ाई तालाब पुराने जमाने में बंधा हुआ है और उसके टूट जाने से उस क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है। ८-१० साल से इस तालाब को बन्धवाने के लिए प्रार्थना की जा रही है लेकिन उस तालाब के लिए आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। दो-तीन वर्ष पहले सर्वे के लिए ऑर्डर हुआ था। लेकिन सर्वे भी अपूर्ण हुई। गत वर्ष एक सर्वे पार्टी भेजी गई थी और लोगों ने मांग की थी कि इस तालाब को ऊपर बंधवाया जाय और इसको नीचे न बंधवाया जाय जिससे कि इसमें कोई भूमि डूबेगी नहीं और जो आबादी एवं झौंपड़े हैं वे भी उठेंगे नहीं। सर्वे पार्टी में कुछ व्यक्तियों का स्वार्थ था इसलिए उन्होंने ऊपर सर्वे फाइनल नहीं की और नीचे की

(श्री नाथूराम)

और सर्वे कर बांधना बताया। लोगों ने उससे निवेदन किया कि नीचे बांध बंधवाने से कोई किसी को फायदा नहीं होगा। सदन में मैंने तारांकित प्रश्न भी पूछे थे, लेकिन आज तक उस तालाब के लिए कुछ तय नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तालाब इस स्थिति में है कि यदि इस तालाब को ऊपर बंधवा दिया जाय तो उससे ६०–८० गांवों को फायदा हो सकता है। जब से यह तालाब टूट गया है तब से तमाम कुंओं में पानी सूख जाने से कोई फायदा नहीं होता है। कुंओं में पानी का लेवल भी ऊंचा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का फायदा हो सकता है। यदि इसको नीचे की तरफ न बंधवा कर ऊपर की ओर बंधवा दिया जाय। सरकार कुंओं के लिए तकावी की रकम हजारों रुपया दे रही है। इस तालाब के बंध जाने से कुंओं के लिए रकम भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। यह अढ़ाई तालाब बंध जाने से दो फसलें भी हो सकती हैं; दुष्काल और कहतसाली में वहां के लोगों को बहुत नुकसान होता है। जब अढ़ाई तालाब ऊपर बांध दिया जावेगा और यदि कहतसाली भी हो गई तो भी वहां पर दो फस्ल हो सकती है। मुझे अफसोस के साथ माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना पड़ता है कि इस क्षेत्र के लोग दस साल से एक तालाब को बंधवाने के लिए मांग करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से आज तक कोई भी उसके लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि अढ़ाई तालाब का सर्वे जल्दो से जल्दी करवा कर ऊपर बंधवाने की कृपा करें और माननीय मंत्री महोदय से भी यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी ऊपर की तरफ बंधवाने की कृपा करें, नीचे बंधवाने से अधिक नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रस्ताव गढ़ी तहसील में लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गढ़ी तहसील ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा चावल पैदा होता है, लेकिन वहां पर तालाबों की आवश्यकता है। टूटे–फूटे तालाब हैं, जो कि पहले से बने हुए थे। कुछ तालाबों की तो मरम्मत की आवश्यकता है और कुछ को नये बनाने की आवश्यकता है। इस विभाग की ओर से गढ़ी तहसील में कोई भी तालाब नहीं बना है। गढ़ी के पास में भडारिया तालाब बांधा जा रहा है–। समाज कल्याण विभाग की ओर से खर्चा होता है लेकिन निर्धन आदिवासियों के खेतों के बीच में से उस तालाब को पाल ली गई है। अगर उसको ऊपर बांधा जाता तो किसी का नुकसान भी नहीं होता और अधिक फायदा होता। नीचे बंधवाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके द्वारा निवेदन है कि गढ़ी तहसील में जो इस प्रकार के टूटे फूटे तालाब हैं उनको बंधवाने के लिए कार्यवाही फर्मावें और यह भी निवेदन है कि सर्वे शुदा तालाब हैं और लिस्ट सिंचाई विभाग में पेश हो गई है, लेकिन स्वीकृति नहीं हुई है इसलिए हतोलिया पारीवोल, अरथूना आदि तालाबों का जल्दी से जल्दी काम प्रारम्भ कराया जावे। इन शब्दों के साथ तीनों प्रस्ताव तालाबों के काम को जल्दी से जल्दी शुरू कराने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या ३८, मुख्य

(श्री रावतमल परीक)

शीर्षक ६८–सिंचन आदि के सम्बन्ध में गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ इलाके के अन्दर घग्घर नदी से होने वाले नुकसान की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये कटौती का प्रस्ताव रखा है। यह तो सदन को विदित है कि हनुमानगढ़ इलाके में कई वर्षों से घग्घर की नाली आती है। यह घग्घर की नाली पंजाब की पहाड़ियां से चल कर ओट्टू के बान्ध पर पूरी हो जाती है। वहां से (ओट्टू घाट से) फॉल करा कर उसके पानी को राजस्थान में डाला जाता है। पहले दिनों में जब घग्घर में कम पानी आता था उसका उपयोग अच्छा हो सकता था, इस इलाके की सिंचाई के लिये। मगर अब जब कि भाखरा नहर बनी तो पंजाब सरकार ने मारकण्डेय नदी को भाखरा में डाल दिया और पिछले साल एक टांगड़ी नदी के पानी को भी घग्घर नदी में डाल दिया। चूहा नदी जो सुनाम के पास से निकलती है खुदाई हो रही है। आगामी जुलाई तक खुदाई का काम पूरा हो जाने पर उसका पानी भी घग्घर में डाल दिया जायेगा। इस तरह से तीनों नदियों का पानी घग्घर में डाल देने से, उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करूंगा इतना पानी अधिक हो जाता है जिससे पानी का स्तर चार–पांच फीट तक चढ़ जायेगा। ऐसा होने से उसके नीचे जितने भी गांव हैं वे डूबने की स्थिति में हो जायेंगे। वहां लोगों को बचाना मुश्किल हो जायेगा। कहा यह जाता है कि घग्घर नदी के पानी को राजस्थान केनाल में डाल देंगे। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि राजस्थान केनाल से सन् ६२ में पानी दे देंगे। तब फिर वह पानी उसमें डाला नहीं जायेगा। राजस्थान केनाल इतने पानी को सहन नहीं कर सकेगी। इसलिये दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत हैं जो संभव नहीं है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में आश्वासन और वादों से काम नहीं चलेगा। अभी हमारे सामने बरसात आती दिखाई दे रही है लेकिन हमारे यहां इसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। पिछले साल भी लोगों को काफी हानि हुई थी। जब सेशन शुरू हुआ था उस समय भी वहां के लोग तकलीफ में थे। सरकार द्वारा कोई इन्तजाम नहीं। इतने पानी को मंत्री महोदय हाथ आड़ा देकर रोक नहीं सकते। कोई स्कीम नहीं। स्कीम हैं तो वह पूरी नहीं होती। स्कीम और कर्त्तव्य के अभाव के कारण लोग वहां तकलीफ पा रहे हैं। भरतपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था, हमारे यहां तीन साल में एक दफा बाढ़ आ जाती है वहां बहुत नुकसान होता है। लेकिन हमारे यहां तो साल में दो दफा बाढ़ आती है। फिर भी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I think it is done.

श्री देवीलाल (सराड़ा–मु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौ चालन तटबन्धन आदि में एक रुपये की कटौती की जाय। तहसील सराड़ा में लघु सिंचाई योजनाओं पर बहस करने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सराड़ा में लघु सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दिया जाकर बान्ध बनवाये जांय। जिससे आदिवासी एरिया को काफी फायदा पहुंच सकता है। यह एरिया, सराड़ा–

(श्री देवीलाल)

खैरवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा काम किया जाय तो आदिवासी लोगों को काफी फायदा हो सकता है। यहां से कई नदियां निकलती हैं। सोम नदी पर एनीकट बान्ध बनाया जाकर नहरें निकाली जांय तो किनारे किनारे जो आदिवासी बस्तियां हैं उनको फायदा पहुँच सकता है।

सराड़ा में टीडी नदी दोपुरा आदि क्षेत्र में होती हुई कई स्थानों पर जाती है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर एनीकट लगा कर यहां की बस्तियों को पानी पहुंचाया जा सकता है। भैका नाका सोम नदी में एनीकट व बांध रख कर बनाया जाय तो डूंगरपुर और आसपुरा, तहसील सराड़ा, सलूम्बर तहसील, इन सब तहसीलों के गांवों को फायदा हो सकता है। लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान देकर इन योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिये ताकि आदिवासी क्षेत्र को काफी फायदा पहुँच सकता है और भूमि की ज्यादा सिंचाई हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्र में भी काफी छोटी योजनायें बना कर काफी फायदा दिया जा सकता है। कागदर के बीच में सोम नदी निकलती है वहां बीअर तथा बांध बनाया जा सकता है। कागदर में पाल ओवरी वगैरह से काफी भूमि पीवल हो सकती है। माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो मनोहर थाना सिंचाई योजना बड़ी पर विचार करने के लिये।

इस पर मेरा निवेदन है कि यह परियोजना राजस्थान सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में तैयार की थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना पर बहुत कम खर्च हुआ है और इस पर निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल पूरा हो गया और तीसरी योजना का प्रथम वर्ष चालू होने वाला है। दूसरी योजना में जितना रुपया रखा गया था वह भी व्यय नहीं हो पाया है। गत वर्ष ६०–६१ में पांच लाख छः हजार रुपया मन्जूर किया गया था वह भी पूरा खर्च नहीं हो पाया है। इस तरह से अब तृतीय योजना का प्रारम्भिक काल है। वैसे तो यह योजना पांच करोड़ रुपये की है। इससे इकलेरा, मनोहर थाना तहसील की जमीन की सिंचाई होगी। पांच करोड़ रुपये की योजना होते हुए भी सन् १९६०–६१ के बजट में केवल एक लाख रुपया इसके लिये रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि यदि इसी तरह से इस योजना की प्रगति चलती रही तो आगामी तीन योजनाओं तक भी यह पूरी नहीं हो पायेगी। जैसा कि झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि झालावाड़ जिले के अन्दर बड़ी सिंचाई योजना नहीं बनायी गई है, मध्यम वर्गीय योजना भी तैयार नहीं की गई है। तीसरी योजना हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन पिछली दो योजनाओं में हम इस पर पांच लाख रुपया भी खर्च नहीं कर पाये और तीसरी योजना के पहले साल में हमने केवल एक लाख रुपया ही रखा है।

(श्री सम्पतराज जैन)

इस तरह से आगामी तीन योजनाओं तक भी इसका काम पूरा नहीं कर पायेंगे। यह झालावाड़ जिले के साथ अन्याय है कि इतनी बड़ी योजना के लिये पहले साल में केवल एक लाख रुपया रखा गया। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे भीम सागर बांध की तरह इस बांध में नहीं होना चाहिये। इसकी तैयारी करने से पहले हमें पूरे अहतियात बरतने चाहिये। कम से कम इस योजना के अन्दर पचासों गांव डूब में आवेंगे। इसलिये कौन कौन से गांव डूब में आने वाले हैं उनको देखते हुए हमें इसका निर्माण करना चाहिये। ठीक तरह से सर्वे करके, जो गांव डूब में आने वाले हैं उनको मुआवजा दे कर उनको जहां पर बसाने की योजना हो वह तैयार की जाय। इससे भीमसागर बांध से जो कठिनाई पैदा हुई थी वह नहीं होगी।

दूसरा मेरा झालावाड़ की नदियों में बाढ़ को नियंत्रण करने में असफलता पर बहस करने के लिए नम्बर ३ का मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिले के अन्दर ६ बड़ी नदियां हैं और उन नदियों में प्रति वर्ष इतने जोरों से बाढ़ आती है कि आस-पास के किनारे की जमीन को काट कर तमाम उपजाऊ मिट्टी और खाद को बहा ले जाती है। साथ ही साथ ये नदियां इतने उपद्रव मचाती हैं कि गांवों का एक-तिहाई हिस्सा डूब में आ जाता है। मनोहर थाना तहसील में परवन नेवज व चाड़ीखाड़ नदी, आवर, पचपहाड़ तहसीलों में आहू नदी, भावत व उसके आसपास के ग्रामों में छापी नदी, और असनावर व खानपुर तहसीलों में उजाड़ नदी बड़ी मुसीबतें पैदा कर देती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब कि राजस्थान सरकार बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए लाखों रुपया स्वीकार करती है, १९६०-६१ में इसके लिए १५ लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट इस रकम को भी खर्च नहीं कर पाया। इसी तरह से इस बार १९६१-६२ में इसके लिए ६ लाख रुपये रखे गये हैं। मैं कहता हूँ कि यह प्रगति इसी तरह से चलती रही तो इस साल भी जो रकम रखी गई है वह भी खर्च नहीं होगी। जब बजट में रुपया स्वीकृत किया जाता है तो क्यों नहीं खर्च किया जाता? तो इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा संक्षेप में मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम जिस समय वे बाढ़ नियंत्रण योजनायें तैयार करें तो झालावाड़ जिले का भी ख्याल रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(४.०० म०प०)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ३८ पर जो कटौती का प्रस्ताव नम्बर २५ है उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रूलिंग हो चुकी है कि कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में या विरोध में कोई नहीं बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : What observation?

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३८ पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री रावतमल पारीक ने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी खरीफ की फसल को घग्घर से बाढ़ आई उससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और इसी वर्ष हमारी अच्छी फसल खड़ी थी उससे भी करोड़ों रुपयों का नुकसान सरकार का हुआ। राजस्थान सरकार इसके बारे में कह सकती है कि हम योजना बना रहे हैं और उन योजनाओं को हम कार्यान्वित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, योजनायें बनने में कुछ समय लग सकता है। मैं राजस्थान सरकार से इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपके काम करने के तरीके हैं वे लालफीताशाही के तरीके हैं, उनको पार करके इसके बारे में सक्रिय कदम उठायें। जो खर्चा आप इस योजना पर लगायेंगे तो उससे जो करोड़ों रुपये की क्षति होती है उसको रोक सकेंगे। सरकार के सामने यह समस्या भी उपस्थित हो सकती है कि धन का अभाव है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस नदी से करोड़ों रुपये की फसल का नुकसान होता है जब कि व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही है, लेकिन इसका हमारे देश के खाद्य उत्पादन पर भी असर पड़ता है। अतः करोड़ों रुपये का जो नुकसान होता है उसका ध्यान रखते हुए सरकार इसके बारे में प्रोविज़न करे और लालफीताशाही का जो तरीका है उसको छोड़ कर इसके बारे में सक्रिय कदम उठाये। यह बहुत अहम् समस्या है जिसके बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister for Irrigation.

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी बहस के दौरान में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में बोलते हुए कुछ लक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुझे ऐसा लगता है कि पहली मांग पर जो उत्तर दिया गया था उससे उनको संतोष नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे कहा था कि 'अनुदार होकर' इस प्रकार के जो आरोप हैं वे कम से कम लगाने में परहेज़ करें और मैंने उनसे निवेदन किया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके जरिये से फिज़िकल टार्गेट्स एक्चुअल अगर नहीं होते हैं तो उसका दूसरा रूप जरूर निकल आता है। यह मैंने निवेदन किया था। लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने और भी बातें बताईं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर लघु सिंचाई योजनाओं का टेम्पो जैसा कि निवेदन किया गया है सन् १९५८ के बाद में प्रारम्भ हुआ है। ज्योंही हमने इन्वेस्टीगेशन एण्ड सर्वे डिपार्टमेन्ट कायम किया उसके बाद से हमने सभी जगह पर लगभग १७ सहायक इन्जीनियर्स की नियुक्ति की। उसके बाद में लगातार उसमें प्रगति हुई है और प्रगति के फलस्वरूप, जैसा कि मैंने निवेदन किया, थोड़ी देर पहले, कि ५८ योजनायें जिनमें १।। करोड़ की जरूरत होगी, प्रारम्भ कर दी गई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाओं का काम शुरू हो गया है और बहुत सी योजनाओं का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सरकार किस प्रकार चिन्तित है कि इन योजनाओं को किस तरह से बल मिलेगा। इतना ही नहीं, अपितु मैं यह निवेदन करना पसन्द करूंगा

(श्री भीखाभाई)

कि राजस्थान सरकार ने ज्यों ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया उसके बाद में उसने लघु सिंचाई योजनाओं को हस्तान्तरण कर दिया। २५ हजार तक की जो योजनायें हैं वे योजनायें सरकार ने पंचायत समितियों को दे दी और हर जिले में एक एक सहायक अभियन्ता नियुक्त कर दिया कि जो लघु सिंचाई योजनाओं को अधिक से अधिक बढ़ाने में सहयोग देगा। इतना ही नहीं जो छोटे छोटे जिले हैं; जैसे पाली है, बूंदी है, कोटा है; इन जिलों में लघु सिंचाई योजनाओं को प्रगति देने के लिए वहां पर कलेक्टर्स को रुपये दिये गये हैं और इसके साथ ही साथ जहां तक सहकारी समितियां का सवाल है राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि १ लाख तक के ठेके बिना किसी टेन्डर दिये हुए, बिना किसी इम्प्रेस्ट मनी जमा किये हुए योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिये जा सकेंगे।

(४.०६ म.प)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

उसके बाद में २५ हजार के नीचे के लिए कहा कि बिना किसी टेन्डर के सहकारी समितियों को काम दिया जा सकता है। भारत सेवक समाज द्वारा भी लाखों रुपये का काम चम्बल पर और दूसरी जगह पर हुआ है। इससे यह साबित होता है कि राजस्थान सरकार लघु सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सतत् प्रयत्न कर रही है। राज्य सरकार द्वारा भी जहां २ डिपार्टमेन्टल काम हो सकता है वहां डिपार्टमेन्ट द्वारा भी काम शुरू कराया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि अभी थोड़े दिन पहले काफी रुपया टूल्स एण्ड प्लान्ट्स की खरीद के लिए प्रोवाइड किया गया है ताकि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट अपने औजार खरीदे और डिपार्टमेन्टल मशीनरी द्वारा अपना काम प्रारम्भ कर दे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां जहां इस प्रकार का टेम्पो इस साल बना है वहां इसी साल ४२ लाख रुपये लघु सिंचाई योजनाओं के अन्दर खर्च होने वाले हैं। इससे अन्दाजा लग सकता है कि आगे कैसा टेम्पो आयेगा। इनवेस्टीगेशन एण्ड सर्वे डिपार्टमेन्ट द्वारा जो हमारी स्कीम सर्वे होंगी उनके लिए निवेदन करूंगा कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो स्कीम ली जाने वाली हैं उनका हम अभी से खाका और नक्शा तैयार कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक रिटर्न का सवाल है राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जहां स्केयरसिटी एरिया है वहां पर १ पर्सेंट तक की स्कीम ले लेंगे। लेकिन जनरल डिसीज़न नहीं हुआ है और रिटर्न के पर्सेन्टेज को डाउन किया जाये, ताकि अधिक से अधिक स्कीम उसके परव्यू में लाई जा सके और अधिक से अधिक काम प्रारम्भ किये जा सकें। यह ऐसा कदम है जिसके द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के काम में गति मिलेगी, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो ज्यादातर यहां कही गई वह बाढ़ कन्ट्रोल के बारे में कही गई। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस वर्ष जो घग्घर में बाढ़ आई वह कैचमेन्ट एरिया था उसमें बहुत हैवी रेनफाल हो गई और ऐसी उम्मीद नहीं थी। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था कि बाढ़ से हमें फायदा होता है। एक समय था जब कि

(श्री भीखाभाई)

बाढ़ से वहां की जमीन को सींचते रहे, इनन्डेशन के जरिये से अन्न का उत्पादन करते रहे। लेकिन आज यह स्थिति पैदा हो गई है, समस्या यह हो गई है कि उस बाढ़ को कैसे रोका जाये। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान ने जिस समय विन्टर में रेन हुई उस समय में राहत देने के लिए, जैसा कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने सदन में पहले बताया है, उसके बाद में काफी अच्छे कदम उठाये थे। हम यह चाहते हैं कि उसके लिए कोई ठोस कदम उठाये जायें और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने श्री कुंवरसेन की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की कि वे यह देखें कि घग्घर की बाढ़ को किस प्रकार रोका जाये और क्या मेजर्स होने चाहिए, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है मेजर्स के बारे में। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स के बारे में इस साल के बजट में १॥ लाख रुपया प्रोवाइड किया है। यह उनको मालूम नहीं है। इतना ही नहीं घग्घर की बाढ़ की रुकावट के अलावा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर भी बाढ़ की समस्या है, उस बाढ़ को रोका जाना चाहिए। वहां पर काफी बान्ध थे वे टूट गये हैं और फ्लड आते हैं। जहां उनके लिए फ्लड फायदा करते हैं वहां फ्लड दुखदायी भी हो जाते हैं, जब कि हेवी रेन्स हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा भी है कि यह सही है कि कुछ काम प्रारम्भ हुए हैं। जो भरतपुर जाते हैं या भरतपुर के रास्ते से होकर जो जाते हैं तो वहां पर प्रोटेक्शन वर्क्स का नजारा उनके सामने पेश होता है। इसी प्रकार से और भी कदम उठाये गये हैं और उठाने भी चाहिए।

कामां पहाड़ी के बारे में निवेदन करूं कि कामा पहाड़ी की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। यू. पी. सरकार के द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं आने के कारण से भारत सरकार के पास से वह योजना नहीं आई है।

यह सही है कि सेन्ट्रल फण्ड एवेलेबल होते हैं फ्लड कन्ट्रोल मेजर्स के लिए। तो मैं निवेदन करूं कि क्या कारण हो सकता है कि राज्य सरकार जो है वह फ्लड कन्ट्रोल के नियन्त्रण पर पैसा खर्च नहीं करे। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर उच्च स्तर पर सोचा जा रहा है। राजस्थान में इस प्रकार की जो समस्या है, जहां कि यह फ्लड समस्या पैदा होती है....

श्री रामतमल पारीक (नोखा): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि यह सोचने का कब तक सिलसिला जारी रहेगा ?

श्री सभापति : This is no point of order. Yes, please continue.

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो उसकी जानकारी नहीं रखते हैं और उस जगह से आते हैं जहां घग्घर की बात हो रही है। कलेक्टर की रिपोर्ट आई है। वहां पर दो कमेटियों का निर्णय लिया है जिसमें सभी विभाग के लोग हैं। रेलवे वाले भी हैं। वहां पर हनुमानगढ़ जंक्शन और सूरतगढ़ फार्म को किस तरह से बचाया जाय ? यह शॉर्ट टर्म

(श्री भीखाभाई)

मजर्स हैं। इस बारे में उनको जानकारी होनी चाहिये, यदि वे सही प्रतिनिधित्व अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी का करते हैं तो।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि श्री कंवरसेन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। हम यह चाहते हैं, जैसा कि झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर भी कई जगह ऐसी हैं जहां कि बाढ़ आती है, मैं मानता हूँ कि बाढ़ को तो रोका जाना चाहिए और रोके जाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी स्टेट लेवल पर कायम की जा रही है, जिसका कोऑर्डिनेशन भारत सरकार के फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड से होगा। यह मैं निवेदन करूंगा कि यह घोषणा बहुत शीघ्र होने वाली है कि कमेटी के निर्माण की बात सरकार के विचाराधीन है। मैं निवेदन करूंगा कि फ्लड कन्ट्रोल के बारे में जहां तक सवाल है सरकार का, वह बिल्कुल जागरूक है कि इस मीनेस को, इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जाय। इसमें कोई शंका किसी प्रकार की नहीं रखनी चाहिये। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य ने....

अगर आप जल्दी ही छुट्टी चाहते हैं तो मैं जल्दी ही बैठ सकता हूं।

जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कुछ आंकड़े क्वोट करते हुए। उन्होंने यह बताया था कि हम लोग बहुत कम खर्च करते हैं। जहां तक कम खर्च करने की बात है मैं निवेदन कर चुका हूँ कि बड़ी २ और छोटी २ योजनाओं पर हम पब्लिक मनी खर्च करते हैं तो बहुत विचारपूर्वक खर्च करते हैं, क्योंकि यह गवर्नमेंट मनी है जो कि टैक्सपेअर देता है। उसको खर्च करने में सतर्क होना चाहिये और उसी दृष्टि से खर्च करने की भावना हम रखते हैं। आंकड़े जो कोट किये वे गलत मान सकता हूँ। एक किताब बताई है, उसके ६५ पेज पर जो एक करोड़ की बात देखते हैं वह जागीर के संबन्ध में थो। एक करोड़ का घाटा जो बताया है वह मैं मानने को तैयार हूँ। वह इस प्रकार से है। वह बताते हैं कि ८८ पर्सेन्ट खर्च नहीं कर सके, वह बात गलत है। अपनी जानकारी जो है, वह उनके सामने बता देना चाहता हूँ। वह इस प्रकार से है।

जहां ६०–६१ के बजट में भाखरा के लिये रखा था वह ६.५८ है, उसके अगेन्स्ट में ५.१५ और १०५.४२ है उसके अगेन्स्ट में ८१.३५। कुल मिला कर १,१२,००,०००) रु० खर्च हुए हैं। सेन्कशन्ड बजट था उसके अगेन्स्ट में ५६.६२ हुए। चम्बल में १०० लाख रुपये थे और १०२.७० खर्च हुए। राणा प्रताप सागर में १० थे उनके अगेन्स्ट में २४ खर्च हुए। उसके बाद में फर्स्ट प्लान वर्क्स में ३३ थे उनके अगेन्स्ट में ३१ हुए। स्केयर्सिटी में ५५.८७ थे उनके अगेन्स्ट में ३८.७१ खर्च हुए। नये वर्क्स में ६४.११ थे उसके अगेन्स्ट में ५६.६२ खर्च हुए। फ्लड कन्ट्रोल स्कीम्स में जहां १५ लाख थे उसके अगेन्स्ट में ५ लाख खर्च हुए। इसका कारण यह था कि हमारे पास सर्वे वाले नहीं थे। उसके बाद में माइनर इर्रिगेशन में २६ लाख और बाढ़ के लिए ५४ लाख थे, उसके बजाय ४२

(श्री भीखाभाई)

लाख एक्चुअली खर्च हुए। इस प्रकार कुल मिला कर ६८ लाख उस पर खर्च हुए।

इस तरह से इन फीगर्स से यह साबित होता है कि हमने जो खर्च किया है और जो यहां काफी सेविंग बताई गई है वह गलत बात है। यह बात सही है कि सेविंग जरूर हुआ है, लेकिन उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया है जैसे मीडियम और मेजर इर्रिगेशन में सेविंग था उसको हमने माइनर में डाइवर्ट किया। कुल मिला कर हमारे पास जो आंकड़े हैं उनसे साबित होता है कि १२ पर्सेंट का शार्टफॉल है।

डिले के लिए कहा गया तो इसके कारण हैं कि डिपार्टमेंट में सर्वे चलता है। मीडियम और मेजर इर्रिगेशन की स्कीम्स सेन्ट्रल वाटर बोर्ड और प्लानिंग कमीशन से सैंक्शन होती हैं। जो मीडियम स्कीम्स हैं उनको सैंक्शन करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें काफी समय लगता है। जो स्कीम्स मीडियम या मेजर स्कीम्स होती हैं उनके डिटेल्स की स्क्रुटिनी होती है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूं कि माही नदी की योजना है वह लगभग २ साल से चल रही है। उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन गई है, लेकिन उसकी सैंक्शन के लिए वह सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन और प्लानिंग कमीशन को जाती है वह टैक्निकल एडवाइज़री कमेटी की मार्फत जाती है और वहां पर सैंक्शन होने के बाद में आती है। इसलिए यह जरूर दिक्कत है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, सभापति महोदय, माननीय सदस्यों से किसी भी योजना को बनाने में बड़ी सतर्कता से काम करना होता है। यह कोई अस्पताल का काम नहीं है, शिक्षा का स्कूल खोलने का काम नहीं है, यह बड़ा टैक्निकल काम है, बड़ी कठिनाई का काम है। जंगल में जाकर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दवाई कूटने का काम भी नहीं है।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे भाखरा जाकर तो देख आये हैं लेकिन राणा प्रतापसागर भी आयें। मैंने पहले भी निवेदन किया था, वह चम्बल में आयें लेकिन वे आये नहीं। वे आकर देखें तो सही अपनी आंखों से कि किस वेंज को किस तरह से बांध रखा है। राणा प्रतापसागर में, मैं निवेदन करूंगा, चलें और देखें। मैं आमन्त्रित करता रहता हूँ पार्लियामेंट के सदस्यों को और आपको भी किया है कि वहां आकर देखना चाहिए....

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा—सु०) : सभापति महोदय, यह कहें तो चलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That sort of bribery is not going to stop our allegations against you.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Yes, please contiune.

श्री भीखाभाई : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सदस्यों से कि वे देखें खुद—ब—खुद। वे चाहें तो खुद—ब—खुद आयें।

श्री रामतमल पारीक : आप प्रबन्ध करें तो आयें।

श्री भीखाभाई : राज्य सरकार प्रबन्ध करेगी; यदि माननीय सदस्यों का आदेश होगा कि फलां जगह पर जाने की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

जो इन्जीनियर लोग काम करते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घग्घर की बाढ़ आये तब सब को ले जाना चाहिए।

श्री भीखाभाई : उनकी मुसीबतों को आंका जाय और देखा जाय कि हम कठिनाइयों का मुकाबला करके जो काम करते हैं वह कितना कठिन काम है तो उन बातों का सही अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से खर्च करते हैं। जहां तक पब्लिक मनी का सवाल है, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि जहां तक सतर्कता से खर्च करने का सवाल है, यह मैं नहीं कहता हूँ कि हम गलती नहीं करते हैं, वह सतर्कता से करते हैं। गलती भी कहीं होती है, और गलती होना स्वाभाविक भी है। जब तक मनुष्य काम करता है, मनुष्य से ही गलती होती है। कहीं कहीं पर गलती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सतर्कता बरतने का सवाल है, जैसा कि जालोर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि काफी खर्च नहीं हो पाया है, यह बात नहीं है। १२ पर्सेन्ट खर्च नहीं हुआ है। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण यह है कि भाखरा के अन्दर जितना फण्ड खर्च हुआ है वह पंजाब के साथ में है; वह उतना खर्च नहीं हो पाया है।

इसी तरह से खास तौर से माइनर इर्रिगेशन का खर्चा, हम एन्टिसिपेट करते हैं, जैसे घग्घर बांध है, असनावर है, जिसे भीमसागर भी कहते हैं, उन पर खर्च करना चाहते हैं लेकिन कई प्रकार की डिफिकल्टीज़ आ गई हैं जिसके कारण खर्चा नहीं हो पाया। यही कारण है कि १२ पर्सेन्ट क्यों नहीं खर्च पाये।

दूसरे फ्लड कंट्रोल के रुपये थे जिन्हें खर्च करना चाहिये था। लेकिन जैसा कि सूचित कर चुका हूँ कामां के पास से डीग की तरफ जो फ्लड आता है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। उस पर खर्चा भी करना चाहते हैं, लेकिन उस योजना को फाइनेलाइज़ नहीं कर पाने के कारण खर्च नहीं हो सका। यही कारण है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं, पर यह गलत बात है। सरकार हर बात की कोशिश करती है, हर स्टेज पर कोशिश करती है कि स्वीकृत धन–राशि किस प्रकार से खर्च की जाय। आपको मालूम होगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी चिन्तित रहते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान का नक्शा बदला जाय, किस प्रकार से राजस्थान में खुशहाली लाई जाय, किस प्रकार से राजस्थान को लहलहाया जाय। यही बात हर वक्त उनके दिमाग में रहती है, चाहे नेशनल कौंसिल के सामने जाना हो, चाहे प्लानिंग कमीशन की बात हो, वे अपनी पर्सनल तकलीफ सह कर भी वहां बात करते हैं।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक नदी–घाटी योजना का सवाल है, ये बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं वे देश का नक्शा बदलने वाली होती हैं। इनके बारे

(श्री भीखाभाई)

में शक करना देश को पीछे ले जाने वाला होगा। आप चम्बल घाटी योजना को देखें। एक स्टेज को खत्म करके दूसरी स्टेज पर आये हैं। राणा प्रताप सागर बांध को हम पूरा करना चाहते है, खास कर मुख्य मन्त्रीजी चाहते हैं, कोटा डेम को हम इस योजना में लेते तो अच्छा होता, लेकिन सम्भावना नहीं थी। मैं यही कह सकता हूँ कि नदी-घाटी योजना में कई प्रकार से प्रगति हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन कामों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार शिथिलता बरतती है....

श्री धन्नालाल हरित : गांधीसागर का पॉवर कंज्यूम ही नहीं हुआ है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह बांट दिया जायगा।

श्री भीखाभाई : कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों को कुछ ऐसी समस्याएं रखीं उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य आतुर हो रहे हैं, कुछ ऐसा बोलूं जो उनको मीठी लगे। उनको मीठी लगे वैसी ही बात मैं कर रहा हूँ। पार्वती डेम के बारे में योजना है। ठीक है, उस पर विचार कर रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से डीग के बारे में बात कही गई। उस बारे में कोई एक सूटेबल साइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यदि मिल गई तो काम हो जायगा।

बांसवाड़ा से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां अढाई का टैन्क नहीं बना। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके पास अढाई का टैन्क है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि उनके यहां काम ही नहीं हुआ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनके यहां बहुत बड़ा काम हो रहा है। माही की योजना १७ करोड़ की है और उससे ६० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और ४० हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी। बागीडोरा एरिया इतना बड़ा भी नहीं है....

श्री नाथूराम (बागीडोरा-सु०) : माही से १० साल में भी नहर आने वाली नहीं है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी को जानकारी अधिक होनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटी योजना में उनका अढाई तालाब भी बन रहा है। लेकिन वे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अपने घर में ही नहीं हुआ, इसलिये बाहर भी कुछ नहीं होगा, इस प्रकार की बात कटु लगती है। यह इस प्रकार की बात है जैसे गली में काम नहीं हुआ, इसलिये वे समझते हैं कि शहर में भी नहीं हुआ है। कोई आकर कहे कि गली में काम नहीं हुआ इसलिये सारी जगह काम नहीं हुआ। दुनिया बहुत बड़ी है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या क्या काम होना चाहिये, यह उन्हें देखना चाहिये। वे बहुत मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, इसलिये समझना चाहिये कि क्या काम हो रहा है।

Page No.110

(श्री भीखाभाई)

जाखम योजना ऐसी है कि जो आदिवासी हैं वे इसमें दिलचस्पी रखते हैं। यह २। करोड़ रुपये की योजना है और आदिवासी क्षेत्र को लाभान्वित करेगी।

इसी प्रकार को कई योजनाएं हैं। मीडियम योजनाएं भी राजस्थान में चल रही हैं, जैसे ओडन, वल्लभनगर, छोटा वल्लभनगर में मीडियम साइज़ योजनाओं से नक्शा बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में पानी को रोकने की चेष्टा की जा रही है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके ज़रिये माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका सहयोग रहे और घबरावें नहीं। वे आकर देखें चार पांच साल में क्या होता है? उसके बाद इच्छा हो तो यहां बैठ कर काम कर सकते हैं, हमको इसकी चिन्ता नहीं है।

सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं राजस्थान नहर के बारे में। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान नहर योजना जब से स्वीकृत हुई है उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रावधान रखते हैं उसको खर्च करना चाहिये। जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया है वहां अलग चीफ इंजीनियर भी कायम किया है, अर्थ बल तेजी से हो रहा है, मशीनरी चल रही है। उन्होंने एक बात यह कही कि इसका नक्शा नहीं है, इसकी योजना नहीं बनी है। मैं निवेदन करूं कि इसका नक्शा बन चुका है, मास्टर प्लान बन चुका है, उसको अभी तक फाइनल शेप नहीं दी गई है, लेकिन और बातें हो गई हैं। जो एप्रूवल होना चाहिये वह फाइनेलाइज़ नहीं हुआ है, यह ठीक है। लेकिन यह इतनी बड़ी योजना है, जो केवल हिन्दुस्तान की ही बड़ी योजना नहीं है बल्कि विश्व की बड़ी योजनाओं में से है। इसमें कुल मिला कर ढाई अरब रुपये खर्च हो सकते हैं। इतनी बड़ी योजना है। इसलिये ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों नई चीजें आयेंगी। राजस्थान नहर के बारे में माननीय सदस्य के दिमाग में शक था किन्तु ऐसी बात नहीं है। वे समझते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं........

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इस बारे में जो अधिकृत मंत्री महोदय हैं उनको बोलने दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सभापति : The Cabinet functions on the principle of collective responsibility.

श्री चन्दनमल वैद : The Minister concerned is sitting. I think he should have the option.

श्री सभापति : Any Minister can reply on behalf of the Government.

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करूं कि यह संयुक्त जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी आदमी बोल सकता है। यदि होम मिनिस्टर साहब बोलें, मैं नहीं होऊं तो बोल सकते हैं। इसलिये दिक्कत नहीं है कि कौन कैसे बोले। यह तो एक है अंग का काम है रक्त संचार करना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। राजस्थान नहर के बारे में कोई शंका का सवाल नहीं है।

(श्री भीखाभाई)

एक सवाल यह किया गया कि पोंग डेम बन रहा है उसमें बहुत समय लगेगा। जहां तक नॉन–पेरेनियल सप्लाई का सवाल है, वह मिलेगी। लेकिन सन् ७३ में मिलने की बात नहीं है। यदि १९७० में पोंग डेम कम्पलीट हो जाता है तो उसके बाद उसका सवाल आये, पेरेनियल सप्लाई का सवाल आ सकेगा। आज तो नॉन–पेरेनियल सप्लाई का सवाल उटता है, कल पानी आये तो पानी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान नहर की बात है, मैंने स्थिति साफ कर दी है। इसलिए अब इस बारे में माननीय सदस्यों को चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने घग्घर के बारे में चिन्ता प्रगट की। मैंने निवेदन कर दिया है, उसके बाद उनको घग्घर की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन सहयोग इस बात का जरूर देना चाहिए कि वे सुझाव दें कि क्या होना चाहिए। जहां कलेक्टर और दूसरे अधिकारी बैठ कर अपनी राय जाहिर करते हैं वहां उनको भी राय जाहिर करने का अधिकार है।

सभापति महोदय, अब इस सम्बन्ध में मुझे सदन का अत्यधिक समय नहीं लेना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कटौती के प्रस्ताव

एक माननीय सदस्य : गोवटा का रह गया।

श्री भीखाभाई : गोवटा को मैंने स्वयं ने देखा है। वहां पर मैंने देखा कि ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जिनसे मालूम होता है कि पुराना बांध है। अब इसको रेज़ किया जाय, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यह खतरनाक हो जायगा। दूसरे, जो एरिया आता है वह ऐसा जरूर है। उन्होंने कहा कि लैफ्ट केनाल का एक्सटेन्शन कर दें। उसमें यह सवाल पैदा होता है कि अगर उसको कर दिया जाय तो एक बात पैदा होती है कि राइट केनाल है, उसका क्या होगा। फिर सरकार इस पर खर्च क्यों करे, यह विचारने जैसा प्रश्न है। इसके साथ ही मैंने कहा कि उसकी सर्वे कराई जा रही है, यह औराई उसमें नहीं होता है तो further investigatons will be done. यह औराई कमान्ड में नहीं आता है तो उसको काम में लाया जायगा, इस बात का एश्योरेन्स देता हूं, उसके बारे में सोचेंगे कि क्या हो सकता है।

इसलिए अब मैं समझता हूं कि ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे वापिस ले लें और इस मांग को स्वीकार करें।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर): आपको धन्यवाद देने के साथ वापिस ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मंत्री महोदय भी थोड़ी रोशनी डाल दें।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर): मुझे चिढ़ा रहे हैं, बीकानेर वाले नहीं बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई बात कहने की नहीं होगी, सारी बातें आ गई हैं।

श्री सभापति : I think the Hon'ble Minister has nothing more to add to what has already been stated.

जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं, वे कृपया खड़े हो जायं ।

(सर्व श्री बहादुरसिंह, पी० के० चौधरी, सम्पतराज जैन, जुगलकिशोर चतुर्वेदी, रामचन्द्र, गणपतिलाल वर्मा, नाथूलाल करोल, रावतमल पारीक, देवीलाल अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए)

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): हाउस में वेक्यूम हो गया है ।

(विराम)

No Vacewm, Sir.

(विराम)

वेक्यूम है हाउस में, सर ।

(विराम)

हाउस में शून्य हो गया ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव, डॉक्टर बहादुरसिंह, श्री चन्दनमल वैद, श्री पी० के० चौधरी, श्री गणपतिलाल वर्मा, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री रामचन्द्र, श्री नाथूलाल करोल, श्री रावतमल पारीक, श्री देवीलाल व श्री सम्पतराज जैन ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of Order, Sir, Mr. Chandan Mal Baid did not stand to withdraw his motion.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक बात और है, मोशन मूव नहीं किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो बात दूसरी है ।

श्री सभापति : He did not move it.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : दूसरी बात यह है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then what is there to be withdrawn ?

श्री सभापति : All the rest, besides him.

श्री तनसिंह : दूसरी बात यह है, माननीय सभापति महोदय, इनमें से तीन कटौती प्रस्तावों की इजाजत देना चाहें और पांच की नहीं देना चाहें तो क्या होगा ?

श्री सभापति : जो जिनके लेना चाहें, वे कर सकेंगे ।

श्री तनसिंह : वोट कैसे देंगे ?

श्री सभापति : दुबारा वोट होगा ।

श्री तनसिंह : कटौती प्रस्ताव हैं दस; उनमें से दो के लिए 'हां' भरते हैं और आठ के लिए 'ना' करते हैं। तो 'हां' कहेंगेया 'ना' कहेंगे ?

श्री सभापति : No, no. आपके लिए प्रश्न अलग से रखा जायगा। जो सारे कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें उनके लिए पूछ रहा हूँ।

श्री तनसिंह : वापिस लेने के लिए अनुमति चाहिए, 'हां' या 'ना' कहना पड़ेगा। आप एक साथ क्वेश्चन रख रहे हैं, इसमें तीन के लिए 'हां' भरें और बाकी के लिए 'ना' कहें तो क्या होगा ?

श्री सभापति : मैं केवल उन माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूँ जो अपने सारे कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं, वे कृपया खड़े हो जायं। मेरे ख्याल से जो माननीय सदस्य खड़े हुए, वे माननीय सदस्य....

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह तरीका नही है। इन्डीविजुअली पूछे जायं और रखे जायं।

श्री तनसिंह : वे तैयार हों, हम तैयार नहीं हों, ऐसा हो सकता है।

श्री सभापति : Well, if the House so desires, we can take up indvidually.

श्री तनसिंह : वह कायदा....

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि नम्बर एक व पांच पर के कटौती प्रस्ताव जो डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं, उनको वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर....

(विराम)

Not prepared ?

(श्री माथुर द्वारा असहमति प्रदर्शन)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव नम्बर २ व ३ अस्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रामनारायण वर्मा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर ६....शायद यह मूव नहीं किया है।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर ७ श्री नाथूलाल करोल ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री तनसिंह....आप कुछ विड्रॉ कर रहे हैं ?

श्री तनसिंह : नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री तनसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव नम्बर ८ अस्वीकार किया गया।

श्री मोगजी भाई........मूव नहीं किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर १० व ११ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव नम्बर १० व ११ अस्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw it.

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखे हैं उन्हें वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): I withdraw my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने रखे हैं वे स्वीकार किये जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री गोकुलचन्द।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर १६ श्री गोकुलचन्द ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव नम्बर १७ श्रीमती गंगादेवी डाटा ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव नम्बर १७ अस्वीकार किया गया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): वह विथ्ड्रॉ करना चाहती हैं।

श्री सभापति : It has been voted out now. She did not stand up in time.

श्री चन्दनमल वद (सरदारशहर): खड़ी हुई थीं, साहब।

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ़) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव नम्बर १८ जो श्री गणपतिलाल वर्मा ने रखा है उसको वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की अनुमति दी गई।

श्री गणपतिलाल वर्मा : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : बहुत जल्दबाजी में यह हुआ है।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): मैं वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : That is right. Shri Ramchandra.

(विराम)

प्रश्न यह है........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): वे वापिस ले रहे हैं।

श्री रामचन्द्र (डग—सु०) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रामचन्द्र ने रखा है उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनको प्रस्ताव वापिस लेने दीजिये।

श्री सभापति : पहले सदन की अनुमति लेना आवश्यक है इसलिये मैं हाउस के सामने प्रश्न रखता हूँ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रामचन्द्र ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.): सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव नं० २४ और २६ श्री नाथूराम ने पेश किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : श्री रावतमल पारीक ! प्रश्न यह है कि....

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री रावतमल पारीक ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रावतमल पारीक (नोखा): मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री देवीलाल (सारदा-सु.): मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री देवीलाल ने जो कटौती प्रस्ताव नम्बर २७ और २८ पेश किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु.) : मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री सम्पतराज जैन को उनके कटौती प्रस्ताव नं० ३० और ३१ वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई !

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक), ८० का—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,६८,५४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन को बाद में लेने सम्बन्धी वादविवाद

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, आज कई कट मोशन्स प्रस्तुत किये गये हैं, समय भी थोड़ा ही रहा है ।

श्री रामकिशोर व्यास: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या....

श्री सभापति : One at a time please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय; आज जो मांग पेश की जा रही है उस पर बहुत से कटौती प्रस्ताव आज सेक्रेटेरियेट में दिये हैं । वे अभी सर्कुलेट नहीं हुए हैं रात को सर्कुलेट होंगे । दो डिमान्डस आज पास कर चुके हैं तो इस मांग को कल सुबह लिया जाय ।

श्री सभापति : अच्छा हो कि जो कटौती प्रस्ताव सर्कुलेट कर दिये गये हैं उन पर बोलने का समय आपको मिल सकता है । अभी तो मांग इन्ट्रोड्यूस की जायगी; तो जो ऑलरेडी सर्कुलेट हो गये हैं उन पर तो बहस शुरू कर दी जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जितने कटौती प्रस्ताव होते हैं वे मूव्ड समझे जाते हैं; तो जो कटौती प्रस्ताव आज दिये हैं रात को सर्कुलेट होंगे, वे कैसे मूव्ड समझे जायेंगे ?

श्री सभापति : But I think the Hon'ble member can possibly has no objection to the discussion of those cut motions which have already been circulated to the Hon'ble members. There are cut motions which have been circulated.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : Supposing I have given notice for 3 cut motions. One of them has been, circulated and others have not. Then will I be given a chance to speak on two cut motions to-morrow ?

डॉ० बहादुरसिंह : बहुत से कट मोशन बाद में दिये जाते हैं, उनको सर्कुलेट नहीं किया गया है इसलिये इस मांग. को कल ही लिया जाय ।

श्री सभापति : I am informed that all the cut motions, which had heen given due notice of, have been circulated and I think the information given by the Secretariat has to be relied upon.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर दूं, मैंने आज ४ कटौती प्रस्ताव दिये हैं वे रात में सर्कुलेट होंगे तो वे कैसे 'एज मूव्ड' कन्सीडर किये जायेंगे । तो मैं निवेदन करूंगा कि केवल १५ मिनिट का समय रहा है । इसे कल ही लिया जाय ।

श्री सभापति : At what time did you file them ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अभी थोड़ी देर पहले कट मोशन्स दिये हैं, क्योंकि यह था कि यह डिमान्ड कल आने वाली है । तो अब जो कट मोशन्स दिये हैं वे रात को सर्कुलेट होंगे....

श्री सभापति : Discussion will not be completed today. The Hon'ble members will have a chance of speaking on their cut motions to-morrow.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने एक कटौती प्रस्ताव आज दिया है । इनके पहले कटौती प्रस्ताव पर तो आज बोल लेंगे पर इनको क्या कल फिर इनके दूसरे कट मोशन पर बोलने का अवसर दिया जायेगा ? आज जो इन्होंने कट मोशन दिया है वह अभी सर्कुलेट नहीं हुआ है ।

श्री सभापति : These are all hypothetical questions. As and when they crop up before us they will be decided. Now the Hon'ble Minister is permitted to move his demand.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of Order Sir.

श्री रामकिशोर व्यास : ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४५,१५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : After the moment I have raised a point of order, anything spoken by the Hon'ble Minister should be deleted from the proceedings. Once a point of order s raised every member is supposed to sit down.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

I draw your attention to Rule 147......

श्री सभापति : I would like to know what tho Hon'ble member has to say about rule 143.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rule 143:—"The demands for grants shall be arranged in such order as the Leader of the House may, after the advice of Public Accounts Committee has been taken into consideration, determine."

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : उलझन में क्यों पड़े हैं, कल चलेगी ही ?

श्री सतीशचन्द्र : आप इतनी सी बात क्यों नहीं मानते ?

श्री रामकिशोर व्यास : कल नहीं चले, ऐसी बात नहीं है, कल चलेगी ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: I was referring to Rule 143. इसके अनुसार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी द्वारा राय दी गई थी उसके बाद सदन के नेता ने कन्सल्टेशन से ऑर्डर फिक्स अप किया था उसके अनुसार सर्कुलर इश्यू किया गया। उसके अनुसार पी. ए. सी. की मीटिंग हुए बगैर यह आज नहीं हो सकती। पी. ए. सी. के कन्सल्टेशन के साथ सदन के नेता इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं, इसके बिना इसमें रद्दोबदल नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : For the information of the Hon'ble Members as well as the House, I have to say that the Public Accounts Committee only tenders the advice regarding the order in which the various demands will be taken up by the House and that order is being adhered to very strictly. But it is a decision of the Business Advisory Committee that if a particular demand is completed on a day, then after completion of one demand second demand can be taken. This Ruling was also given by the Hon'ble Dy. Speaker yesterday. So there is nothing in the rules to prevent further demand being taken up.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On another point of order. I draw your attention to Rule 144:- "The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, allot so many days as may be compatible with the public interest for the discussion and voting of demands for grants."

तो सभापति महोदय, मैं इस रूल के द्वारा आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने सदन के नेता से डेज़ निश्चित किये हैं, उसके अनुसार पत्र हमें दिये गये हैं, इसके अनुसार भी यह डिमान्ड आज नहीं ली जा सकती।

श्री सभापति : I will draw the attention of the Hon'ble member to the decision of the Business Advisory Committee. This is clause 3:-

(श्री सभापति)

"दिनांक १६, १७, २०, २१, २२, २३, २४, २७ एवं २८ मार्च, १९६१ को अनुदानों की मांगों पर मतदान—प्रतिदिन एक ही मांग पर विचार किया जाकर उस पर मतदान होगा किन्तु यदि समय रहा तो अन्य मांगें भी ली जा सकेंगी ।"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर !

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): पहले दिन की डिमान्ड रख रहे थे तो........

श्री सभापति : I think I have given my decision in clear and unambiguous words and it is not open to further discussion. Shri Jagdish Prasad Mathur may please move his cut motion if he so desires.

मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २७-प्रशासन

Motion mored.

(इस मांग पर निम्नांकित कटौती प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ—

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

(१) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने पर विचार करने हेतु) ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): On a point of order Sir, I want to draw your attention to rule 148:- "If notice of a motion to reduce any demand for grant has not been given one day previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object to the moving of the motion, and such objection shall prevail..."

श्री सभापति : Will you also read the later portion of it, "...unless the Speaker allows the motion to be made."

श्री तनसिंह : That discretion is of course there, but that discretion has to be exercised judicially.

मेरा यह निवेदन करना है कि हमारे पास ये नोटिस ।

श्री सभापति : Well, in the exercise of the judicious discretion, I have given the permission and the House will now proceed with the discussion of the cut motion.

श्री तनसिंह : वह तो आपका डिस्क्रिशन है ।....

श्री सभापति : Shri Jagdish prasad Mathur to move his cut motion please.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन—न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने पर विचार करने हेतु) पर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ । हमारी डेमोक्रेसी में कुछ डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं । उनके अन्तर्गत इस प्रकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के राज्य सरकारों को आदेश हैं कि वे उन डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स पर अमल करें। लेकिन दुःख की बात यह है कि सारे देश में जहां जहां राज्य सरकारें हैं उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया है और हमारी राजस्थान सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कदम अभी तक नहीं उठाया है। इसका एक कारण है कि हमारे न्याय मन्त्री हैं उनके पास इतना अधिक काम है और इतने अधिक डिपार्टमेंटस हैं कि वे इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाये हैं। वे पुलिस और न्याय विभाग दोनों के मन्त्री हैं। जब वे न्याय और पुलिस के मन्त्री हैं तो वे कभी भी यह नहीं कहेंगे कि उनके पास से एक पोर्ट फोलियो अलग कर दिया जावे। हमारे पुलिस मन्त्री के पहले भी बहुत अधिक काम था और फिर उनके पास उसके अलावा और भी अधिक विभाग आ गये। जितने अधिक विभाग आपके पास आये उसी का यह परिणाम हुआ कि यह जो समस्या है उसकी तरफ शायद वे ध्यान नहीं दे सके और अगर ये विभाग इनके पास नहीं आते तो शायद इस पर जल्दी ध्यान दे सकते थे। अगर ये सारे के सारे विभाग इनसे अलग कर दिये जावें तो शायद वे इस ओर ध्यान दे सकते हैं। इन विभागों में ज्यादा काम के कारण वे इस ओर अपना ध्यान नहीं दे पाये। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि राजस्थान हाई कोर्ट के बापनाजी जज थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण इस कार्य के लिये किया गया था।

एक माननीय सदस्य : वे अकेले ही थे क्या ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): तीन थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उन्होंने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट बनाई वह रिपोर्ट भी सरकार के पास आई हुई है और बहुत दिनों से पड़ी है।

श्री चन्दनमल वैद : केवल डेढ़ साल हुआ है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वह रिपोर्ट सरकार के पास आई। उसके बाद सरकार की ओर से क्या किया गया है, इसके सम्बन्ध में अभी तक सदन को कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई व्यवहारिक रूप में इस रिपोर्ट की सिफारिश को अमल में लाने की कार्यवाही की गई हो ऐसा दिखाई नहीं देता। इससे इस प्रकार की शंका होती है कि सरकार उक्त विषय में किसी प्रकार की कार्यवाही करने वाली नहीं है। समझ में नहीं आता कि सरकार एग्ज़िक्युटिव को जुडिशियरी से अलग करना क्यों नहीं चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय, हमने पंचायतों में अभी देखा है कि पहले पंचायतों में प्रशासन और न्याय व विकास के कार्य होते थे और पंचायतों के पास ही थे और जब पंचायतों के पास ये तीनों काम थे तो सदन में और सदन के बाहर भी भिन्न भिन्न विषय को लेकर इसकी आलोचना की गई और यह राय आखिर में रही कि ये दोनों काम पंचायतों के पास एक साथ नहीं होने चाहिये। तो दोनों काम पंचायतों से हटा दिये जाने का तय किया। इसके बाद प्रान्त में न्याय पंचायतें और विकास पंचायतें अलग अलग बनीं। मगर पंचायतें सिविल और क्रिमिनल दोनों काम करती

Page No.122

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हैं। लेकिन जहां तक अपील का सवाल है हमने सिविल को अपील मुन्सिफ के पास और क्रिमिनल की अपील मजिस्ट्रेट के पास करने का प्रावधान किया है। लेकिन इसके ऊपर जा कर देखते हैं तो वे अधिकार एक ही को दिये हुए दिखाई देते हैं।

जहां तक जुडिशियल अधिकारों का सम्बन्ध है कुछ अधिकार हमने सेशन्स जज को दिये हैं।

हमने जो मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को अधिकार दिये हैं उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाई आती है। उन्हें तीन दिन तो सप्ताह में जैसा वे कहते हैं कि टूर पर जावेंगे और तीन दिन न्याय का काम करेंगे। तीन दिनों में ऐसे दिन भी आते हैं कि कोई न कोई माननीय मंत्री उस जिले में अवश्य जाते हैं। इससे जिस दिन काम करना होता है उस दिन यदि मिनिस्टर आ जाते हैं तो अदालत के सारे के सारे मामले यों ही पड़े रहते हैं और मजिस्ट्रेट महोदय मंत्री महोदय की सेवा में पहुंच जाते हैं। उस रोज यह होता है कि जो लोग मुकदमे की पेशी पर आये हुए होते हैं सारे दिन–११ बजे से ५ बजे तक–अदालत में माननीय मजिस्ट्रेट की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उधर मजिस्ट्रेट साहब माननीय मन्त्री की सेवा में चले जाते हैं। यह एक दिन नहीं होता है। सभापति महोदय, एक महीने में हम देखते हैं कि जिसमें कोई न कोई माननीय मंत्री वहां आ जाते हैं।

(विराम)

क्या मैं जारी रखूं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कोई भी टाइम लिमिट नहीं किया गया है।

श्री सभापति : We have got only one cut motion. It is expected that he will conclude it before the time for to day is over.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : Policy of time limit has not been laid down.

श्री सभापति : Right, you may continue.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यह निश्चित नहीं किया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद : यह जो नागरिकों को कठिनाई आती है वह इस प्रकार की है कि महीने में जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक जिले में एक एक मंत्री महोदय वहां जाते हैं और एस. डी. ओ. अदालत में काम करने के बजाय माननीय मन्त्री महोदय की सेवा में चले जाते हैं। इससे उनका वह दिन जो काम करने का होता है चला जाता है। इस कारण से हम देखते हैं कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट के पास बहुत सी फाइलें इकट्ठी होकर पड़ी रहती हैं और काम दिनों दिन बढ़ता ही जाता है और मुकदमों का फैसला नहीं होता है और जो लोग अदालत में आते हैं वे दिन भर वहां बैठे रहते हैं। कई इस प्रकार के मामले देखे जाते हैं। बहुत से लोग गवाहों को लेकर आते हैं, एक एक फरियादी लगभग ८ या १० गवाही लेकर आते हैं उस रोज उनकी गवाही नहीं हो पाती और इस कारण से गवाहियों के आने–जाने का और खाने के

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लिये जो खर्चा लगता है वह फालतू जाता है और समय बर्बाद होता है । इस प्रकार उनका काफी खर्चा होने के बाद भी गवाही नहीं ली जाती है और पांच-पांच छः छः पेशियें बदल जाती हैं । कभी अदालत के पास समय नहीं होता तो कभी वकील लोग एडजोर्नमेंट ले लेते हैं, तो कभी कभी इस प्रान्त की शांतिमय व्यवस्था नहीं होने से कई झगड़े आ जाते हैं । इसलिये मुकदमों की सुनवाई की तारीख मुकर्रर करते हैं उसमें कई दिन लग जाते हैं और आखिर कोई दिन निश्चित नहीं कहा जा सकता जिस रोज गवाही ले ली जायगी, जब उनकी मर्जी होती है तब गवाहान लिये जाते हैं ।

दूसरा प्रश्न खर्चे का है....

एक माननीय सदस्य : The time is up, Sir.

श्री सभापति : The House stands adjourned till 11 A. M. to-mrrow.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे बुधवार दिनांक २२ मार्च, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २१ मार्च, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३९२३

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की अपेक्षा ।

आदिम जन-जाति एवं अनुसूचित जातियों की आर्थिक उन्नति हेतु योजनायें ।

पाली तहसील में चकबन्दी की रकम में कमी की अपेक्षा ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू कार्य करवानेवाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

सेवाडी से सायरा तक व एरिनपुरा रोड से बाली तक सड़क का निर्माण ।

सर्वोदय गोकुल कॉलोनी, जयपुर के नाम पर काश्त हेतु आवंटित भूमि पर रिहायशी मकानों का निर्माण ।

जन सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अध्यापकों की नियुक्ति में विलम्ब ।

स्कम्भ

तहसील दौसा में निर्मित होनेवाली सड़कें ।

पाली जिले के समाज कल्याण केन्द्र ।

अमीनों को सर्वेयर्स के समान ही ग्रेड दिलाना ।

महिला विद्यापीठ तथा गर्ल्स कॉलेज में गृह विज्ञान विषय का अध्ययन ।

बाडमेर-सांचोर सड़क की मरम्मत तथा निर्देशक सूचना पट्टों को सुधारना ।

हायर सेकन्डरी स्कूल्स में संस्कृत के ऐच्छिक विषय का अभाव ।

रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन अपीलें, निगरानियां तथा नजरसानियां ।

तृतीय योजना हेतु जिला सिरोही में लघु उद्योगों हेतु प्रस्ताव ।

विदेशी सहायता से प्रान्त में खोले जानेवाले कारखाने ।

भाभियों से बिना मुआवजा दिये काम लिया जाना ।

स्कम्भ

कन्डेन्स्ड कोर्स में प्रशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं को नौकरी की व्यवस्था।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, बांदीकुई में दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण।

भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण हेतु अधिनियम की क्रियान्विति।

विजयनगर व गुलाबपुरा के बीच की मेहराबदार नालियां एवं सड़क का निर्माण।

सिरोही के पुल में वाहनों की कमी।

किशनगढ़—रेनवाल हाई स्कूल।

उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, जवाजा के लिये छात्रावास।

पंचायत समिति, चाकसू क्षेत्रान्तर्गत हुए अग्निकाण्ड।

जिला उद्योग अधिकारियों के पद पर हुई नियुक्तियां।

स्कम्भ

आय-व्ययक, १९६१-६२
द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान ३९८५

(१) मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक (१७)-सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक) कार्यवाहक व्यय

१७-सिंचाई निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) पर व्याज

१८-अन्य राजस्व व्यय जिनके लिये साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है

१८-सिंचन, (संयुक्त) स्थापना, औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय ४०६३

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा ७ और कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सिंचाई मन्त्री के उत्तर के पश्चात् २० कटौती-प्रस्ताव वापस लिये गये एवं शेष अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

Page No.126

स्कम्भ

(२) मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), ८०-का-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत ४०७२

उपरोक्त मांग श्री भीखाभाई, सिंचाई मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर २५ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सिंचाई मन्त्री के उत्तर के पश्चात् १४ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये एवं शेष अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

स्कम्भ

(३) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन ४१५५

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई।

आज इस मांग पर एक कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे बुधवार, दिनांक २२ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक २२ मार्च, १९६१ की कार्य सूची

मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन पर अग्रेतर विचार–विमर्श।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ का उत्तर देखिये)

MINUTES OF A MEETING OF THE EXAMINATION REFORMS COMMITTEE HELD ON FRIDAY THE 29th JULY, 1960 AT 11. 30 A. M. IN THE OFEICE OF THE UNIVERSITY AT JAIPUR

PRESENT

Shri Bhim Sen

Dr. R. M. Kasliwal

Prof. M. V. Mathur

Shri V. V. John.

Shri P. L. Shrimali

Shri G. S. Jaiman.

1. The Committee considered letter No. D. 3538/F. 21 (7) Edu/B/60 dated the 9th May, 1960, from the Secretary to the Government. Education Department, Rajasthan, Jaipur regarding allowing the students of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes to take examinations of this University as private candidates, as per resolution passed in the meeting of the State Welfare Board.

The proposal was discussed but failed to receive support of the Committee.

2. With reference to resolution No. 10 of the Syndicate held on 10th May, 1960, the Committee considered the question of allowing admission to teachers, librarians, library clerks, inspecting officers, women and in service candidates to the Three Year Degree Course of this University.

The Committee recommended that the admission to teachers, librarians, library clerks, inspecting officers, women and in service candidates of affiliated institutions only be allowed in the Three Year Degree Examinations also according to the rules at present followed for the Degree Examinations of the University.

The Committee recommended that the evening classes run for in-service candidates should be open to all and not only to those who are employed in particular vocations as is the practice at present.

3. The Committee considered the monograph entitled 'Examinations in Indian Higher Education' together with suggestions and comments received on it and made the following recommendations :—

(a) The Board of studies of the University be asked to formulate course objectives and define them in terms of student behaviour. Before this is done the Syllabi and question papers of this and other Universities may be made available.

(b) An Evaluation unit be set up in the University to collect the necessary material and examine all matters regarding reforms in the examination system. Besides doing the routine work of test administration, scoring and publication and analysis of results such a unit will also be able to attend to test development, statistical analysis and research and evaluation problems. This may consist of a Director of Testing, a Paschometrician and some clerical and statistical staff.

(c) In the examinations conducted by the University as a first step 20% of the marks be reserved for sessional work and 80% for the written papers. It should be compulsory for every candidate to pass separately in the sessional and written papers and also in the aggregate. The marks given by the teachers should be generally entered as they are received, with the University reserving the right to revise them, if necessary.

(d) The University will take necessary steps to supervise the award of sessional marks by the teachers in various colleges.

(e) The Board of studies will prepare detailed instructions regarding nature of tests, quantity of work etc. to be done in each term by each class.

(f) A student should ordinarily get pass marks in sessionals, if he has done all the prescribed work for the session.

M. A. EXAMINATIONS.

(g) Each script at the post-graduate examinations should be assessed by two examiners-one internal and one external-and the average of the

two scores be taken as a measure of achievement provided the difference in the assessment by the two examiners is not more than 10%. In cases where the difference is greater, a new set of examiners be appointed for re-assessment.

(h) A candidate appearing at the M. A. Examination may be permitted to withdraw from the examination if he applies to the Superintendent of the centre, of his desire to do so within an hour of the close of the last paper of the examination.

T. D. C. EXAMINATIONS

(a) There should be no University examination at the end of the 1 year of the T. D. C. course. Instead sessional marks out of 40 be given to the candidates by the teachers in each subject and sent to the University for record in tabulation sheets.

(b) At the end ot the 11 year candidates should be examined in all compulsory subjects. Sessional marks out of 30 in each subject shall also be given and recorded in the tabulation sheets.

(c) The candidates will be examined in compulsory subjects at the end of the third year. Sessional marks out of 30 in the compulsory subjects only will be given to the candidates and recorded to their credit.

(d) The result will be declared on the basis of marks obtained by a candidate at the three sessional and two University Examinations.

(e) If a candidate fails in a compulsory subject or subjects at the University examination at the end of the second year, the candidate may be allowed to sit in the III year class and take the II year examination in the subject or subjects in which he failed, alongwith the final III year examination, and if he passes he will be given a 'pass Degree' without assigning him a division to which he will be entitled only if he reappears and passes in all the compulsory subjects over again.

The committee adjourned at 5 P. M. to meet again at Ajmer or Udaipur to finish the rest of its work.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ का उत्तर देखिये)

तहसील पाली के ग्रामों की सूची जिन्हें भूमि एकीकरण योजना के अन्तर्गत लिया जा चुका है

क्रम संख्या १	नाम ग्राम २
१.	आहेचिया
२.	बालेलाव
३.	मंडली खुर्द
४.	आकेली
५.	मंडिया
६.	कांदड़ा
७.	रूपावास
८.	गुरड़ाई
९.	अरटिया
१०.	भाकरीवाला
११.	निम्बली
१२.	दुदिया
१३.	झीतड़ा
१४.	माडपुरिया
१५.	खारडा
१६.	चौटिला
१७.	बीठू

१	२
१८.	मोरिया
१९.	लालकी
२०.	भूरियासणी
२१.	सांवलताखुर्द
२२.	कलाली
२३.	दानवासनी
२४.	भालेलाव
२५.	दुवली
२६.	साली
२७.	डूंगरपुरा
२८.	खाएडी
२९.	केरला
३०.	हीरावास
३१.	धर्मद्वारी
३२.	सांझी
३३.	दूबली
३४.	दयालपुरा
३५.	बीजा
३६.	वायद
३७.	तीगरा उर्फ रामपुरा
३८.	मालवा
३९.	चेन्डा

१	२
४०.	पादरला
४१.	साकदडा
४२.	सुन्देलाव
४३.	राणा
४४.	सोनईमाजी
४५.	गोदावास
४६.	आटण
४७.	गरवलिया
४८.	उन्दरा
४९.	रेवड़ाखुर्द
५०.	निम्बली ब्राह्मणांन
५१.	गेलावास
५२.	जुवीएन्दला
५३.	हंजावा
५४.	कुरडी चारणांन
५५.	खेतावास
५६.	डरी
५७.	देवान

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३८ का उत्तर देखिये)

LIST OF BUILDINGS AND ROADS CONSTRUCTED DURING 1957-1960 IN DAUSA AND SIKRAI TEHSILS.

Tehsil Dausa:

Buildings :—

1. Construction of Sanskrit Pathshala, Dausa.
2. Addition of 2 rooms in Government Inter College, Dausa.
3. Addition of 2 rooms in High School, Bhandarej.
4. Construction of Tehsil Seed Store at padasoli (Dausa).

Roads :—

1. Bitumen treatment of road from Dausa to Sawai Madhopur Via Lalsot.
2. Metalling road linking Dausa Town from Sawai Madhopur Dausa.
3. Metalling road from Bhandarej to Lalsar via Ranoli.
4. Construction of approach road to Bhandarej.

Tehsil Sikrai:

Buildings :—

1. Construction of Treasury Building at Sikrai.
2. Construction of S. D. O. Office Building at Sikrai.
3. Construction of Extension Officer Quarters at Sikrai.
4. Construction of Class IV servants Quarters at Sikrai.
5. Construction of B. D. O. Quarter at Sikrai.

6. Addition of rooms at High School, Geejgarh.

Roads

1. Construction of Manpur approach road.
2. Metalling road from Sikandra to Gudha via Geejgarh.
3. Improvemnt of Dausa agota Road.
4. Construction of approach road to Sainthal.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ का उत्तर देखिये)

सूची नुकसान अग्नि काण्ड जो पंचायत समिति, चाकसू में सन् १६६० से आज तक हुआ

क्रम सं० १	गांव का नाम २	पंचायत का नाम ३	नुकसान जो हुआ ४
१.	गोडकावास	रुपायहेडीकलां	२,३७६)
२.	विनोदीलालपुरा	तोतरिया	६,०००)
३.	छादेल	छादेल	३६०)
४.	रामनिवास	,,	२,८६५)
५.	ब्रजपुरा	महादेवपुरा	७६५)
६.	बरखेड़ा	काटावाला	१,६५३)
७.	मादीपुरा	तामड़ी	१,०१६)
८.	टीकरिया मीणान	टीकरिया मीणान	१,०४५)
९.	रामनगर	कोटखावदा	२,८६०)
१०.	कादेड़ा	कादेड़ा	७,२४६)
११.	मकसूदनपुरा	मकसूदनपुरा	५२५)
१२.	शिवदासपुरा	शिवदासपुरा	३,८२६)
१३.	निमोड़िया	निमोड़िया	६,२५३)
१४.	माधोसिंहपुरा	माधोसिंहपुरा	५००)
		योग	३७,३२३

क्रम सं०	नाम प्रार्थी	नाम गांव	रकम जो सहायतार्थ दी गई
१	२	३	४
१.	श्री हरसहाय	गोडकावास	८०)
२.	,, रामनाथ	,,	६०)
३.	,, केसरा	विनोदीलालपुरा	५०)
४.	,, लूणा	,,	५०)
५.	,, जगन्नाथ	,,	५०)
६.	,, भूरा	,,	५०)
७.	,, गुलाबसिंह	कंवरपुरा	५०)
८.	,, रामचन्द्र	छादेल	५०)
९.	,, भोरिया	,,	५०)
१०.	,, भादरसिंह	ब्रजपुरा	१००)
११.	,, गोपाल	बरखेड़ा	११०)
१२.	,, जगन्नाथ	,,	११०)
१३.	,, गोगा	,,	११०)
१४.	,, नानगा	,,	११०)
१५.	,, कल्ला	मादीपुरा	७०)
१६.	,, मोडू	,,	१०)
१७.	,, सुक्खा	ठीकरीया मीणांन	१००)
१८.	,, रामचन्द्र	छादेल	१००)

१	२	३	४
१६.	श्री मौंरिया	रामनगर	३०)
२०.	,, कल्यान	,,	३०)
२१.	,, मन्ना	,,	३०)
२२.	,, छीतर	,,	३०)
२३.	,,भागीरथ	,,	३०)
२४.	,, गोविन्दा	कादेड़ा	१५०)
२५.	,, नानगा	,,	२०)
२६.	,, भैंरू	,,	१२०)
२७.	,, मगनसिंह	,,	१५०)
२८.	,, रेवतसिंह	,,	११०)
२६.	,, जीवन	,,	११०)
३०.	,, रामदत्त	मकसूदनपुरा	५०)
३१.	,, जीवन	रामनिवास	६०)
३२.	,, नन्दा	,,	६०)
३३.	,, गोरधन	,,	६०)
३४.	,, कालू	,,	६०)
३५.	,, महादेवा	शिवदासपुरा	८०)
३६.	,, ग्यारसा	,,	८०)
३७.	,, रामचन्द्र	,,	८०)

१	२	३	४
३८.	श्री गोधा	शिवदासपुरा	८०)
३९.	,, मांग्या	,,	१००)
४०.	,, नैनू	निमोड़िया	८०)
४१.	,, कल्यान	,,	८०)
४२.	,, चन्द्रा	,,	६०)
४३.	,, रामनाथ	,,	८०)
४४.	,, नारायन	,,	८०)
४५.	,, श्रवण	,,	८०)
४६.	,, भूरा	माधोसिंहपुरा	६०)
		योग	३,३६०)

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ का उत्तर देखिये)

१. महारानी कॉलेज, जयपुर;

(१) अंग्रेजी, हिन्दी, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, संगीत, गणित, संस्कृत।

(२) फिज़िक्स, कैमिस्ट्री, बॉटोनी, जियोलॉजी, गणित।

२. गर्ल्स कॉलेज, कोटा :

आर्ट्स—अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संगीत, फिलॉसफी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत।

साइन्स—इस संस्था में अभी तक साइन्स पी० यू० सी० तक है और जुलाई ६१ में निम्नलिखित विषयों में टी० डी० सी० खोलने का विचार है। फिज़िक्स, कैमिस्ट्री और जीयोलॉजी।

३. महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर :

आर्ट्स—अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, संगीत, राजनीति शास्त्र, फिलॉसफी, गणित अर्थ-शास्त्र,

सइन्स—फिज़िक्स, कैमिस्ट्री, बोयेनी, जूलॉजी, गणित।

४. राजमहल गर्ल्स कॉलेज, जोधपुर:

आर्ट्स—अंग्रेजी, हिन्दी, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, गणित, संगीत, सोशियोलॉजी।

साईन्स—फिज़िक्स, रसायन शास्त्र, गणित, बोटेनी, जूलॉजी।

५. गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर :

आर्ट्स—हिन्दी, राजनिति शास्त्र, अर्थशास्त्र फिलोसोफी, भूगोल, संगीत, ड्रॉइंग, इतिहास, सोशियोलॉजी, संस्कृत, अंग्रेजी।

साइन्स—रसायन शास्त्र, बॉटोनी, जूलॉजी, भौतिक शास्त्र।

६. गर्ल्स कॉलेज, गंगानगर :

आर्ट्स–अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, संगीत, इतिहास।

७. सोफिया कॉलेज, अजमेर :

आर्ट्स–अंग्रेजी, सोशियोलॉजी, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र।

८. सावित्री कॉलेज, अजमेर :

आर्ट्स–अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, संगीत, ड्रॉइंग, और गृह विज्ञान।

९. बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली :

आर्ट्स–अंग्रेजी, संगीत, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी, संस्कृत, ड्राइंग, गणित, भूगोल, फिलॉसफी :

१०. राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर।

आर्टस–हिन्दी, संगीत, अर्थशास्त्र, ड्रॉइंग, सोशियोलॉजी, राजनीति शास्त्र, फिलॉसफी, इतिहास, गृह–विज्ञान।

गृह विज्ञान (Domestic Science) विषय :

निम्नलिखित संस्थाओं में पढ़ाया जाता है :—

१. राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर,

२. महारानी कॉलेज, जयपुर व

३. सावित्री कॉलेज, अजमेर।

———

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २१ मार्च, १६६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३६२५	२०	कुरया	कृपया
३६२७	२२	मैं मी	मैं भी
,,	२४	—	विराम
३६३०	१३	चोधरी	चौधरी
३६३१	७	हां में	"हां" में
३६३५	८	आधीनस्थ	अधीनस्थ
३६३८	२१	नियुत्ति	नियुक्ति
३६३६	७	पर्सेंटेज	पर्सेन्टेज
,,	२१	एग्जामिनेशन	एग्ज़ामिनेशन्स
३६४६	१३	विचारधीन	विचाराधीन
३६४०	७	Samll	Small
३६५१	१३	आवर	अवर
३६५३	१३	को गई हैं ?	की गई हैं ?
,,	१७	कन्डेन्सड	कन्डेन्सड
३६५४	१३	चादीकुई	चांदीकुई
३६५५	१	contractor	contractors
३६५६	३	विचारधीन	विचाराधीन
,,	२६	Puccas culvert	pucca culvert
३६६१	१७	rostels'	hostels'
३६६२	१७	श्री नारायणसिंह	राव श्री नारायणसिंह
,,	२०	श्री पूनमन्चद	श्री पूनमचन्द
३६६८	१५	अधिकार	अधिकारी
३६६६	८–६	डायरेक्टर	डाइरेक्टर
,,	१६	अग्रवल	अग्रवाल
३६७०	अन्तिम से २	इर्रेगुलेरिटीज़ उनको	इर्रेगुलेरिटीज़ थीं उनको
३६७१	अन्तिम से२-१	नहीं	नहीं मानती ?
३६७२	अन्तिम पंक्ति	श्री अध्यत्त	श्री अध्यक्ष
३६७३	२	अव्ययन	अध्ययन
३६७४	६	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम

१	२	३	४
३६७६	२३	लेगे	लेंगे
३६७६	११	लें कितना	लें कि कितना
३६८०	अन्तिम से ४	परसेन्टेट	पर्सेन्टेज
३६८४	६	आकर्षित	आकर्षित
३६८५	३-४	सदस्यों निम्नलिखित के	सदस्यों के निम्नलिखित
३६८७	अन्तिमसे३व४	शिडयूल्ड	शिड्यूल्ड
३६६६	२६	ये लिटी	यलिटी
३६६७	११	बर्क्स	वर्क्स
३६६६	शीर्ष	सतीशाचद्र	सतीशाचन्द्र
४००५	३	आकर्षिक	आकर्षित
४००६	११ व १४	एक्लोजिव	एक्सक्लोज़िव
४००७	११	इन्पोर्ट	इम्पोर्ट
४००८	१३	नहीं	नहीं
,,	२६	ती बात	तो बात
,,	अन्तिम से २	दे तो	दें तो
४००६	शीर्ष	३००६	४००६
,,	१	यहोदय	महोदय
४०१३	२५	सेन्ट्रइल	सेन्ट्रल
,,	२७	धन्नालान	धन्नालाल
४०१४	शीर्षक	इत्यद	इत्यादि
४०१६	अन्तिम से ३	की बांधने	को बांधने
४०१७	१७	चुनात्रों	चुनावों
४०२०	अन्तिम से ४	रुघया	रुपया
४०२७	शीर्षक	माग	मांग
४०२८	२०	वितरति	वितरित
४०३२	शीर्षक	नौचानल	नौचालन
४०३७	२२	entertanund	entertained
४०४३	१७	'I' beg	I beg
४०४४	२१	शमी	शर्मा
४०४६	अन्तिम पंक्ति	नौचालय, तथा तट-बंधन	नौचालन, तट-बंधन
४०४७	७	कटौती जाय	कटौती की जाय
४०४६	१०	नौचलन	नौचालन
४०५२	१६	खर्चें करेगे	खर्च करेंगे

१	२	३	४
४०५३	५	द्वारा में	द्वारा मैं
४०५४	अन्तिम पंक्ति	है,	योजना है,
४०५५	२	समझौता	समझौता
४०५८	शीर्षक	बंधन तट	तट–बंधन
४०५६	अन्तिम पंक्ति	नोर्दर्न	नोर्दर्न
४०६०	२३	हेतु)	हेतु)"
४०६१	अन्तिम से ४	आकर्षिक	आकर्षित
४०६३	४	केरोल	करोल
४०६४	२२	questien	question
४०६७	१६	convaess	canvass
४०६८	शीर्षक	सन्बन्धी	सम्बन्धी
४०७०	२२	is Official	is an official
४०७३	शीर्षक	सिंचा	सिंचन
४०७४	११	यादि	यदि
४०७५	१७	रीएप्रियेशन	रीएप्रोप्रिएशन
४०७६	२५	अकाउन्टस	अकाउन्ट्स
४०७८	२५–२६	रोजनेबल	रीज़नेबल
४०८२	१६	रहे थे	रहे हैं
४०८८	२२	कि आपने इन सारी	कि इन सारी
४०६०	१६	डिमान्डस	डिमान्ड्स
४०६२	१	Orderi	Order !
,,	४	अग्रवाल तो,	अग्रवाल: तो,
४०६४	१०	मैथ्ड ऑफ	मैथड्स ऑफ
४०६६	५	वन वाती है	वनवाती है
,,	१५	मरन्मत	मरम्मत
,,	२२	बाढा	बाढ़
४१००	१४	और ख्याल	और उस ख्याल
४१०२	१५	लेखक	लेकिन
४१०६	२७	यर बड़ा	यह बड़ा
४१०७	शीर्षक	सिंचान	सिंचन
४११६	२१	वहुत	बहुत
४१२१	शीर्ष	परीक	पारीक
४१२२	१४	स्कीम हैं	स्कीम्स हैं

१	२	३	४
४१२५	१६	दूसरा मेरा प्रस्ताव	दूसरा प्रस्ताव
४१३१	२८	सम्बन्ध मैं	सम्बन्ध में
४१३३	३	कॉन्स्टिधु एन्सी	कॉन्स्टिट्युएन्सी
,,	२४	( )	(विराम)
४१३४	६	सबन्ध	सम्बन्ध
४१३६	२६	Contiune.	Continue.
४१४१	८	सइज़	साइज़
४१४५	१६	vacewm	vacuum
४१५१	१३	वद	वैद
४१५८	अन्तिम से ३	Order s	order is
४१५६	४	tho	the
४१६१	१६–१७	प्रशासन	न्याय प्रशासन
		Motion mored	Motion moved
४१६३–६४	शीर्षक	माच	मार्च
४१६७–६८	,,	मुख्य शीर्षक १७	मुख्य शीर्षक २७
४१६७	७	to-mrrow	to-morrow
४१७५	४	OFEICE	OFFICE
४१८२	५	Inprovemnt	Improvement
४१८५	शीर्षक	परिशष्ट	परिशिष्ट
४१८८	१२	ड्र इग	ड्राइंग
,,	१५	आर्टस	आर्ट्स

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३६८०	१	अग्रवाल	अग्रवाल
४०१४	शीर्षक	नौचालन, इत्यदि	नौचालन, इत्यादि
४१४२	१६	श्री समापति	श्री सभापति
४१४८	७	डा० बहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह